कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 63 अंक : 4 पृष्ठ : 52 फरवरी 2017 मूल्य : ₹ 22

खाद्य सुरक्षा

COMMITTED TO TAXPAYER SERVICES
वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी)
के चौतरफा फायदे
जीएसटी
अर्थव्यवस्था के लिये लाभप्रद
सरल कर व्यवस्था
आसान कर अनुपालन
व्यापार एवं उद्योग के लिये लाभ
एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण।
''मेक इन इंडिया'' अभियान और भारत को एक ''मैन्युफैक्चरिंग हब'' बनाने को प्रोत्साहन।
निवेश और निर्यात को बढ़ावा।
आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से नए रोजगार का सृजन।
वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाले वर्तमान अनेक करों की जगह एक कर से आसानी।
कम छूट के साथ सरल कर व्यवस्था।
देशभर में नियमों, प्रक्रियाओं एवं कर दरों में एकरूपता।
वस्तुओं एवं सेवाओं के साझा वर्गीकरण प्रणाली से कर प्रबंधन में सुनिश्चितता।
बहुत से करों के स्थान पर एक अखिल भारतीय कर से अनुपालन का बोझ कम होगा।
अनेक करों के लिये विभिन्न प्रकार के रिकार्ड रखने की आवश्यकता न होने से कारोबार करना आसान होगा।
पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने, कर भुगतान, रिफंड एवं क्रेडिट सत्यापन के लिये स्वचालित प्रक्रिया।
सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर इस्तेमाल से करदाता एवं कर प्रबंधन के बीच मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत कम होगी।
करों पर कर के उन्मूलन से निर्माता/आपूर्तिकर्ता से खुदरा विक्रेता तक टैक्स क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह।
पंजीकरण, शुल्क भुगतान, रिटर्न फाइल करने एवं कर का रिफंड प्राप्त करने के लिये समान प्रक्रिया।
छोटे आपूर्तिकर्ताओं के एक बड़े वर्ग को छूट/कम्पाउन्डिंग योजनाओं के लाभ से इस वर्ग का उत्पाद सस्ता होगा।
निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा प्रतियोगी बनाने के लिये करों का ज्यादा बेहतर निष्प्रभावीकरण।
आसान कर व्यवस्था से कर का अनुपालन और आसान होगा।
व्यापार एवं उद्योग को होने वाले लाभ स्पष्ट हैं।
इससे अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलेगी।
1 राष्ट्र कर बाजार
जीएसटी
davp 15502/13/0082/1617
कर का भुगतान, देश का निर्माण
करदाता सेवा महानिदेशालय
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
www.cbec.gov.in
हमारे साथ जुड़ें :
cbec_India

संपादकीय

'खाद्य सुरक्षा' का अर्थ है सभी व्यक्तियों तक सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक आहार तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच सुनिश्चित हो और जो उनके सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार आवश्यकताओं तथा भोजन वरीयता को भी संतुष्ट करे। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने भी 'खाद्य सुरक्षा' को यूं ही परिभाषित किया है। इस परिभाषा के अनुसार खाद्य सुरक्षा में स्वाभाविक रूप से पोषण सुरक्षा भी समाहित है।

किसी भी देश के नागरिकों की अच्छी पोषण एवं शारीरिक स्थिति विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होती है। इसी के मद्देनजर देश में राष्ट्रीय–स्तर पर विभिन्न नीतियों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के पोषण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं परंतु कुपोषण अभी भी विद्यमान है। भारत में 50 प्रतिशत महिलाएं और 43.5 प्रतिशत बच्चे (पांच वर्ष से कम आयु के) कुपोषण एवं अनीमिया के शिकार हैं। कुपोषण एवं अल्प–पोषण के शिकार अधिकतर ग्रामीण समुदाय की महिलाएं एवं बच्चे हैं।

कुपोषण एवं अल्पपोषण हमारे अस्तित्व, विकास, स्वास्थ्य, उत्पादकता और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। आईसीएमआर के मुताबिक एक औसत भारतीय के लिए भारी काम करने वालों को रोजाना 2400 कैलोरी/व्यक्ति तथा कम शारीरिक श्रम करने वालों के लिए 2100 कैलोरी पोषण जरूरी है। पोषण सुरक्षा का अर्थ यह भी है कि किसी भी व्यक्ति की अपने जीवन–चक्र में ऐसे विविधतापूर्ण भोजन तक पर्याप्त मात्रा में पहुंच सुनिश्चित हो जिसमें जरूरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सूक्ष्म पोषण तत्व की उपलब्धता हो।

एक अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी के एक चौथाई हिस्से को एक वक्त का ही भोजन प्राप्त होता है। यही नहीं प्रतिवर्ष भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के लगभग दस लाख बच्चों की कुपोषण से मौत हो जाती है।

देश में व्याप्त आर्थिक असमानता और बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में कृषि उत्पादकता असंतुलन के कारण देश का एक बड़ा हिस्सा भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा है। सामान्यतः कुपोषण को चिकित्सकीय समस्या माना जाता है जबकि वास्तव में कुपोषण सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारकों का परिणाम है। कुपोषित महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चे भी कुपोषण और विकलांगता के शिकार हो जाते हैं।

केंद्र सरकार ने इसी चुनौती से निपटने के लिए और समाज के गरीब एवं वंचित वर्ग को संतुलित आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया। इस अधिनियम के तहत देश के गरीब नागरिकों को राजकीय सहायता पर अनाज प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। इसके अंतर्गत देश की 79.56 प्रतिशत जनसंख्या को कवर किया गया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र की 50 प्रतिशत आबादी को कवर किया गया है। इसके अंतर्गत राजकीय सहायता पर प्रतिमाह 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्रमशः चावल/गेहूं/मोटे अनाज का 5 किलोगाम/व्यक्ति वितरण किया जा रहा है। वैसे तो यह अधिनियम जुलाई 2013 से लागू है लेकिन इसे धीरे–धीरे राज्यों ने अपनाया। नवंबर 2016 से यह अधिनियम पूरे देश में क्रियान्वित हो गया है। देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने–अपने राज्यों की पूर्ववर्ती खाद्यान्न वितरण योजना के स्थान पर इसे लागू कर दिया है।

खाद्य सुरक्षा योजना यूं तो पूरे देश में लागू हो गई है लेकिन इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि भी आवश्यक है। साथ ही खाद्यान्न संरक्षण की दिशा में भी प्रयास बढ़ाने होंगे ताकि गोदामों के अभाव में बड़े पैमाने पर नष्ट होने वाले खाद्यान्न को बचाया जा सके।

महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून में राशनकार्ड में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया माने जाने का विशेष प्रावधान है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत 6000 रुपये प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च–स्तर के पोषण संबंधी मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं जिसके तहत 100 प्रतिशत राशनकार्डों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है और 71 प्रतिशत से अधिक राशनकार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है। साथ ही 29 राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों में खाद्यान्नों का ऑनलाइन आवंटन शुरू हो चुका है।

हमारे देश में अधिकतर लोग शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं जिससे उनकी पोषण सुरक्षा में विभिन्न फसलों की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न तरह के पोषक तत्वों से भरपूर अनाज, फल एवं सब्जियों के उपयोग में वृद्धि से कम कीमत में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन इसके लिए बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए दैनिक भोजन में सब्जियों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिए उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि अति आवश्यक है। इसके लिए उन्नत किस्मों एवं संकर प्रजातियों तथा उत्पादन तकनीकों का उपयुक्त वातावरण के अनुसार उचित उपयोग आवश्यक है।

आज भारत खाद्य उत्पादन में स्वावलंबी तो हो गया है पर कुपोषण की समस्या को हल नहीं कर पाया जो भारत के भविष्य के लिए सबसे हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कुपोषण से निपटने के लिए पोषक एवं पारंपरिक फसलों जैसे ज्वार, बाजरा का उत्पादन बढ़ाने के साथ–साथ कृषि वैज्ञानिकों को पोषण को ध्यान में रखते हुए बायो फोर्टिफाएड फसलों/किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देना होगा जिनमें स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व उपस्थित हो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कई अनुसंधान संस्थानों ने फसलों की पोषणवर्धक किस्मों को विकसित किया है जिसका प्रसार आज समय की मांग है। इस कदम से खेत से भोजन की थाली तक का सफर पोषक तत्वों के साथ तय किया जा सकता है जिससे कुपोषण को दूर करने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी।

साथ ही, कृषि के समक्ष खड़ी गंभीर चुनौतियों– बढ़ती हुई आबादी, संसाधनों का ह्रास, मृदा का घटता स्वास्थ्य आदि समस्याओं का भी हल खोजना होगा। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों, प्रशासनिक अधिकारियों और नीतिधारकों को साथ मिलकर कदम बढ़ाना होगा ताकि भारत अपने नागरिकों को कुपोषण मुक्त सुरक्षित खाद्य उपलब्ध करा सके एवं स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो सके।

भारत में खाद्य सुरक्षा : दशा, दिशा और भावी परिदृश्य

–डॉ. जगदीप सक्सेना

आज हमारे देश के अन्न भंडारों में लगातार बढ़ती आबादी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की सामर्थ्य है और किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए यथेष्ट अनाज सुरक्षित भंडारों में भी मौजूद है। हरे–भरे खेतों में उपजे अनाज को देश के कोने–कोने तक पहुंचाने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने की एक मजबूत प्रणाली भी काम कर रही है। इसलिए तमाम चुनौतियों के बावजूद खाद्य सुरक्षा का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित दिखाई देता है।

अकाल और भुखमरी को करारी शिकस्त देकर भारत ने खाद्य सुरक्षा हासिल की है। आज हमारे देश के अन्न भंडारों में लगातार बढ़ती आबादी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की सामर्थ्य है और किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए यथेष्ट अनाज सुरक्षित भंडारों में भी मौजूद है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने के साथ–साथ सामाजिक कल्याण की अनेक योजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए पर्याप्त आहार और पोषण की व्यवस्था की गई है। देश की लगभग 1.30 अरब आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि अनुसंधान एवं विकास ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे फसल, बागवानी और पशु–पक्षी उत्पादों के कुल उत्पादन और उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि हुई है। यह क्रम और प्रयास पहले से अधिक गहनता और तत्परता के साथ जारी हैं, इसलिए तमाम चुनौतियों के बावजूद खाद्य सुरक्षा का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित दिखाई देता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, ''सभी व्यक्तियों की सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक आहार तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच हो और जो उनके सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार आवश्यकताओं तथा भोजन वरीयताओं को भी संतुष्ट करे।'' इस परिभाषा के अनुसार खाद्य सुरक्षा में स्वाभाविक रूप से पोषण सुरक्षा का भी समावेश है। भारत ने पोषण सुरक्षा के नजरिए से भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनका प्रभाव सामाजिक स्वास्थ्य के क्रमिक सुधार के रूप में दिखाई देता है।

खाद्य उत्पादन में क्रांति

सन् 1960 के दशक में हरितक्रांति के सूत्रपात ने भारत को पहली बार अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित हुआ कि कृषि और संबंधित उद्यमों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दखल से उत्पादकता को कई गुना तक बढ़ाना संभव है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में इस ओर बढ़ाए गए ठोस कदमों और प्रयासों से आज अनाज

उत्पादन बढ़कर 25.22 करोड़ टन (2015–16) तक पहुंच गया है। हाल के वर्षों में देश को कई बार सूखे जैसी दशाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं की विपदा झेलनी पड़ी, परंतु पूर्व तैयारी के कारण खाद्य उत्पादन पर इसका कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला। वर्ष 2015–16 के दौरान चावल का 10.33 करोड़ टन, गेहूं का 9.40 करोड़ टन और मोटे अनाजों का 3.77 करोड़ टन उत्पादन हुआ। दालों का उत्पादन 1.70 करोड़ टन से अधिक आंका गया और तिलहनों ने लगभग 2.60 करोड़ टन का आंकड़ा हासिल कर लिया। कृषि जिंसों के उत्पादन के ये प्रभावशाली आंकड़े कृषि अनुसंधान एवं विकास के साथ कृषि विकास एवं किसान कल्याण की उन योजनाओं की कामयाबी की ओर भी संकेत करते हैं, जिनके माध्यम से किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता, कृषि आदान, कृषि ऋण, बाजार सुविधा आदि उपलब्ध कराई गई। इन योजनाओं में हाल के वर्षों में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार और परंपरागत कृषि विकास योजना प्रमुख हैं। उल्लेखनीय है कि इन योजनाओं के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों तक लाभ पहुंचाने का विशेष प्रयास किया गया, क्योंकि किसानों के इस वर्ग को देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा का सबसे प्रमुख अंशदाता माना जाता है। इनके दो हेक्टेयर से कम जोत आकार के खेत देश के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 44 प्रतिशत भाग पर फसल उपजा कर खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। कृषि उत्पादन में दर्ज की जा रही लगातार बढ़ोतरी के कारण दिसंबर, 2016 में भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में कुल लगभग 276 लाख टन अनाज (चावल और गेहूं) जमा था। यह मात्रा देश की आवश्यकता और सुरक्षित भंडार के तय मानदंडों से अधिक है।

खाद्य के साथ पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए समग्र प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में भारत ने विश्व में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। वर्ष 2014–15 में भारत ने 8.66 करोड़ टन फल और 16.94 करोड़ टन सब्जियों के उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। इसी वर्ष में भारत में लगभग 14.6 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया गया, जो विश्व में सर्वाधिक है और एक कीर्तिमान भी है। दूध उत्पादन में इस क्रांतिकारी वृद्धि के कारण देश में प्रति दिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता वर्ष 1990–91 के 176 ग्राम से बढ़कर 2014–15 में 322 ग्राम तक पहुंच गई, जो विश्व औसत से अधिक है। इसी क्रम में वर्ष 2014–15 में अंडों का उत्पादन बढ़कर 78.48 अरब हो गया और पोल्ट्री मांस का उत्पादन 30.4 लाख टन पहुंच गया। इसी दौरान मछली उत्पादन बढ़कर 101.6 लाख टन दर्ज किया गया। खाद्य और पोषण को आधार देने वाली इन जिंसों के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि से खाद्य और पोषण सुरक्षा को एक मजबूत आधार मिला है।

खाद्य सुरक्षा के लिए मिशन

लगातार बढ़ती आबादी के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा को सतत् बनाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के नाम से एक व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की। इसका लक्ष्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–08 से 2011–12) के दौरान चावल के उत्पादन में एक करोड़ टन, गेहूं में 80 लाख टन और दालों में 20 लाख टन की वृद्धि करना था। इस अवधि के दौरान योजना ने अपने लक्ष्य से अधिक सफलता हासिल की, जिससे उत्साहित होकर मिशन को बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान भी जारी रखा गया। परंतु इस बार लक्ष्य को बढ़ाकर कुल खाद्यान्नों के लिए 250 लाख टन कर दिया गया है। साथ ही चावल, गेहूं और दलहन के साथ मोटे अनाज, गन्ना, जूट और कपास को भी शामिल किया गया है। ग्यारहवीं योजना में मिशन के अंतर्गत केवल 15 राज्य शामिल किए गए थे, लेकिन अब इसे राष्ट्रव्यापी बनाकर 29 राज्यों के 638 जिलों में लागू कर दिया गया है। हाल में मिशन के अंतर्गत 93 'सीड हब' (बीज केंद्र) स्थापित करने का निर्णय लिया गया, ताकि किसानों को सही समय और वाजिब कीमत पर उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध हो सकें।

मिशन के अंतर्गत फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ चुनिंदा सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चुने गए जिलों में वैज्ञानिक खेती के प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बीज तथा अन्य महत्वपूर्ण कृषि आदानों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। उन्नत

किस्मों के बीज की खरीद के लिए सब्सिडी की व्यवस्था है और नवीनतम किस्मों के बीज 'सीड मिनीकिट' के रूप में किसानों के बीच निःशुल्क बांटे जाते हैं। फसल के लिए उपयोगी यंत्रों, कृषि रसायनों तथा उपचारों के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रबंध किया गया है। अधिक से अधिक किसानों को नवीनतम तकनीकों तथा लाभकारी जानकारी से सशक्तीकरण करने के लिए 'किसान फील्ड स्कूल' के आयोजन में भी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गेहूं की खेती के लिए पम्पसेट की खरीद पर भी वित्तीय सहायता दी जाती है। दालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा फुव्वारा सिंचाई प्रणाली (स्प्रिंकलर सेट) की स्थापना पर सहायता का प्रावधान है। दलहनी फसलों के खेत की नील गाय से सुरक्षा के लिए भी विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। मिशन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/जिलों को राष्ट्रीय/राज्य–स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित करने की व्यवस्था भी है।

ताकि सबको मिले अन्न

भारत जैसे विशाल और आर्थिक विषमताओं वाले देश में दूरदराज के दुर्गम इलाकों तक और समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक अनाज की भौतिक और आर्थिक पहुंच सुनिश्चित करना एक कठिन चुनौती है। परन्तु अनुकूल नीतियों, कारगर योजनाओं और प्रभावी क्रियान्वयन ने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया है। सन् 1960 के दशक में देश भर में स्थापित की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों तक वाजिब कीमत पर अनाज को सुलभ कराना था, जिससे देश में अनाज की कमी होने पर भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहे। इसके लिए अनाज की खरीद, भंडारण, परिवहन और आम जनता तक वितरण की एक मजबूत प्रणाली विकसित की गई, जिसमें उपभोक्ता को उचित कीमत की राशन की दुकानों के जरिए एक निश्चित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जाता है। परंतु समय के साथ अनाज उत्पादन और सामाजिक–आर्थिक स्तर में हुए बदलाव के कारण इस प्रणाली की नीति में भी लगातार बदलाव हुआ और आज इसे लक्षित सार्वजानिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के रूप में लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत सन् 1997 में गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर कर रहे परिवारों (बीपीएल) को प्रत्येक महीने 10 किलोग्राम अनाज कम कीमत पर उपलब्ध कराने के साथ की गई। इस तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पहली बार केवल गरीब वर्ग को लक्ष्य बनाया गया, परंतु गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को इस सुविधा से वंचित नहीं किया गया। लेकिन इनके लिए अनाज की कीमत अपेक्षाकृत अधिक रखी गई। अनाज की उपलब्धता बढ़ने के साथ अनाज की मात्रा भी बढ़ती गई और आज प्रत्येक गरीब परिवार को 35 किलोग्राम अनाज प्रत्येक महीने उपलब्ध कराया जाता है। टीपीडीएस को केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी से लागू किया जा रहा है। केंद्र द्वारा अनाज की खरीद और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की जाती है तथा प्रत्येक राज्य को मांग के अनुसार अनाज आबंटित किया जाता है। जबकि राज्यों पर निर्धारित केंद्रों से अनाज को उठाने और राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण की जिम्मेदारी होती है। गरीब परिवारों की पहचान करके उन्हें कार्ड जारी करने और अनाज की वाजिब कीमत तय करने का अधिकार भी राज्य सरकार के पास होता है। टीपीडीएस को अधिक कुशल, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए राज्य सरकारों ने अपने–अपने स्तर पर अनेक उपाय किए हैं, जिनमें 'आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) महत्वपर्ण भूमिका अदा कर रही है। 'डिजिटल इंडिया' के अंतर्गत कई राज्यों ने इस प्रणाली को 'ऑन–लाइन' कर दिया है, जिसके द्वारा अनाज की प्राप्ति, परिवहन की स्थिति, जारी अनाज की मात्रा और बीपीएल कार्डधारकों के विवरण तथा अन्य जानकारी पारदर्शी रूप से सबके सामने हैं। केंद्र सरकार विशेष प्रयास करके देश के दुर्गम इलाकों जैसे उत्तर–पूर्व के पहाड़ी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र आदि में अनाज पहुंचा रही है और प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त राज्यों को निर्धारित कोटा से अधिक अनाज भेजकर तुरंत राहत पहुंचायी जाती है।

खाद्य सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाने और समाज के गरीब से गरीब तबके तक अनाज पहुंचाने के उद्देश्य से सन् 2000 में अन्त्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई। दरअसल समाज के कुछ गरीब परिवार ऐसे भी हैं, जो राशन की दुकानों से कम कीमत पर अनाज खरीदने में भी सक्षम नहीं हैं और अनुमान के अनुसार इनकी संख्या भी करोड़ों में है। इनकी पारिवारिक आमदनी 250 रुपये प्रति माह से भी कम है। इन परिवारों को पहचान कर इनके लिए विशेष अन्त्योदय कार्ड बनाए गए, जिनके आधार पर इन परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी कीमत गेहूं के लिए मात्र दो रुपये प्रति किलो और चावल के लिए तीन रुपये प्रति किलो तय की गई है। इस योजना ने देश के निर्धनतम परिवारों को भी खाद्य सुरक्षा दी है।

देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में सबसे बड़ा और व्यापक कदम सन् 2013 में उठाया गया, जब भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को नागरिकों का अधिकार मानते हुए एक कानून बनाया। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के रूप में संसद द्वारा पारित किया गया और राज्य सरकारों से इसके प्रावधान लागू करने की अपील की गई। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की 75 प्रतिशत आबादी और शहरों की 50 प्रतिशत आबादी को बेहद कम कीमत पर टीपीडीएस के अंतर्गत अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस तरह देश की लगभग 67 प्रतिशत आबादी खाद्य सुरक्षा के दायरे में आ गई है। इसके अंतर्गत चुने गए प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह पांच किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी कीमत चावल के लिए तीन रुपये, गेहूं के लिए दो रुपये और मोटे अनाजों के लिए एक रुपये प्रति किलो रखी गई है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशु को दूध

पिलाने वाली महिलाओं (शिशु के जन्म के छह महीने बाद तक) को पोषक आहार दिए जाने की व्यवस्था भी की गई है। इस विशेष अधिनियम को 32 राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है, जिससे करोड़ों बच्चों और महिलाओं की खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

बच्चों में स्कूल जाने की आदत को बढ़ावा देने और उनका पोषण–स्तर सुधारने के उद्देश्य से सन् 1995 में देश के लगभग 2,400 ब्लॉकों में मध्यान्ह् आहार योजना (मिड डे मील स्कीम) लागू की गई। इसके अंतर्गत सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के प्राइमरी दर्जे के छात्रों को पोषक आहार दिया जाता है, जिससे बच्चों के स्तर पर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसकी कामयाबी से उत्साहित होकर इसे पूरे देश के सभी ब्लॉकों में लागू किया गया और पोषक आहार के मानदंड भी बदले गए। साथ ही इसका दायरा भी व्यापक बनाया गया। अब इसमें प्राइमरी तथा अपर–प्राइमरी, दोनों ही दर्जों के छात्रों को शामिल कर लिया गया है तथा आहार में अनाज के साथ दालों और सब्जियों को भी उचित अनुपात में शामिल किया गया है, लेकिन पोषक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तेल और वसा के उपयोग को सीमित किया गया है। इस तरह देश के लगभग 11–12 करोड़ स्कूली छात्रों की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। शिशुओं और माताओं की पोषण सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा सन् 1975 से एक व्यापक 'समेकित बाल विकास योजना' (आईसीडीएस) लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत छह वर्ष तक की आयु के बच्चों और उनकी माताओं को पोषक आहार उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही पूरक आहार और प्रारंभिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था भी रहती है। इस योजना से छह वर्ष की आयु तक के लगभग तीन करोड़ 40 लाख बच्चों और लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है।

चुनौतियां भी कम नहीं

देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को लंबे समय तक सतत् बनाए रखना एक कठिन चुनौती है, क्योंकि आबादी में लगातार विस्तार हो रहा है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, और नागरिकों की आमदनी बढ़ने से भोजन की मांग और विविधता में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। यदि इस भावी परिदृश्य को वर्ष 2050 के नजरिए से देखा जाए तो भारत की आबादी लगभग 1.65 अरब तक और प्रति व्यक्ति आमदनी 4,01,839 रुपये तक पहुंचने की संभावना है। उस समय देश में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में बसी होगी, जिससे कृषि के आधार को चोट पहुंचने की आशंका जतायी जा रही है। अध्ययनों से पता चला है कि यदि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सात प्रतिशत की वृद्धि दर मानी जाए तो वर्ष 2050 में अनाज की मांग 50 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, जबकि फलों, सब्जियों और पशु उत्पादों में 100 से 300 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। इसका एक अर्थ यह भी है कि प्रति व्यक्ति कैलोरी मांग 3,000 किलो कैलोरी से अधिक हो सकती है। इसके लिए खाद्यान्नों की उत्पादकता वर्तमान 25,000 किलो कैलोरी प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन से बढ़ाकर 46,000 किलो कैलोरी प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन के स्तर पर ले जानी होगी। इस हिसाब से अनुमान लगाया गया है कि देश में खाद्यान्नों की मांग 45 करोड़ टन तक पहुंच सकती है। इसी तरह दालों, खाद्य तेलों, दूध, मांस, अंडा, फलों, सब्जियों, चीनी तथा अन्य कृषि जिंसों की मांग भी इसी अनुपात में या इससे अधिक बढ़ सकती है। उत्पादकता के इस स्तर तक पहुंचने की संभावनाओं से पहले कुछ कठिन बाधाओं पर ध्यान देना और उनका आकलन करना आवश्यक है।

गरमाती धरती या 'ग्लोबल वार्मिंग' की वैश्विक विपदा को खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। वैज्ञानिक अनुमान बताते हैं कि यदि हम औसत तापमान की बढ़ोतरी पर कोई सार्थक रोक लगा नहीं पाते तो सन् 2050 तक औसत तापमान में 2.2 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इससे रबी और खरीफ फसलों के साथ फलों, सब्जियों, दूध उत्पादन तथा मछली उत्पादन पर भी चोट पड़ने की संभावना जताई जा रही है। अनुमान है कि तापमान बढ़ोतरी के वर्तमान रुख के अनुसार वर्ष 2050 तक गेहूं के कुल उत्पादन में 01 करोड़ 17 लाख टन तक की कमी आ सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में बारानी चावल का उत्पादन 10–15 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, परंतु पंजाब और हरियाणा में इसमें 15–17 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। देश के अन्य क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन 6–18 प्रतिशत तक गिर सकता है। सन् 2050 तक दूध के उत्पादन में लगभग डेढ़ करोड़ की गिरावट की आशंका जताई गई है। तापमान बढ़ने से हमारे देश के शीतोष्ण क्षेत्रों में उगने वाले फलों के क्षेत्र और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह सागरों और नदियों का औसत तापमान बढ़ने से मछली उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ेगा।

खाद्य सुरक्षा को सतत् बनाए रखने के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता भी लगातार कम होती जा रही है। वर्ष 2050 में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 2010–11 के 0.13 हेक्टेयर से घटकर मात्र 0.09 हेक्टेयर रह जाएगी, जो एक चिंता का विषय है। इसके साथ कृषि भूमि का लगातार अन्य विकास कार्यों तथा आवास के लिए उपयोग होना भी खाद्य सुरक्षा के लिए एक संकट है। इसी तरह सिंचाई के पानी की लगातार कमी होना भी एक गंभीर संकट की ओर इशारा करता है। अनुमान है कि तमाम प्रयासों के बावजूद देश की 50 प्रतिशत से अधिक कृषि फसलें बारानी दशाओं में उगायी जाएंगी, यानी वर्षा पर निर्भर रहेंगी। इस दशा में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाना अधिक कठिन हो जाएगा। कृषि के लिए ऊर्जा की कमी, भूमि का क्षरण और जैव विविधता का ह्रास भी खाद्य सुरक्षा को चोट पहुंचाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं। पशुओं में महामारी प्रकोप की संभावना को भी खाद्य सुरक्षा के

पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू

केरल और तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने के साथ 3 नवंबर, 2016 से यह अधिनियम सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 81.34 करोड़ लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल मिलेगा। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से सक्रियता के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आग्रह किया था। केंद्र अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आगे सुधार करने पर फोकस करेगा। इसमें शुरू से अंत तक प्रणाली का कंप्यूटरीकरण शामिल है। इसके लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज में पारदर्शिता लाना महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है ताकि अनाजों की चोरी और डायवर्जन रोका जा सके।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चोरी मुक्त बनाने के लिए केंद्र की ओर से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लाभार्थी के डाटा का डिजिटलीकरण किया गया है। इसमें लाभार्थी के स्तर तक सूचना उपलब्ध है और सूचना पब्लिक डोमेन में है। 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अनाजों का ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है और 18 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में खाद्यान्न सप्लाई की पूरी शृंखला को कंप्यूटरीकृत किया गया है। राशनकार्डों को आधार से 100 फीसदी जोड़ने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अभी 71 प्रतिशत राशनकार्ड आधार से जुड़े हैं। एफसीआई का खाद्यान्न नुकसान कम होकर 0.04 प्रतिशत रह गया है और एफसीआई के प्रमुख डिपो ऑनलाइन कर दिए गए हैं।

बेहतर लक्ष्य और खाद्यान्नों के चोरी मुक्त वितरण की दिशा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना दो अलग–अलग रूप में चलाई जा रही हैं। पहली पद्धति में लाभार्थी के बैंक खाते में खाद्यान्न सब्सिडी नकद रूप में अंतरित की जा रही है। लाभार्थी अपनी पंसद के अनुसार बाजार से अनाज खरीद सकते हैं। यह प्रयोग चंडीगढ़, पुडुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है। दूसरे तरीके में उचित मूल्य की दुकानों को स्वचालित करना है ताकि बिक्री के इलैक्ट्रानिक प्वाइंट (इ–पीओएस) उपकरण के माध्यम से वितरण के समय लाभार्थी के प्रमाणीकरण के साथ अनाजों का वितरण किया जा सके। इस व्यवस्था में परिवार को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा की इलैक्ट्रानिक जानकारी होती है। 31 अक्तूबर, 2016 तक 1,61,854 उचित मूल्य की दुकानों में इ–पीओएस उपकरण काम कर रहे हैं।

लिए एक प्रमुख खतरा माना जा रहा है, जिसमें पोल्ट्री और मछली पालन भी शामिल हैं।

अवसर और संभावनाएं

खाद्य सुरक्षा पर मंडराते खतरों को भांपते हुए राष्ट्रीय–स्तर पर विशेष कार्य योजनाएं बनायी गईं हैं, जो खाद्य सुरक्षा को सतत् बनाने में सहायक होंगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में देश में 'क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर' विकसित करने की ठोस पहल की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय–स्तर की परियोजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकें अपनाने के लिए जागरूक एवं सक्षम बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कृषि अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से प्रमुख फसलों की जलवायु अनुकूल किस्में विकसित की जा रही हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी या सर्दी को सहने की क्षमता मौजूद होती है। इसी प्रकार जलवायु अनुकूल कृषि विधियों का विकास किया गया है। सिंचाई के पानी की कुशलता बढ़ाने के लिए टपक सिंचाई, फुव्वारा सिंचाई जैसी सूक्ष्म और कुशल तकनीकें विकसित की गईं हैं, जिनका किसानों के खेतों तक प्रसार किया जा रहा है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' जैसा राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। भूमि की उर्वरता को सतत् बनाए रखने के लिए 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत किसानों को बड़े पैमाने पर 'सॉयल हैल्थ कार्ड' जारी किए जा रहे हैं। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जीन परिवर्तन या जेनेटिक इंजीनियरी की बेहद क्षमतावान विद्या तकनीकी रूप से हमारे पास उपलब्ध है, जिसका उपयोग करके कृषि क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव लाए जा सकते हैं। परंतु इसके उपयोग के लिए सरकारी नीति और संस्तुति की आवश्यकता है, जो अभी न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण लंबित है। परंतु यह बात तय है कि भविष्य में यह तकनीक खाद्य सुरक्षा को सतत् बनाए रखने में अहम् भूमिका निभाने वाली है।

हाल के वर्षों में सतत् कृषि की अवधारणा भी विकसित हुई है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और सतत् उपयोग द्वारा कृषि प्रक्रियाएं संपन्न की जाती हैं। उर्वरकों और कीटनाशकों के संदर्भ में नैनो–टैक्नोलॉजी का उपयोग नई संभावनाएं उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार यंत्रीकरण और कृषि में ऊर्जा के उपयोग के क्षेत्र में भी नवोन्मेषों द्वारा कृषि उत्पादन को अधिक कुशल और सक्षम बनाने की अनेक संभावनाएं मौजूद हैं। साथ ही बदलते परिवेश के अनुसार नई नीतियों और योजनाओं की आवश्यकता भी होगी। उदाहरण के तौर पर फसल कटाई, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हमें एक स्पष्ट और कारगर नीति बनानी होगी। इसी तरह भोजन की बर्बादी पर भी प्रभावी अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। सरकार द्वारा लागू की जा रही समाज कल्याण योजनाओं को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है, ताकि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लगातार खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलता रहे। खाद्य सुरक्षा के भविष्य को लेकर सरकार, योजनाकार और अन्य संबंधित लगातार गहन विचार–विमर्श करते हुए नई पहल कर रहे हैं। इसलिए आशा के साथ विश्वास भी है कि भारत में खाद्य सुरक्षा निरंतर और सतत् बनी रहेगी।

(पूर्व प्रधान संपादक (हिंदी प्रकाशन), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पूसा रोड, नई दिल्ली)
ई–मेल : jgdsaxena@gmail.com

खाद्य सुरक्षा कानून का अवलोकन

–हरिकिशन शर्मा

मानव जीवन के प्रारंभ से ही खाद्य सुरक्षा प्रमुख चुनौती रही है। दुनिया के कई देशों में आज भी खाद्य सुरक्षा का संकट है। बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन के विश्वव्यापी खतरे के मद्देनजर भारत जैसे बड़े देशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में हरितक्रांति के बल पर भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर चिरकालिक अकाल और भुखमरी की भयंकर त्रासदियों से निजात तो पा ली लेकिन आबादी के एक बड़े हिस्से को मानकों के अनुरूप पोषणयुक्त आहार मुहैया कराना अब भी बड़ी चुनौती है।

भारत सरकार ने संवैधानिक दायित्व और वैश्विक संधियों की प्रतिबद्धता निभाते हुए 10 सितंबर, 2013 को 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम 2013 लागू किया। इस अधिनियम के तहत देश की दो तिहाई आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से सस्ती दर पर अनाज पाने का कानूनी हक प्राप्त है। अगर किसी व्यक्ति को निर्धारित अवधि में राशन की दुकान से अनाज नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति 'खाद्य सुरक्षा भत्ता' का दावा करने का हकदार है। इस कानून में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निर्धारित पोषण मानकों के अनुरूप निशुल्क भोजन के रूप में पौषणिक सहायता मुहैया कराने का भी प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए छोटे और मझोले किसानों की आजीविका सुनिश्चित करने के जरूरी उपायों का खाका भी इसमें उल्लेखित है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत टीपीडीएस के माध्यम से हर साल लगभग 550 लाख टन खाद्यान्न सस्ती दर पर मुहैया कराने का लक्ष्य है। आम बजट 2016–17 में सरकार ने इसके लिए 1,34,834 करोड़ रुपये बजटीय आवंटन किया है। बजटीय आवंटन की दृष्टि से आज यह भारत सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।

वैसे तो इस कानून को देश में लागू हुए तीन साल हो गए हैं लेकिन कई राज्यों ने इसे वित्त वर्ष 2016–17 से ही लागू किया है। ऐसे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अब तक के अनुभव का अवलोकन और मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि इसके क्रियान्वयन के तंत्र को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ किया जा सके।

खाद्य सुरक्षा की अवधारणा

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार,

''खाद्य सुरक्षा से आशय उस स्थिति से है जब सभी लोगों की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौषणिक खाद्य तक हो और जो उन्हें सक्रिय और निरोगी जीवन के लिए उनकी आहार आवश्यकता और खाद्य वरीयता को पूरा करता हो।'' असल में खाद्य सुरक्षा के विषय ने नब्बे के दशक में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा। 1996 में विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन (वर्ल्ड फूड समिट) ने सभी देशों में भुखमरी के उन्मूलन का लक्ष्य तय करते हुए 2015 तक कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या तत्कालीन स्तर से घटाकर आधी करने का दृढ़ निश्चय किया। चार साल बाद जब संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में 'सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) तय किए तो उसमें भी भूखे रहने वाले लोगों की संख्या 2015 तक घटाकर आधी करने का लक्ष्य भी रखा।

संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सभी देशों ने भुखमरी के खिलाफ सामूहिक अभियान की शुरुआत की। बीते दो दशकों में कई देशों ने इस दिशा में तेजी से प्रगति भी की है। हालांकि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देशों में इस दिशा में प्रयास अब भी सुस्त ही हैं। यही वजह है कि विश्व बिरादरी ने अब भुखमरी की समस्या को जड़ से मिटाने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 25 सितंबर, 2015 को सतत विकास का नया एजेंडा तय करते हुए 2030 तक दुनिया से भूख की समस्या समाप्त करने का संकल्प लेकर 'ज़ीरो हंगर' को सतत विकास के 17 लक्ष्यों में शामिल किया है।

भारत में खाद्य सुरक्षा

भारत के प्राचीन समाज, लोक जीवन और शासन व्यवस्था में खाद्य सुरक्षा का विचार विभिन्न रूपों में विद्यमान था, शास्त्रों में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। मसलन, तैत्तिरीयोपनिषद् में 'अन्नम् ब्रह्मा' अर्थात अन्न ब्रह्मा है और अन्निद्वै प्रजारू प्रजायन्तेर.... अथो अन्नेनैव जीवन्ति' जैसी सूक्तियों के रूप में मानव जीवन के लिए अन्न की महत्ता रेखांकित की गई है। अन्न को भगवान के रूप में निरूपित कर खाद्यान्न के महत्व को दर्शाया गया है। इसी तरह महान नीतिज्ञ कौटिल्य ने भी अपनी कालजयी कृति 'अर्थशास्त्र' में सशक्त राष्ट्र के लिए 'जनपदनिवेश' में प्रजा के लिए खाद्य सुरक्षा और कोषसंचय सुनिश्चित करने वाले उपायों की जरूरत पर बल दिया है। हालांकि मध्यकाल के दौरान बाहरी आक्रमण और औपनिवेशक काल में खाद्य सुरक्षा के समुचित तंत्र के अभाव में देश को कई बार अकाल और भुखमरी की भीषण आपदाएं भी झेलनी पड़ी। पराधीनता में शोषण और व्यापक गरीबी के कारण देश की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग कुपोषण से पीड़ित रहा। यही वजह है कि 1947 में जब देश स्वाधीन हुआ तो संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया। वहीं नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 47 में लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन–स्तर को ऊंचा करने के लिए राज्य का कर्त्तव्य तय किया। जिस वर्ष देश में संविधान लागू हुआ उसी साल से पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में नियोजित विकास की शुरुआत हुई। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया और 60 के दशक में हरितक्रांति का आगाज हुआ जिससे देश खाद्यान्न उत्पाादन में आत्मनिर्भर बन गया। वहीं सत्तर के दशक में इसके समानांतर पोषण–स्तर सुधारने के लिए भी उपाय शुरू हुए। सत्तर के दशक में समन्वित बाल विकास योजना शुरू कर अनुच्छेद 47 के अनुरूप बच्चों को पोषाहार मुहैया कराने की शुरुआत की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की ओर भी सरकार का ध्यान गया और जगह–जगह राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को अनाज उपलब्ध कराने की शुरुआत हुई। हालांकि वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसी विशेष लक्ष्य के बगैर सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य योजना थी। इसे जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का रूप दिया गया। उस समय टीपीडीएस के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवारों को महीने में सिर्फ 10 किलोग्राम अनाज दिया जाता था जिसे अप्रैल 2000 में बढ़ाकर 20 किलो प्रति परिवार किया गया। सरकार ने एक बार फिर इसे बढ़ाया और जुलाई 2001 से 25 किलो कर दिया। इसी दौरान सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना शुरू की और उनको भी प्रतिमाह 25 किलो अनाज का आवंटन किया गया। इसके बाद अप्रैल 2002 में एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना के तहत भी प्रति परिवार 35 किलो अनाज देने का फैसला किया गया। उसी समय एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की संख्या भी तय की गई। इस तरह उपरोक्त पृष्ठभूमि में टीपीडीएस में समय–समय पर परिवर्तन और कई वर्षों के विचार मंथन के बाद 2013 में संसद ने बहुचर्चित खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित किया और 10 सितंबर, 2013 को जारी अधिसूचना से 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून' पूरे देश में प्रभावी हुआ।

भारत में खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति

भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वार्षिक 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स–2016' पर 118 देशों

कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या (मिलियन)

	1990–92	2000–02	2005–07	2010–12	2014–16	परिवर्तन
भारत	210.1	185.5	233.8	189.9	194.6	–7.4
चीन	289	211.2	207.3	163.2	133.8	–53.7
विकासशील देश	990.7	908.4	926.9	805	779.9	–21.3
विश्व	1 010.6	929.6	942.3	820.7	794.6	–21.4

स्रोत – 'द स्टेट ऑफ फूड इंसिक्युरिटी इन द वर्ल्ड 2015', एफएओ

में भारत का स्थान 97वां है। भारत इस सूचकांक पर अपने पड़ोसी देशों– बांग्लादेश, नेपाल और चीन से भी पीछे है। इससे पता चलता है कि भुखमरी की समस्या भारत में कितनी गंभीर है। वहीं एफएओ की रिपोर्ट 'द स्टेट ऑफ फूड इंसिक्युरिटी इन द वर्ल्ड 2015' बताती है कि हाल के वर्षों में दुनियाभर में कई देशों ने भूख की समस्या खत्म करने की दिशा में प्रगति की है लेकिन भारत जैसे देशों में इसकी रफ्तार कम है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी करोड़ों लोग कुपोषण के शिकार हैं।

एफएओ की इस रिपोर्ट में दिए आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि नब्बे के दशक की शुरुआत में भारत में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या करीब 21 करोड़ थी जो 2014–16 तक घटकर 19.46 करोड़ रह गई है। इस तरह इसमें मात्र 7.4 प्रतिशत की कमी आई है। दूसरी ओर, समान अवधि में चीन में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या में 53.7 प्रतिशत, विकासशील देशों में कुपोषण की संख्या में 21 प्रतिशत और पूरी दुनिया में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या में 21 प्रतिशत की कमी आयी है।

इसी तरह कुल आबादी में कुपोषण के शिकार लोगों का प्रतिशत भी चीन व अन्य विकासशील देशों की अपेक्षा भारत में काफी अधिक है। एफएओ की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2014–16 में भारत में 15 प्रतिशत लोग कुपोषण के शिकार हैं जबकि चीन में यह आंकड़ा 9 प्रतिशत, विकासशील देशों में 12 प्रतिशत और वैश्विक स्तर पर 10.9 प्रतिशत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नब्बे के दशक के शुरू में चीन और भारत में यह आंकड़ा लगभग बराबर था। बीते दो दशकों में चीन ने अपने यहां कुपोषण के शिकार लोगों का अनुपात कम करने में काफी प्रगति की लेकिन भारत इस मामले में सुस्त साबित हुआ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013

सरकार ने आम लोगों को गरिमामय जीवन निर्वाह करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बनाया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत लोगों को हर माह 5 किलोग्राम व्यक्ति अनाज पाने का अधिकार है। हालांकि अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज मिलता रहेगा।

कुपोषण के शिकार लोगों का प्रतिशत

	1990–92	2000–02	2005–07	2010–12	2014–16	परिवर्तन
भारत	23.7	17.5	20.5	15.6	15.2	–36.0
चीन	23.9	16	15.3	11.7	9.3	–60.9
विकासशील देश	23.3	18.2	17.3	14.1	12.9	–44.5
विश्व	18.6	14.9	14.3	11.8	10.9	–41.6

स्रोत : 'द स्टेट ऑफ फूड इंसिक्युलरिटी इन द वर्ल्ड 2015', एफएओ

विशेष बात यह है कि इस कानून की अनसूची एक में अनाज की कीमतें भी तय की गई हैं। इस कानून के लाभार्थी परिवारों को चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं दो रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलो पाने का अधिकार है। वैसे तो 10 सितंबर, 2013 से यह कानून पूरे देश में लागू हो गया था लेकिन राज्यों ने इसे अपने–अपने स्तर पर अलग–अलग तारीखों से लागू किया। असल में इस कानून की धारा 10(1) के तहत लाभार्थी परिवारों जिन्हें 'प्राथमिक श्रेणी के परिवार' (प्रायोरिटी हाउसहोल्ड) नाम दिया गया है, की पहचान राज्य सरकारों को करनी थी। इसी वजह से राज्यों ने इसे अपनाने में इतनी देर लगायी। केरल और तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने तो इसे 2016 में अपनाया। एक अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार देश में 18.52 करोड़ परिवारों की पहचान 'प्राथमिक श्रेणी के परिवार' के तौर पर की जा चुकी है। हालांकि इसमें तमिलनाडु और केरल के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि इन दोनों राज्यों ने यह कानून इस तारीख के बाद अपनाया। इस तरह आज देश में करीब 21 करोड़ परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून तथा अंत्योादय अन्न योजना के तहत सस्ती दर पर अनाज प्राप्त कर रहे हैं। इस अधिनियम में दुर्गम स्थलों और दूरदराज के क्षेत्रों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। खाद्य सुरक्षा अनिधियम की धारा 30 में स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार को दूरदराज, दुर्गम स्थलों, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को इस कानून के तहत प्राप्त सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष जोर देना होगा।

महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम 2013 में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि राशनकार्ड परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला के नाम ही बनेगा। इस कानून की धारा 13(1) में इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अलावा धारा 4 में गर्भवती महिलाओं के लिए पोषणयुक्त आहार के संबंध में विशेष व्यवस्था की गई है। तत्कालीन सरकार ने धारा 4 के तहत किए गए प्रावधान को अमलीजामा पहनाने के लिए उस समय कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया था। इसलिए मौजूदा सरकार ने अब इस उपबंध को लागू करते हुए गर्भवती महिलाओं के लिए छह हजार रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 दिसंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में इसका ऐलान किया। देश के सभी जिलों में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण और डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए छह हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी। फिलहाल यह योजना 4 हजार रुपये की आर्थिक मदद के साथ देश के सिर्फ 53 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रही थी।

पोषण के मानक

सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो भारत में बहुत समय से चल रही थी लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पहली बार खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण के भी न्यूनतम मानक तय किए गए। विधेयक में ही अनसूची के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के मानक तय होने से इस संबंध में अस्पष्टता की गुंजाइश नहीं है। खास बात यह है कि पोषण के मानक तय करते वक्त आयु वर्ग को विशेष ध्यान में रखा गया है।

खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ करने की रणनीति

भारत कृषि प्रधान देश है और भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है। यहां अधिकांश किसान छोटे और मझोले हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। इसलिए देश में खाद्य सुरक्षा अनवरत रहे और इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आए, इस बात को ध्यान रखते हुए इस कानून में दीर्घावधि में देश की खाद्य व पोषण सुरक्षा सुदृढ़ करने की सुनियोजित अवधारणा भी प्रस्तुत की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 31 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकारों को खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए उपाय करने होंगे। अधिनियम की अनुसूची–III में इस संबंध में तीन सूत्रीय कार्ययोजना सुझाई गई है जो इस प्रकार है–

1. कृषि का पुनरुद्धार;
   I. छोटे और मझोले किसानों के हितों को सुरक्षित रखने वाले उपायों के माध्यम से कृषि सुधार;
   II. उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने को शोध व अनुसंधान, सूक्ष्म व लघु सिंचाई, और विस्तार सेवाओं सहित कृषि में निवेश बढ़ाना;
   III. ऋण, सिंचाई, बिजली, फसल बीमा, इनपुट और लाभकारी मूल्य के माध्यम से किसानों की आजीविका सुरक्षित करना;
   IV. खाद्यान्न उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन और पानी के अवांछित कार्यों में इस्तेमाल को रोकना;
2. खरीद, भंडारण और परिवहन के उपाय;
   I. मोटे अनाज सहित खाद्यान्न की विकेन्द्रीकृत खरीद को प्रोत्साहित करना;
   II. खरीद प्रक्रिया का भौगोलिक विविधीकरण;
   III. विकेन्द्रीकृत आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण क्षमता सुनिश्चित करना;

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं

- ग्रमीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत लोगों को हर माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अनाज पाने का अधिकार।
- इस अधिनियम के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न सस्ती दर पर– चावल तीन रुपये प्रति किलो, गेहूं दो रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलो मिलता है।
- महिलाओं और 14 साल तक के बच्चों के लिए पोषणयुक्त भोजन।
- मातृत्व सहयोग के रूप में गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद।
- इस अधिनियम के तहत राशनकार्ड परिवार की वयोवृद्ध महिला या 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला के नाम बनता है।
- शिकायत निवारण के लिए जिला और राज्य–स्तरीय तंत्र।
- दोषी कर्मचारियों को 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान।
- अनाज न मिलने पर लाभार्थी को खाद्यान्न भत्ता प्राप्त करने का अधिकार।
- लाभार्थियों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की।
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए राज्यों को 549.26 लाख टन खाद्यान्न का आवंटन।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनसूची–II के अनुसार पोषण के मानक

क्र. सं	श्रेणी	भोजन का प्रकार	कैलोरी	प्रोटीन (ग्राम)
1	बच्चे (6 माह से 3 साल)	घर के लिए राशन	500	12–15
2	बच्चे (3 से 6 साल)	सुबह का नाश्ता व गर्म पका हुआ भोजन	500	12–15
3	कुपोषित बच्चे (6 माह से 6 साल)	घर के लिए राशन	800	20–25
4	निम्न प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	450	12
5	उच्च प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	700	20
6	गर्भवती महिलाएं व माताएं	घर के लिए राशन	600	18–20

IV. खाद्यान्न की अधिकता वाले प्रदेशों से उपभोग वाले क्षेत्रों में ले जाने के लिए रेलवे लाइन में विस्तार सहित पर्याप्त रैंक व्यवस्थित कराना;

3. अन्य उपाय;

I. स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल व स्वच्छता सुविधाएं;

II. स्वास्थ्य देखभाल;

III. किशोर लड़कियों को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सहायता;

IV. वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और अकेली रहने वाली महिलाओं को पर्याप्त पेंशन।

शिकायत निवारण का तंत्र

इस अधिनियम में लाभार्थी परिवारों की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र भी बनाया गया है। प्रत्येक के प्रदेश में राज्य खाद्य आयोग के साथ–साथ जिला–स्तरीय शिकायत निवारण अधिकारी भी तैनात करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया है। हालांकि अधिकांश राज्यों ने अभी तक अपने यहां शिकायत निवारण का तंत्र स्थापित नहीं किया है। जिस तरह राज्यों ने लाभार्थियों की पहचान में शिथिलता प्रदर्शित की उसी तरह शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में भी ऐसा ही रवैया देखने को मिला है।

चुनौतियां

बहरहाल आजादी के सात दशक बाद आखिरकार देश की जनता को कानूनी रूप से खाद्य सुरक्षा का अधिकार प्राप्त तो हो गया है लेकिन इसे ज़मीनी–स्तर पर मूर्त रूप देने में कई चुनौतियां भी आ रही हैं। इस कानून का क्रियान्वयन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तंत्र के माध्यम से हो रहा है। समय–समय पर कई अध्ययनों में यह बात सामने आयी है कि पीडीएस में 40 प्रतिशत तक लीकेज है। इसका मतलब यह है कि सरकार जो अनाज गरीबों के लिए सस्ती दर पर उपलब्ध कराती है, उसका बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में इस कानून के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और निगरानी का ठोस प्रबंध करने की जरूरत है। अब तक राज्यों ने ऐसा कोई प्लेटफार्म तैयार नहीं किया है जिस पर कोई भी नागरिक आसानी से यह जानकारी प्राप्त कर सके कि कितने लोग सस्ती दर पर अनाज पाने से वंचित रहे और कितने लोगों ने खाद्य सुरक्षा भत्तों का दावा किया है। साथ ही पीडीएस को प्रभावशाली बनाने के लिए अनाज की सार्वजनिक खरीद, भंडारण और परिवहन की व्यवस्था को भी उन्नत बनाने की जरूरत है। हाल के वर्षों में पीडीएस के तहत वितरित किए जाने वाले अनाज की आर्थिक लागत जिस कदर तेजी से बढ़ी है, उसे देखते हुए इस पूरे तंत्र को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है ताकि इस कार्यक्रम के चलते सरकार के राजकोष पर अधिक बोझ न पड़े।

(लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेलः hari.scribe@gmail.com

पत्रिकाओं के शुल्क की नई दरें

क्रम सं.	पत्रिका का नाम	एक प्रति का मूल्य	विशेषांक का मूल्य	वार्षिक शुल्क	द्विवार्षिक शुल्क	त्रिवार्षिक शुल्क
1.	योजना	22	30	230	430	610
2.	कुरुक्षेत्र	22	30	230	430	610
3.	आजकल	22	30	230	430	610
4.	बालभारती	15	20	160	300	420
5.	रोजगार समाचार	12	–	530	1000	1400

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का क्रियान्वयन: उपलब्धियां और चुनौतियां

–देवाशीष उपाध्याय

पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए 100 प्रतिशत राशनकार्डों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है तथा 71.13 प्रतिशत राशनकार्डों को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है। 29 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में खाद्यान्नों का ऑनलाईन आवंटन आरम्भ हो चुका है। 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कंप्यूटरीकृत आपूर्ति श्रृंखला शुरू की जा चुकी है। सतत प्रयासों के द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार का प्रयास किया जा रहा है और इसे अधिक पारदर्शी तथा लीकप्रूफ बनाने की कोशिश हो रही है।

आजादी के सात दशक व्यतीत हो जाने और देश के उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों से लैस हो जाने के बावजूद आबादी का बडा हिस्सा गरीबी और कुपोषण से ग्रस्त है। वैश्विक अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी के एक चौथाई हिस्से को एक वक्त का ही भोजन प्राप्त होता है।

संयुक्त राज्य संघ की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के लगभग दस लाख बच्चों की कुपोषण से मौत हो जाती है। दक्षिण एशिया में कुपोषण के मामले में भारत की सबसे बुरी हालत है। भारत के कुपोषण संबंधित आंकड़े अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से कई गुना अधिक है। विश्व बैंक ने कुपोषण की तुलना ब्लैक डेथ नामक महामारी से की है। सामान्यतः कुपोषण को चिकित्सीय समस्या माना जाता है। जबकि वास्तव में कुपोषण सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक कारकों का परिणाम है। कुपोषित महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चे भी कुपोषण और विकलांगता का शिकार हो जाते हैं। भारत में लगभग 47 फीसदी बच्चे कुपोषण का शिकार बताए जाते हैं। संतुलित आहार व स्वच्छता का अभाव कुपोषण का प्रमुख कारण है। समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता और बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में कृषि उत्पादकता असंतुलन के कारण देश का एक बड़ा हिस्सा भोजन जैसी अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा है। केन्द्र सरकार ने इसी चुनौती से निपटने और समाज के गरीब एवं वंचित वर्ग को संतुलित आहार, उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) लाया गया जोकि सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया हालांकि ये 5 जुलाई 2013 से ही प्रभावी हो गया था।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में देश के गरीब नागरिकों को राजकीय सहायता पर अनाज प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। इसके अंर्तगत संपूर्ण जनसंख्या के 79.56 प्रतिशत हिस्से को कवर किया गया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र की 50 प्रतिशत आबादी को कवर किया गया है। योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) के वर्ष 2011–12 में एनएसएस पारिवारिक उपभोग सर्वेक्षण आंकड़ों का प्रयोग कर राज्यवार कवरेज का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया गया और राज्यवार 'इनक्लूजन अनुपात' भी उपलब्ध कराया गया है। अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) में निर्धनतम परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले प्राथमिकता परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न अर्थात चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमशः रुपये 3/2/1 प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्त मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है।

भारत में कुपोषण व गरीबी की चुनौती से निपटने तथा आम जनमानस को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 देश के सभी 36 राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों ने अपने–अपने राज्यों की पूर्ववर्ती खाद्यान्न वितरण योजना के स्थान पर लागू कर दिया है जिसके अंतर्गत राज सहायता पर प्रतिमाह 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम

की दर से क्रमशः चावल/गेहूं/मोटा अनाज का वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य द्वारा टीपीडीएस के अन्तर्गत निर्धारित कवरेज के अंदर अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) में लागू दिशा–निर्देशों के अनुरूप और शेष प्राथमिकता परिवार चयन दिशा–निर्देशों के अनुरूप पात्र परिवारों की पहचान कर दो तरह के कार्ड निर्गत किए गए हैं। अति निर्धन को अंत्योदय कार्ड तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले को प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) कार्ड प्रदान किया गया है। खाद्य सुरक्षा कानून द्वारा राजसहायता पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर सरकार देश से भुखमरी और कुपोषण समाप्त करने का प्रयास कर रही है।

संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 47 में राज्य को पोषाहार–स्तर और जीवन–स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है जिसके क्रम में केंद्र व राज्य सरकारें स्वतंत्रता के बाद गरीबों को राजकीय सहायता पर खाद्यान्न प्रदान करने के लिए समय–समय पर 'काम के बदले अनाज', सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना जैसी अनेक लोक कल्याणकारी योजना चलाती रही है। परन्तु भ्रष्टाचार जन–जागरूकता के अभाव और राष्ट्रीय–स्तर पर खाद्य सुरक्षा कानून के अभाव के कारण गरीबों को इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा था। केन्द्र सरकार ने इस कानून द्वारा गरीबों को राज सहायता पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकारी बनाया।

सरकार का प्रमुख लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चिन्हांकित परिवारों को पात्रतानुसार रियायती दर पर खाद्य सामग्री का वितरण कराना तथा किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने हेतु समर्थन मूल्य पर खाद्यान्य का उपार्जन करना एवं उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। कुछ तकनीकी आपत्ति के बाद नवंबर 2016 में केरल व तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल होने के साथ ही देश के समस्त 36 राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के लगभग 80 करोड़ लोग इस कानून के दायरे में आ गए। केन्द्रीय खाद्यमंत्री श्री रामविलास पासवान ने बताया कि इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रतिमाह केन्द्र सरकार लगभग 11,726 करोड़ रुपये या प्रतिवर्ष लगभग 140700 करोड़ रुपये की सहायता दे रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों का विश्लेषण निम्नवत है–

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का क्रियान्वयन दो चरणों में आरम्भ हुआ। 1 जनवरी, 2016 को 28 जनपदों में तथा शेष 47 जनपदों में 1 मार्च, 2016 से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती योजना लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.डी.पी.एस.) की तीन श्रेणियों अंत्योदय, गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) और गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) को समाप्त करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में दो श्रेणियां बनायी गई हैं– अंत्योदय श्रेणी एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी। अंत्योदय श्रेणी में समाज के अति निर्धन परिवार को शामिल किया गया जिन्हें प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम चावल प्रदान करने के साथ ही साथ 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम चीनी प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी में प्रति यूनिट (व्यक्ति) 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है जिसमें 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 3 किलोग्राम गेहूं एवं 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम चावल प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंर्तगत कुल जनसंख्या के 79.56 प्रतिशत आबादी को कवर किया गया है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की 80 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र की 65 प्रतिशत आबादी को कवर किया गया है। उत्तर प्रदेश में अन्त्योदय राशनकार्ड–धारकों की संख्या 4094817 है जिसमें कुल 16325221 लाभार्थी शामिल हैं। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों की संख्या 29882329 है जिसमें कुल 133278254 लाभार्थी शामिल हैं।

राजस्थान

राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सभी 33 जिलों में लागू कर दिया है। राजस्थान में अंत्योदय कार्डधारकों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम गेहूं प्रति माह प्रदान किया जाता है और गरीबी रेखा से नीचे के प्राथमिकता परिवार (पात्र गृहस्थी) कार्डधारकों को प्रति यूनिट (व्यक्ति) 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह प्रदान किया जाता है। राजस्थान में अंत्योदय राशनकार्ड धारकों की संख्या 620652 है जिसमें कुल 2654694 लाभार्थी शामिल हैं। इसी प्रकार प्राथमिकता परिवार (पात्र गृहस्थी) कार्डधारकों की संख्या 9596683 है जिसमें कुल 41740509 लाभार्थी शामिल हैं। यहां प्रतिमाह लगभग 230215 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आम जनता को ऑनलाइन शिकायत करने तथा शिकायत के त्वरित निवारण का तंत्र विकसित किया गया है।

गुजरात

सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के पश्चात् गुजरात सरकार ने सभी 33 जनपदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दिया है। यहां अंत्योदय राशन कार्डधारकों की कुल संख्या 808222 है जिसमें कुल 4264893 लाभार्थी शामिल हैं। इसी प्रकार प्राथमिकता परिवार (पात्र गृहस्थी) कार्डधारकों की कुल संख्या 6296809 है जिसमें कुल 33362613 लाभार्थी सम्मिलित हैं। गुजरात में अंत्योदय कार्डधारकों को लगभग 25 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह मिलता है तथा 10 किलोग्राम चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह मिलता है। इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार नमक, चीनी और कैरोसिन तेल भी सब्सिडी पर वितरित करती है।

बिहार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बिहार के समस्त 38 जनपद की लगभग 8.57 करोड़ जनता को राज सहायता पर खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। बिहार राज्य में अंत्योदय कार्डधारकों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह 14 किलोग्राम गेहूं तथा 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह 21 किलोग्राम चावल प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी (पी.एच.एच.) श्रेणी के कार्डधारकों को प्रति यूनिट (व्यक्ति) 2 किलोग्राम गेहूं तथा 3 किलोग्राम चावल प्रदान किया जाता है। जनवरी माह में अंत्योदय योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में कुल 306024 किलोग्राम गेहूं और 459033 किलोग्राम चावल जबकि पात्र गृहस्थी (पी.एच.एच.) कार्डधारकों को 1301766 किलोग्राम गेहूं और 1952610 किलोग्राम चावल वितरित किया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की 85 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या को कवर किया गया है। जन वितरण प्रणाली लागू करने के लिए बिहार राज्य में खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल इकाई बनाया गया है। इसके द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही तथा गड़बडी रोकने हेतु ईपीडीएस प्रणाली लागू की जा रही है। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को खाद्यान्न की मात्रा का सही तोल दिए जाने हेतु इलैक्ट्रॉनिक तोल मशीन की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 (2)(इ) के अंतर्गत परिवहन में उपयुक्त वाहन में जी.पी.एस. तथा लोड सेल का उपयोग किया जा रहा है। लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण से संबंधित स्वचालित एस.एम.एस. द्वारा जागरूक किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12(2)(क) के अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही का निर्धारण एम.आई.एस. द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त धारा 14 के अंतर्गत कॉल सेंटर और हेल्पलाईन द्वारा आम आदमी की शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश

1 मार्च, 2014 से मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू कर दिया गया। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मुख्य उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चिह्नांकित परिवारों को पात्रतानुसार रियायती दर पर खाद्य सामग्री का वितरण कराना और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों में अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के साथ–साथ 'प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) के रूप में 24 श्रेणियों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। प्राथमिकता परिवार की श्रेणियों में बीपीएल श्रेणी के अतिरिक्त 23 अन्य श्रेणियों के गैर–बीपीएल परिवारों को भी सम्मिलित किया गया है। अंत्योदय कार्डधारक परिवार को प्रतिमाह 26 किलोग्राम गेहूं और 9 किलोग्राम चावल एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है। प्राथमिकता परिवार श्रेणी के प्रति व्यक्ति (यूनिट) 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल, एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश में अंत्योदय योजना के अंतर्गत 1431652 परिवार कार्डधारक हैं जबकि प्राथमिकता परिवार के पात्र गृहस्थी कार्डधारकों की सं. 10425395 है। मध्य प्रदेश की 80 प्रतिशत ग्रामीण तथा 62 प्रतिशत शहरी आबादी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत कवर किया गया है।

हरियाणा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हरियाणा के सभी 22 जिलों में लागू हो गया है। हरियाणा की 55 प्रतिशत ग्रामीण तथा 41 प्रतिशत शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है। हरियाणा में अंत्योदय राशनकार्ड धारकों की संख्या 2.56 लाख है जिसमें कुल 11.03 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और प्राथमिकता परिवार (पात्र गृहस्थी) के अंतर्गत 26.8 लाख लोग कार्डधारक हैं जिसमें कुल लाभान्वित की संख्या 121.33 लाख है। हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जा रहा है तथा प्राथमिकता परिवार (पात्र गृहस्थी) कार्डधारकों को प्रति यूनिट (व्यक्ति) प्रतिमाह 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम गेहूं प्रदान किया जा रहा है।

पंजाब

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पंजाब में भी सभी जिलों में लागू हो गया है। पंजाब की 55 प्रतिशत ग्रामीण तथा 45 प्रतिशत शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है। पंजाब में अंत्योदय योजना के अंतर्गत 121517 परिवार कार्डधारक हैं जिसमें कुल 438444 लाभार्थी शामिल हैं। प्राथमिकता परिवार (पात्र गृहस्थी) योजना के अंतर्गत 3513910 परिवार कार्डधारक हैं जिसमें कुल 13555303 लाभार्थी शामिल हैं। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जा रहा है।

असम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम असम के सभी 27 जिलों में दिसंबर 2015 से लागू हुआ जिससे लगभग 2.52 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। असम में अंत्योदय राशन कार्डधारकों की संख्या 691521 है जिससे 2885570 लोग लाभान्वित हो रहे हैं तथा प्राथमिकता परिवार (पात्र गृहस्थी) वाले कार्डधारकों की संख्या 5065669 है जिससे 21664878 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। असम में अंत्योदय कार्डधारकों को प्रतिमाह 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम चावल मिलता है तथा प्राथमिकता परिवार (पात्र गृहस्थी) को प्रति यूनिट (व्यक्ति) प्रतिमाह 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जनसंख्या का कवरेज

क्र0 सं0	राज्य/संघशासित प्रदेश	जनसंख्या (2011 की जनगणना) (लाख)			टीपीडीएस के तहत प्रतिशत कवरेज		कवर किए जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख)		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	नया आंध्र प्रदेश	328.41	165.36	493.77	60.96	41.14	200.20	68.03	268.23
2	अरुणाचल प्रदेश	10.69	3.13	13.83	66.31	51.55	7.09	1.62	8.71
3	असम	267.81	43.89	311.69	84.17	60.35	225.41	26.49	251.90
4	बिहार	920.75	117.30	1038.05	85.12	74.53	783.74	87.42	871.16
5	छत्तीसगढ़	196.04	59.37	255.40	84.25	59.98	165.16	35.61	200.77
6	दिल्ली	4.19	163.34	167.53	37.69	43.59	1.58	71.20	72.78
7	गोवा	5.51	9.06	14.58	42.24	33.02	2.33	2.99	5.32
8	गुजरात	346.71	257.13	603.84	74.64	48.25	258.78	124.06	382.85
9	हरियाणा	165.31	88.22	253.53	54.61	41.05	90.28	36.21	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	61.68	6.89	68.57	56.23	30.99	34.68	2.13	36.82
11	जम्मू और कश्मीर	91.35	34.14	125.49	63.55	47.10	58.05	16.08	74.13
12	झारखंड	250.37	79.29	329.66	86.48	60.20	216.52	47.73	264.25
13	कर्नाटक	375.53	235.78	611.31	76.04	49.36	285.55	116.38	401.93
14	केरल	174.56	159.32	333.88	52.63	39.50	91.87	62.93	154.80
15	मध्य प्रदेश	525.38	200.60	725.98	80.10	62.61	420.83	125.59	546.42
16	महाराष्ट्र	615.45	508.28	1123.73	76.32	45.34	469.71	230.45	700.17
17	मणिपुर	20.22	8.34	28.56	88.56	85.75	17.91	7.15	25.06
18	मेघालय	23.69	5.95	29.64	77.79	50.87	18.43	3.03	21.46
19	मिजोरम	5.29	5.62	10.91	81.88	48.60	4.33	2.73	7.06
20	नगालैंड	14.07	5.74	19.81	79.83	61.98	11.23	3.56	14.79
21	ओडीशा	349.51	69.96	419.47	82.17	55.77	287.19	39.02	326.21
22	पंजाब	173.17	103.87	277.04	54.79	44.83	94.88	46.57	141.45
23	राजस्थान	515.40	170.81	686.21	69.09	53.00	356.09	90.53	446.62
24	सिक्किम	4.56	1.52	6.08	75.74	40.36	3.45	0.61	4.07
25	तमिलनाडु	371.89	349.50	721.39	62.55	37.79	232.62	132.08	364.69
26	तेलंगाना	234.71	118.18	352.89	60.96	41.14	143.08	48.62	191.70
27	त्रिपुरा	27.10	9.61	36.71	74.75	49.54	20.26	4.76	25.02
28	उत्तर प्रदेश	1551.11	444.70	1995.81	79.56	64.43	1234.06	286.52	1520.59
29	उत्तराखंड	70.26	30.91	101.17	65.26	52.05	45.85	16.09	61.94
30	पश्चिम बंगाल	622.14	291.34	913.48	74.47	47.55	463.31	138.53	601.84
31	अंडमान एवं निकोबार	2.44	1.36	3.80	24.94	1.70	0.61	0.02	0.63
32	चंडीगढ़	0.29	10.26	10.55	38.54	47.26	0.11	4.85	4.96
33	दादर एवं नगर हवेली	1.83	1.60	3.43	84.19	51.54	1.54	0.82	2.36
34	दमन एवं दीव	0.60	1.83	2.43	26.66	56.47	0.16	1.03	1.19
35	लक्षद्वीप	0.14	0.50	0.04	35.30	33.56	0.05	0.17	0.22
36	पुडुचेरी	3.94	8.50	12.44	59.68	46.94	2.35	3.99	6.34
	कुल	**8332.10**	**3771.18**	**12103.28**	**75.00**	**50.00**	**6249.30**	**1885.61**	**8134.92**

स्रोतः–उभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और वितरण, भारत सरकार

प्रदान किया जा रहा है। असम के 84 प्रतिशत ग्रामीण और 60 प्रतिशत शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है।

गोवा

गोवा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिसंबर 2015 से लागू हुआ जिससे लगभग 5 लाख 11 हजार लोग लाभान्वित हो रहे हैं। गोवा के 42 प्रतिशत ग्रामीण और 33 प्रतिशत शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है। गोवा में अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिमाह 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम चावल तथा प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) को प्रति यूनिट (व्यक्ति) 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल प्रदान किया जा रहा है। गोवा में अंत्योदय कार्डधारकों की कुल संख्या 12621 है तथा प्राथमिकता परिवार के कार्डधारकों की कुल संख्या 125721 है।

अरुणाचल प्रदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अरुणाचल प्रदेश के सभी 21 जनपदों में लागू है। इसके अंतर्गत 51.55 प्रतिशत शहरी आबादी और 66.31 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को कवर किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में अंत्योदय कार्डधारकों की कुल संख्या 37383 है जिससे कुल 147310 लोग लाभान्वित हो रहे हैं और प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) श्रेणी के कुल कार्डधारकों की संख्या 138959 है जिससे कुल 673811 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रतिमाह 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम चावल प्रदान किया जा रहा है और प्राथमिकता परिवार को प्रति यूनिट (व्यक्ति) 5 किलोग्राम चावल दिया जा रहा है।

सिक्किम

सिक्किम के सभी 4 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो गया है। इसके अंतर्गत 76 प्रतिशत ग्रामीण और 40 प्रतिशत शहरी आबादी को कवर किया गया है। सिक्किम में अंत्योदय कार्डधारकों की कुल संख्या 16501 और पात्र गृहस्थी (पीएचएच) राशन कार्डधारकों की कुल संख्या 80545 है। यहां अंत्योदय कार्डधारकों को प्रतिमाह 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम चावल और पात्र गृहस्थी श्रेणी को प्रति यूनिट (व्यक्ति) 5 किलोग्राम चावल वितरण हो रहा है।

खाद्य सुरक्षा योजना की सफलता हेतु सुझाव

खाद्य सुरक्षा योजना अपने उद्देश्य में सफल हो, इसके लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्वि भी आवश्यक है। इसके लिए केंद्र सरकार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी राज्यों को कृषि में वैज्ञानिक व तकनीकी सहायता देने के साथ ही साथ उन्नत किस्म के बीज एवं खाद के अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान कर रही है। कृषि उत्पादन में वृद्वि के साथ ही साथ खाद्यान्न संरक्षण की दिशा में भी सरकार प्रयासरत है जिससे खाद्यान्न को नष्ट होने से बचाया जा सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सहयोग से संचालित हो रही है। केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद, भण्डारण, ढुलाई तथा आवंटन का कार्य करती है। राज्य सरकारें लक्षित परिवारों की पहचान, राशनकार्ड जारी करना और उचित दर की दुकानों द्वारा खाद्यान्न के वितरण का पर्यवेक्षण करने के साथ ही अन्य प्रचालनात्मक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में खाद्यान्न वितरण के अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 6 माह से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के अंतर्गत निर्धारित पौष्टिक मानदंडों के अनुसार भोजन प्रदान करने का भी प्रावधान है। 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च–स्तर के पोषण संबंधी मानदंड निर्धारित किए गए हैं। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत 6000 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए राशनकार्ड में परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माने जाने का प्रावधान किया गया है।

खाद्यान्न वितरण में होने वाले भ्रष्टाचार एवं अनियमितता को रोकने के लिए जिला और राज्य–स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने के साथ ही साथ सभी 36 राज्य व संघ राज्य क्षेत्र में टोल फ्री नंबर और ऑनलाईन शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था भी की गई है। योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित रिकार्डों को सार्वजनिक करने तथा सामाजिक लेखा परीक्षा करने और सतर्कता समितियों के गठन का भी प्रावधान किया गया है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा संस्तुत राहत का अनुपालन न करने के मामले में राज्य खाद्य आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारी अथवा प्राधिकारी पर दंड लगाए जाने का प्रावधान है। 3 संघ राज्य क्षेत्रों–चंडीगढ़, पुडुचेरी तथा दादरा एवं नगर हवेली में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) स्कीम के अंतर्गत खाद्यान्नों हेतु नकद अंतरण की व्यवस्था कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत कुल 9.14 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है तथा प्रतिमाह कुल 11.98 करोड़ रुपये की धनराशि अंतरित की जा रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 सहपठित धारा 39(2)(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 जनवरी, 2015 को केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श के उपरांत खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015 पारित किया जिसके अनुसार यदि किसी हकदार व्यक्ति को खाद्यान्न प्राप्त नहीं होता है तो लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा। भत्ते की रकम की गणना उक्त विपणन सत्र के खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुना और अधिनियम की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट मूल्य के अंतर के आधार पर की जाएगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकारें के साथ ही साथ राज्य सरकार सतत प्रयासरत हैं। परंतु कुछ अपात्र लोगों के भी पात्र गृहस्थी अथवा अंत्योदय के राशनकार्ड बन गए हैं। पात्र गृहस्थी श्रेणी वाले अंत्योदय श्रेणी में राशनकार्ड बनवा कर अनुचित लाभ ले रहे हैं। चूंकि कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाईन फॉर्म भरना था और वास्तविक आय के स्रोत की जांच के समुचित सरकारी तंत्र की उपलब्धता का अभाव होने के कारण लोगों ने अपनी आय कम बताई तथा बाद में समुचित निरीक्षण नहीं हो पाने के कारण ऐसी अनियमितता है। इसी तरह गोदामों में खाद्यान्न के संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रबंधन के अभाव के कारण बड़े पैमाने पर खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं तथा परिवहन एवं खाद्यान्न वितरण में होने वाली अनियमितता के कारण भी कुछ खाद्यान्न बिचौलियों द्वारा अवैध रूप से संग्रहित कर लिया जाता है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से देश के प्रत्येक हिस्से में गरीब से गरीब व्यक्ति को राज सहायता पर केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है यद्यपि खाद्यान्न वितरण में कुछ सुधार अभी अपेक्षित है।

(लेखक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, आगरा में अभिहित अधिकारी हैं।)

ई–मेल dewashishupadhy@gmail.com

'खाद्य सुरक्षा' से 'पोषण सुरक्षा' की ओर

–गिरिजेश सिंह महरा एवं प्रतिभा जोशी

बच्चों एवं वयस्कों में रतौंधी तथा महिलाओं में अनीमिया हमारे देश में बड़ी चुनौती है जिसके निवारण हेतु सरकार कितने सरकारी कार्यक्रम एवं शिविर करती है परंतु उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आज समय की मांग है कि किसानों को पारंपरिक किस्मों के बजाय उन्नत एवं पौष्टिक फसल किस्मों का उत्पादन करना चाहिए जिससे महत्वपूर्ण पोषक तत्व (विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, जिंक, बीटा कैरोटीन, लाईकोपीन इत्यादि) स्वयं ही भोजन चक्र में शामिल हो जाएं तथा अलग से पोषण हेतु दवाईयां न लेनी पड़े तथा भोजन मात्र पेट भरने का साधन नहीं वरन पोषक तत्वों से भरपूर हो।

खाद्य सुरक्षा का अर्थ, देश के हर नागरिक तक भोजन उपलब्धता को समझा जाता है जबकि खाद्य सुरक्षा केवल देश के नागरिकों तक भोजन पहुंचाना नहीं वरन भोजन द्वारा उचित मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता भी है। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा व्यक्ति के मूलभूत अधिकार को परिभाषित करती है। अपने जीवन के लिए हर किसी को निर्धारित पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण यह भी है कि भोजन की जरूरत नियत समय पर पूरी हो। मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा (1948) का अनुच्छेद 25 (1) कहता है कि हर व्यक्ति को अपने और अपने परिवार का बेहतर जीवन–स्तर बनाने, स्वास्थ्य की स्थिति प्राप्त करने का अधिकार है जिसमें भोजन, कपड़े और आवास की सुरक्षा शामिल है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) ने 1965 में अपने संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की कि मानवीय समाज की भूख से मुक्ति सुनिश्चित करना उनके बुनियादी उद्देश्यों में से एक है।

खाद्य उत्पादन की वृद्धि का सीधा सम्बन्ध समाज की खाद्य सुरक्षा की स्थिति से नहीं है, देश के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसमें गैर–खाद्यान्न पदार्थों जैसे तेल, शक्कर, दूध, मांस, अण्डे, सब्जियां और फल का हिस्सा कुल उपभोग का 60 फीसदी है। ऐसी स्थिति में यदि हम चाहते हैं कि लोगों तक खाद्य पदार्थों की सहज पहुंच हो तो इन गैर–खाद्यान्न पदार्थों के बाजार को नियंत्रित करना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि 1951 से अब तक देश के खाद्यान्न उत्पादन में पांच गुना बढ़ोतरी हुई है पर गरीब की खाद्य सुरक्षा अभी सुनिश्चित नहीं हो पायी है। सारिणी–1 से स्पष्ट होता है कि 2001–02 से 2012–13 की समयावधि में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ी है पर साथ में कुपोषण एवं महिलाओं मे अनीमिया की समस्या भी गंभीर होती जा रही है।

खाद्य असुरक्षा ने भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला है। यह विडंबनापूर्ण है कि भारत देश जहां आर्थिक उन्नति तेजी से हो रही है एवं जिसका उत्पादन 2646 लाख टन हो वो देश अपने देशवासियों के बीच घर कर चुकी कुपोषण की समस्या का समाधान न कर पा रहा हो। विश्व के 27 प्रतिशत कुपोषित लोग भारत में रहते हैं, अभी भी भारत का 1/3 भाग गरीबी रेखा से नीचे है जो दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज है तथा गोदामों में रखा 5 करोड़ टन अनाज बिना गरीबों तक पहुंचे हुए सड़ता है। यही नहीं भारत में किसान कृषि त्यागना चाहते हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 15.87 करोड़ बच्चे हैं जिनमें 8.29 करोड़ लड़के एवं 7.58 करोड़ लड़कियां हैं (सारिणी–2)। भारत में प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ नए बच्चों का जन्म होता है। इस हिसाब से भारत विश्व में सबसे अधिक बच्चों का देश है जहां विश्व का हर पांचवां बच्चा भारत में रहता है परंतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बावजूद भारत विश्व के 40 प्रतिशत कुपोषित बच्चों का देश है जहां हर साल 25 लाख बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं। फलस्वरूप भारत देश विश्व के सर्वाधिक कुपोषित देशों जैसे बांग्लादेश, इथोपिया एवं नेपाल के साथ खड़ा नजर आता है।

सारिणी 1: भारत में खाद्यान्न और दाल की सकल उपलब्धता

खाद्यान्न और दाल की सकल उपलब्धता वर्ष	उपलब्ध मात्रा (मिलीयन टन)		प्रति व्यक्ति एकल उपलब्धता (ग्राम प्रतिदिन)		
	अनाज	दालें	अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
2001	145.6	11.3	386.2	32.0	458.0
2002	175.9	13.6	458.7	35.4	417.0
2003	159.3	11.3	408.5	29.1	437.6
2004	169.1	14.2	426.9	35.8	462.7
2005	157.3	12.7	390.9	31.5	422.4
2006	168.8	13.3	412.8	32.5	445.3
2007	169.0	14.7	407.4	35.5	442.8
2008	165.9	17.6	394.2	41.8	436.0
2009	173.7	15.8	407.0	37.0	444.0
2010	173.8	15.3	401.7	35.4	437.1
2011	180.1	18.9	410.6	43.0	453.1
2012	181.0	18.4	408.6	41.7	450.3
2013	210.3	18.8	468.9	41.9	510.8

स्रोतः भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15

स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने उल्लेख किया कि "कुपोषण की समस्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए शर्म की बात है ...मैं पूरे राष्ट्र से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी मेहनत से कुपोषण को अगले पांच वर्षों में जड़ से मिटा दें।"

सारिणी–2: भारत में बाल कुपोषण का ब्यौरा

कुल बाल जनसंख्या	15.87 करोड़ बच्चे (8.29 करोड़ लड़के एवं 7.58 करोड़ लड़कियां)
जन्म दर	2–5 करोड़ प्रति वर्ष
बाल उत्तरजीविता	1–75 करोड़ प्रति वर्ष
बाल मृत्यु दर	80 लाख प्रति वर्ष
लिंग अनुपात	914/1000 (जनगणना 2001 में लिंग अनुपात 927/1000 था)
नवजात शिशु मृत्यु दर	47 प्रति 1000 नवजात शिशु
पांच वर्ष के भीतर मृत्यु दर	59 प्रति 1000 बालक
कम वजन के साथ जन्में शिशु	55 लाख प्रति वर्ष
कम वजन दर (पांच वर्ष के भीतर)	42–5 प्रतिशत
अनीमिया दर	79 प्रतिशत (6–35 माह के बालक)
प्रतिरक्षण दर (पोलियो व अन्य हेतु)	44 प्रतिशत (कुल बच्चों का)

स्रोतः जनगणना 2011 एवं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3

टाइम्स ऑफ इंडिया (2015) के अनुसार पूरे विश्व में अकेले भारत में 5 साल के भीतर के शिशुओं की सर्वाधिक मृत्यु दर (22 प्रतिशत) है जिसमे से 50 प्रतिशत शिशुओं (5 साल के भीतर) की मृत्यु का कारण कुपोषण है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में कम भार के शिशु सर्वाधिक हैं जिसका कारण कुपोषण है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2015 के अनुसार भारत कुपोषण के कारण विश्व में सर्वाधिक भूख वाले 20 देशों की श्रेणी में आता है। भारत में 52 प्रतिशत शादीशुदा महिलाओं को अनीमिया है तथा औसतन प्रति मिनट एक बच्चा कुपोषण के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। यही नहीं भारत की 14 प्रतिशत महिलाएं तथा 18 प्रतिशत पुरुष ओबेसिटी (मोटापा) के शिकार हैं।

भारत में प्रति व्यक्ति औसतन कैलोरी खपत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2233 तथा शहरों के लिए 2206 है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 तथा शहरों में 2200 कैलोरी खपत से नीचे वाले व्यक्तियों को गरीबी–रेखा से नीचे रखा गया है यानी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगो को उचित कैलोरी नहीं मिल पा रही है। यही नहीं देश में 40 प्रतिशत बच्चों एवं 60 प्रतिशत महिलाओं में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी है जो उनके बौद्धिक एवं शारीरिक विकास पर गहरा असर डाल रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा है तथा कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण दोनों पर ही असर डालता है। पर भारत की कृषि आज चौतरफा चुनौतियों तथा संभावनाओं से घिरी हुई है जहां नीतिधारकों को कृषि में कुछ ऐसे बदलाव लाने होंगे जिससे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कुपोषण की समस्या को सुलझाया जा सके।

अच्छी पोषण एवं शारीरिक स्थिति विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यद्यपि राष्ट्रीय–स्तर पर विभिन्न नीतियों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के पोषण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं परंतु कुपोषण अभी भी विद्यमान है। भारत में पांच साल से कम उम्र के 43.5 प्रतिशत बच्चे एवं 50 प्रतिशत महिलाएं कुपोषण एवं अनीमिया (रक्त की कमी) का शिकार हैं। कुपोषण एवं अल्पपोषण का शिकार ग्रामीण समुदायों की महिलाएं एवं बच्चे ज्यादा हैं जहां आहार विविधता सीमित है। कुपोषण बच्चों में कम बुद्धि व अंधापन का एक कारण है तथा महिलाओं में अनीमिया का महत्वपूर्ण कारक है। कुपोषण एवं अल्पपोषण हमारे अस्तित्व, विकास, स्वास्थ्य, उत्पादकता, और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। प्राथमिक रूप से कुपोषण के मुख्य कारक महिलाओं में ऊर्जा की कमी, जन्म के समय शिशु का कम वजन, विटामिन ए, लौह तत्व एवं आयोडीन की कमी आदि हैं। पोषण संबंधी शिक्षा एवं संतुलित आहार की जानकारी की कमी कुपोषण को बढ़ावा देती है। इंडियन कौंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने एक व्यक्ति के लिए कितना पोषण जरूरी है, उसे कैलोरी के अनुसार मापदंड तय किया है। आईसीएमआर के मुताबिक एक औसत भारतीय के लिए भारी काम करने वालों के लिए रोजाना 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति और कम शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के

लिए 2100 कैलोरी पोषण जरूरी है। पोषण सुरक्षा का मतलब यह भी है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन–चक्र में ऐसे विविधतापूर्ण पर्याप्त मात्रा में भोजन की पहुंच सुनिश्चित होना जिसमें जरूरी कार्बोहाईड्रेट, प्रोटीन, वसा, सूक्ष्म पोषण तत्व की उपलब्धता हो। कुपोषण को भोजन की उपलब्धता और उसके वितरण के नजरिए से देखा जाना आवश्यक है।

आहार का सेहत पर बहुत असर पड़ता है। हम जो भी खाते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हमारा आहार संतुलित हो। संतुलित आहार शरीर का निर्माण ही नहीं करता, बल्कि इसका उचित चुनाव औषधि का काम करके हमें रोगों से बचाता और उनसे लड़ने की ताकत देता है। एक स्वस्थ जीवन हेतु संतुलित आहार का अंतर्ग्रहण अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक खाद्य वर्ग से उचित मात्रा में खाद्य पदार्थों को आहार में सम्मिलित कर व्यक्ति अपने आहार को संतुलित बना सकता है। आहार के संतुलित होने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा उचित रूप में उपस्थित हो। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल सम्मिलित हैं। एक स्वस्थ एवं संतुलित आहार में बीमारियों को रोकने, हमें उत्तम स्वास्थ्य स्थिति प्राप्त करने तथा हमारे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने की शक्ति होती है।

सारिणी–3: इंडियन कौंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 5 सदस्य परिवार के लिए मासिक जरूरत

सदस्य	अनाज (किलो)	दाल (किलो)	खाद्य तेल (ग्राम)
औसत मेहनत करने वाला पुरुष	14.4	2.7	1050
औसत मेहनत करने वाली महिला	10.8	2.25	900
1–6 वर्ष का बच्चा	5	1.1	675
7–12 वर्ष का बच्चा	9	1.8	750
बुजुर्ग	9	1.8	675
कुल	48.2	9.65	4050

स्रोतः हैदराबाद स्थित इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रकाशित (न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ इंडियन फूडस) रीप्रिंट 2004

एक व्यक्ति को आहार में कौन–कौन से खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए इसके लिए हम फूड गाइड पिरामिड का संदर्भ ले सकते हैं। इस पिरामिड में विभिन्न खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। पिरामिड में जो खाद्य पदार्थ सबसे नीचे दिए गए हैं, वह सर्वाधिक आवश्यक और शरीर के विकास के लिए सबसे लाभकारी भी है।

चुनौतियां एवं अवसर

1. छोटी होती हुई कृषि जोत एवं खाद्य उत्पादन का संकट

वर्तमान में कृषि हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में 13.7 प्रतिशत का योगदान देती है (1990 में कृषि का योगदान 30 प्रतिशत था)। भारतीय कृषि में 85 प्रतिशत से ज्यादा छोटे व

सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसतन उपलब्ध कृषि जोत केवल 1.15 हेक्टेयर है जो लगातार हो रहे निर्माण कार्य के कारण घटती जा रही है। जहां एक ओर कृषि उपलब्ध भूमि घटती जा रही है वहीं दूसरी तरफ खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती जनसंख्या के कारण और बढ़ती जा रही हैं जिससे खाद्य सुरक्षा का संकट देश के सामने खड़ा हो गया है। भारत जो जनसंख्या में 2025 में चीन को पीछे छोड़ देगा उसे पूर्ण खाद्य सुरक्षा हेतु सन् 2050 तक अपना खाद्य उत्पादन लगभग दुगुना करना होगा जो घटते हुए कृषि जोत के कारण एक दुर्गम लक्ष्य है।

सारिणी 4: भारत में सन् 2050 में विभिन्न खाद्य पदार्थों की मांग

विभिन्न खाद्य पदार्थों की मांग	2010–11	2050
जनसंख्या (करोड़)	122.46	165
औसतन कैलोरी (किलो कैलोरी/व्यक्ति)	2500	3000 से अधिक
अनाज (करोड़ टन)	24	40
फल एवं सब्जियां (करोड़ टन)	20	54
दूध (करोड़ टन)	12	37.5

स्रोतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (2015) : विजन 2050

ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों को अपने शोध से उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता को बढ़ाना होगा। फसलों (खासतौर पर फल एवं सब्जियां) की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को न्यूनतम करना होगा तथा प्राकृतिक संसाधन (जल, मिट्टी इत्यादि) का संरक्षण करते हुए छोटे किसानों को संयुक्त कर उन्नत एवं नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रसार करना होगा।

2 खाद्य उत्पादन तथा कुपोषण

हमारे देश में अधिकतर लोग शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं जिससे उनकी पोषण सुरक्षा में विभिन्न फसलों की

अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न तरह के पोषक तत्वों से भरपूर अनाज, फल व सब्जियों के उपभोग में वृद्वि से कम कीमत में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पोषण सुरक्षा की जा सकती है। हमारे देश में कुपोषण व कम पोषण से होने वाली बीमारियों की वजह से सब्जियों का काफी महत्व है। सब्जियां हमारे भोजन को आसानी से पचने योग्य, संतुलित तथा पोषणयुक्त बनाती हैं। कुपोषण को सुधारने के लिए डाइटीशियन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी का उपयोग आवश्यक बताते हैं। सब्जियों में पोषक तत्व जैसे विटामिन, लवण व स्वास्थ्य जैव रसायन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं (सारिणी–5) जिनके कारण इनका खाद्य, स्वास्थ्य व पोषण सुरक्षा में विशेष महत्व है। दैनिक आहार में सब्जियों का अधिक मात्रा में उपभोग से स्वास्थ्य बेहतर होता है। सब्जी फसलों की खेती से हम सीमित भूमि पर कम समय में अधिक उत्पादन ले सकते हैं जिससे कृषि पद्धति की उत्पादकता में काफी वृद्धि होती है तथा किसानों को अधिक लाभ मिलता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए दैनिक भोजन में सब्जियों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिए उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि अति आवश्यक है। इसके लिए उन्नत किस्मों व संकर प्रजातियों एवं उत्पादन तकनीकों का उपयुक्त वातावरण के अनुसार उचित उपयोग आवश्यक है।

सारिणी 5 : विटामिन व लवणों से भरपूर सब्जी फसलें

पोषक तत्व	सब्जी फसलें
विटामिन ए	गाजर, पालक, चौलाई, करी पत्ता, धनिया पत्ता, केल
विटामिन बी	मटर, मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ता
विटामिन सी	शिमला मिर्च, बंदगोभी, करेला, चौलाई, पालक, खरबूजा, टमाटर
कैल्शियम	चौलाई, पालक, मैथी, प्याज, ब्रोकोली, केल
लौह तत्व	चौलाई, पालक, मैथी
आयोडीन	भिंडी, प्याज, एसपेरागस

आज भारत खाद्य उत्पादन में स्वावलम्बी तो हो गया है पर कुपोषण की समस्या को हल नहीं कर पाया जो भारत के भविष्य के लिए सबसे हानिकारक सिद्ध हो सकता है। पारंपरिक फसल किस्मों जिनकों गरीबों का भोजन समझा जाता था, आज उनके प्रसार का वक्त आ गया है। पोषक एवं पारंपरिक फसलें जैसे ज्वार, बाजरा का उत्पादन बढ़ने के साथ–साथ कृषि वैज्ञानिकों को पोषण को ध्यान मे रखते हुए बायो फोर्टिफाएड फसलों/किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देना होगा जिनमें स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व उपस्थित हो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कई अनुसंधान संस्थानों ने फसलों की पोषण वर्धक किस्मों का निर्माण किया है जिनका प्रसार आज समय की मांग है। इस कदम से खेत से भोजन की थाली तक का सफर पोषक तत्वों के साथ तय किया जा सकता है जिससे कुपोषण को दूर करने में निश्चित ही सहायता मिलेगी।

सारिणी 6 : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित पोषणयुक्त फसलों की उन्नत किस्में

फसल	किस्म का नाम	पोषण स्तर
गेहूं	एच आई 8627 (मालवकीर्ति) एच आई 8663 (पोषण) एच डी 4672 (मलवरतना) एच डी 2932 (पूसा गेहूं) एच आई 8498 (मालवशक्ति) एच आई 8713 (पूसा मंगल) एच आई 1563 (पूसा प्राची)	विटामिन ए का समृद्ध स्रोत दलिया सूजी एवं पास्ता बनाने के लिए समर्थ दलिया एवं सूजी बनाने के लिए समर्थ जिंक का समृद्ध स्रोत दलिया एवं सूजी बनाने के लिए समर्थ बीटा कैरोटीन, आयरन एवं जिंक का समृद्ध स्रोत आयरन, कॉपर एवं जिंक का समृद्ध स्रोत
चना	पूसा 372 (देशी) पूसा चमत्कार (बी जी 1053) (काबुली)	दाल एवं बेसन बनाने के लिए समर्थ भोजन हेतु उत्कृष्ट, पकने में सक्षम
मसूर	पूसा वैभव	आयरन का समृद्ध स्रोत
गाजर	पूसा वसुधा पूसा रुधिरा पूसा नयन ज्योति	बीटा कैरोटीन, लाईकोपीन एवं खनिज का समृद्ध स्रोत करोटीनौएड्स का समृद्ध स्रोत जड़ें बीटा कैरोटीन का समृद्ध स्रोत
सरसों सब्जी हेतु	पूसा साग 1	विटामिन सी एवं कैरोटीन का समृद्ध स्रोत
सरसों तेल हेतु	पूसा सरसों 29 (एल ई टी 36) पूसा सरसों 21 (एल ई एस 127) पूसा करिश्मा (एल ई एस 39) पूसा सरसों 30 (एल ई एस 43)	बहुत कम ईरुसिक एसिड ईरुसिक एसिड $< 2\%$ ईरुसिक एसिड $< 2\%$ 0% ईरुसिक एसिड
आम	पूसा श्रेष्ठ पूसा प्रतिभा पूसा लालिमा पूसा पीताम्बर	विटामिन सी एवं कैरोटीन का समृद्ध स्रोत विटामिन सी एवं कैरोटीन का समृद्ध स्रोत विटामिन सी एवं कैरोटीन का समृद्ध स्रोत विटामिन सी एवं कैरोटीन का समृद्ध स्रोत
अंगूर	पूसा नवरंग	एंटी आक्सीडेंट का समृद्ध स्रोत

स्रोत : भा. कृ. अनु. स. (2014), उच्च उत्पादकता एवं लाभ हेतु उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियां, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

बच्चों एवं वयस्कों में रतौंधी तथा महिलाओं में एनीमिया हमारे देश में बड़ी चुनौती है जिसके निवारण हेतु सरकार कितने सरकारी कार्यक्रम एवं शिविर करती है परंतु उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आज समय की मांग है, कि किसानों को पारंपरिक किस्मों के बजाय सारिणी–6 में उल्लेखित उन्नत एवं पौष्टिक फसल किस्मों का उत्पादन करना चाहिए जिससे महत्वपूर्ण पोषक तत्व (विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, जिंक, बीटा करोटीन, लाईकोपीन इत्यादि) स्वयं ही भोजन चक्र में शामिल हो जाएं तथा अलग से पोषण हेतु दवाईयां न लेनी पड़े तथा भोजन मात्र पेट भरने का साधन नहीं वरन पोषक तत्वों से भरपूर हो।

3 उर्वरक तथा कीटनाशकों से मृदा तथा मानव स्वास्थ्य को खतरा

फसलों के अच्छे एवं तुरंत उत्पादन हेतु किसानों द्वारा अंधाधुंध उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है जिसने ना सिर्फ मृदा को अनुपजाऊ कर दिया है वरन लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा कुप्रभाव डाला है। केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड तथा पंजीकरण समिति के अनुसार 2014 के अंत तक भारत में 256 कीटनाशकों का पंजीकरण हुआ है जिनमें से सबसे अधिक इन कीटनाशकों का उपयोग पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। भारतीय कृषि रसायन (कीटनाशक, खरपतवारनाशक, फंफूदीनाशक) का व्यापार लगभग 3.8 बिलियन यू एस डॉलर है जिसमें सबसे अधिक उत्पादन कीटनाशकों का होता है। आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि आजादी के बाद पिछले 50 सालों में उर्वरक तथा कृषि रसायनों का उपयोग 170 गुना बढ़ा है (1950 में उर्वरक उपयोग 0.55 किलोग्राम/हेक्टेयर था जो अब 90.12 किलोग्राम/हेक्टेयर है। उर्वरक के साथ–साथ कीटनाशकों का उपयोग 1971 में 24305 टन से बढ़कर 1994–95 में 61357 टन हो गया है, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा चलाए एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम द्वारा कीटनाशकों का उपयोग घटकर 43590 टन हो गया। भारत में 51 प्रतिशत खाद्य पदार्थों में कीटनाशक रसायनों के अवशेष पाए गए हैं तथा इन अंधाधुंध रसायनों के उपयोग से कीटनाशकों का जहर हमारे खाद्य चक्र में आ गया जिससे सिरदर्द, एलर्जी से लेकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां सामने आ रही हैं।

कृषि में आज जैविक खेती को अपनाने की अवश्यकता तो है पर प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या भारत देश बढ़ती खाद्य उत्पादन की मांग को जैविक खेती के आधार पर ही पूरा कर पाएगा तथा जैविक खेती द्वारा फसल को हानि करने वाले कीटों का प्रबंधन कैसे होगा। एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है तथा किसानो को भी कीटनाशकों के उचित उपयोग हेतु जागरूक करने की राष्ट्रीय–स्तर पर पहल होनी चाहिए।

पंजाब में हरितक्रांति के दौरान कृषि रसायनों का सर्वाधिक उपयोग किया गया। पंजाब सरकार के अनुसार पिछले 5 सालों में 34,430 व्यक्तियों की मृत्यु का कारण कृषि रसायनों द्वारा जनित कैंसर है। केरल के किसानों द्वारा खजूर की खेती में एंडोसल्फान लगातार उपयोग होने के कारण कितने ही शिशु जन्म से ही दिमागी तौर पर अस्वस्थ्य पैदा हो रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल में जारी अपनी रिपोर्ट में 20618 खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया जिसमें अधिकारियों ने पाया कि 18.7 प्रतिशत खाद्य पदार्थ में कीटनाशक अवशेष सुरक्षित सीमा से ज्यादा हैं तथा 12.5 प्रतिशत खाद्य पदार्थों में बैन कर दिए गए कीटनाशकों के अवशेष हैं जो सिरदर्द, एलर्जी, जनन रोग, मानसिक रोग एवं कैंसर कर सकते हैं।

कृषि से उत्पन्न होता है भोजन और भोजन स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। बढ़ती हुए आबादी, संसाधनों का ह्रास, मृदा का घटता स्वास्थ्य एवं कुपोषण ने खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि के समक्ष गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं जिनका हल कृषि की उन्नत तकनीकों एवं नवीनतम कृषि प्रसार द्वारा संभव है जिसके लिए कृषि वैज्ञानिकों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं नीतिधारकों को साथ मिलकर कदम बढ़ाना होगा तब भारत कुपोषण मुक्त एवं खाद्य सुरक्षित असर के मायने में एक स्वस्थ देश बनेगा।

(लेखक द्वय क्रमशः वैज्ञानिक, कृषि प्रसार संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा वैज्ञानिक, कृषि प्रौद्योगिकी आकलन एवं स्थांतरण केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली हैं।)

ई–मेल : girijeshmahra22@gmail.com

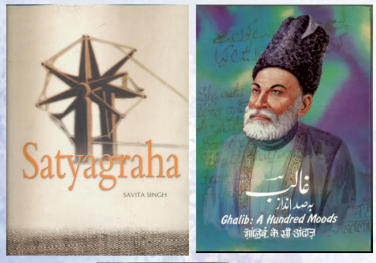

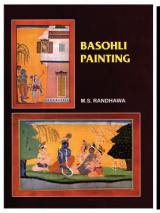

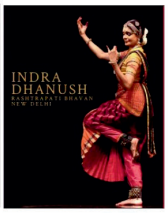

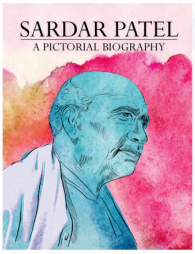

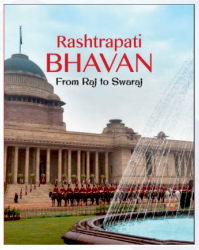

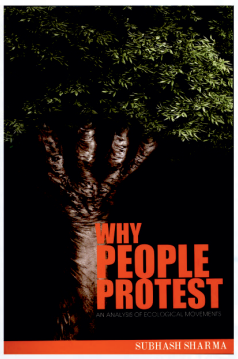

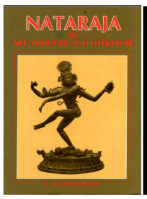

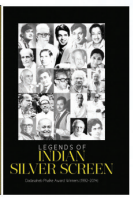

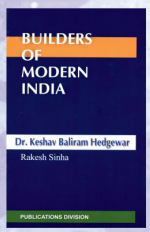

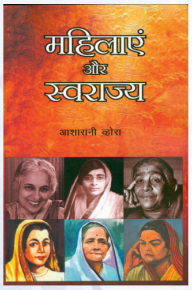

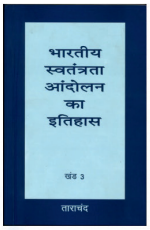

चुनी हुई पुस्तकें अब ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध

स्वतंत्रता संग्राम, आधुनिक भारत के निर्माता, इतिहास,
कला-संस्कृति, राष्ट्रपति भवन श्रृंखला और अन्य विभिन्न श्रेणियों की
पुस्तकों के लिए कृपया

भारतकोष पोर्टल
https://bharatkosh.gov.in/Product

अथवा

publicationsdivision.nic.in

पर जाएं।

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

अपनी प्रतियां सुरक्षित कराने एवं व्यापार संबंधी पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें: 011-24369549,24362927
ई- मेल:dpdonlinebooks@gmail.com

@DPD_India

@publicationsdivision

नमामि गंगे में जल्द ही जान फूंकेंगे युवा

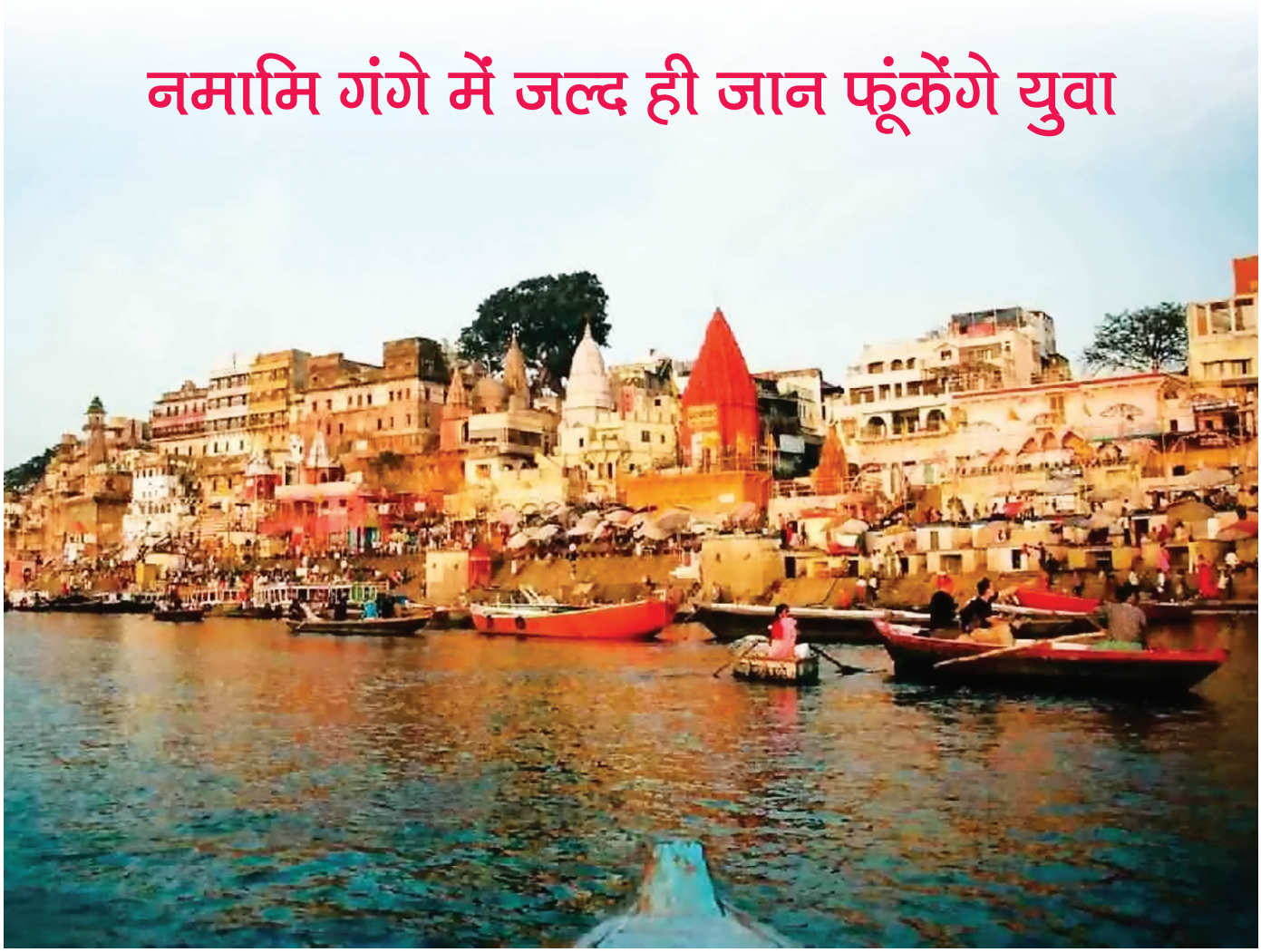

गंगा किनारे रहने वालों तथा वहां की यात्रा करने वालों को स्वच्छता की आदतें सिखाने के लिए जल्द ही युवा अलख जगाएंगे! गंगा नदी को प्रदूषित करने की बीमारी के प्रति व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लक्ष्य से हजारों युवाओं को स्वयंसेवक के रूप में तैयार किया जाएगा और स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों में गंगा को स्वच्छ रखने की भावना बढ़ाने के लिए उन्हें नदी किनारे गांवों में भेजा जाएगा।

केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'नमामि गंगे' के अंतर्गत उठाए जा रहे इस कदम के अंतर्गत युवाओं के उत्साह का उपयोग कर घरेलू तथा औद्योगिक कचरे के कारण तेजी से प्रदूषित हो रही नदी के संरक्षण में समाज के सभी वर्गों का समर्थन जुटाया जाएगा।

युवा मामले तथा खेल मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संगठन नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) को गंगा के बेसिन वाले राज्यों से 20,000 से अधिक युवकों तथा युवतियों को तैयार करने का जिम्मा दिया गया है ताकि वे "स्वच्छता दूत" के रूप में नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर सकें।

20,000 से अधिक जागरूक युवा प्रेरकों में से 50 उत्साही अग्रणी युवाओं की पहचान की जाएगी और सप्ताह भर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद अभियान के इन नेतृत्वकर्ताओं से स्वच्छ गंगा का संदेश फैलाने के लिए अपने–अपने क्षेत्र में युवाओं की सेना ले जाने को कहा जाएगा। यह सब कुछ ग्रामीण युवा क्लबों के परामर्श से किया जाएगा।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवा स्थानीय जनता तथा पर्यटकों का आह्वान करेंगे और उन्हें गंगा नदी को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। वे स्वच्छ गंगा जागरूकता अभियान की गाड़ी के नए पहिये होंगे। स्वच्छता दूत लक्षित व्यक्तियों को गंगा के प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में ही नहीं बताएंगे बल्कि वर्तमान सरकार की गतिविधियों जैसे शौचालयों का निर्माण, जल–संचयन तथा संरक्षण के बारे में जानकारी देने का भी कार्य करेंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ मिलकर समग्र डाटाबेस तैयार करने में भी उनका अमूल्य योगदान होगा।

परियोजना के अंतर्गत गंगा की घाटी वाले राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में नदी के किनारे बसे लगभग 2,336 गांवों वाले 29 जिलों में युवाओं को तैनात करने का विचार है। प्रत्येक जिले में एक परियोजना अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत मंजूर की गई है। ❑

राष्ट्रपति भवन पर तीन पुस्तकों का विमोचन

राष्ट्रपति भवन में 11 दिसंबर, 2016 को आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति भवन के विषय में तीन पुस्तकों का विमोचन किया गया। तीनों पुस्तकों का प्रकाशन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने किया है।

राष्ट्रपति भवनः फ्रॉम राज टु स्वराज

सुभद्रा सेनगुप्ता द्वारा बच्चों के लिए लिखी गई यह पुस्तक ब्रिटिश साम्राज्य के वैभव की निशानी गवर्नमेंट हाउस के रूप में निर्माण से लेकर भारत के राष्ट्रपति का आवास बनने तक राष्ट्रपति भवन की कहानी बताती है। यह पाठकों को अतीत की यात्रा कराती है, साम्राज्य की अवधारणा बताती है, ब्रिटिश साम्राज्य का संक्षिप्त इतिहास सुनाती है और बताती है कि किस तरह दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ। पाठक को राष्ट्रपति भवन की यात्रा कराई जाती है, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के गलियारों से पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिमाओं के पास से गुजरते हुए, ऊंची छतों वाले हॉल और भव्य कमरों की झलक दिखाई जाती है। पाठक को आलीशान मुगल गार्डन के फूलों की क्यारियों से सजे रास्तों और दीवारों, खंभों, दरख्तों, झाड़ियों, नक्काशी और चित्रों से रूबरू कराया जाता है, जो हमें मंत्रमुग्ध करने वाला रोमांचक किस्सा सुनाते हैं।

इंद्रधनुष खंड–II

इंद्रधनुष का वर्तमान अंक और प्रकाशन विभाग द्वारा जुलाई 2014 में प्रकाशित पिछला अंक भारत की सांस्कृतिक विरासत और कला एवं संस्कृति के संरक्षक की अनौपचारिक भूमिका निभाने वाले राष्ट्राध्यक्ष के समक्ष राष्ट्रपति भवन में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों की अनुभूतियों का संकलन है। वर्तमान पुस्तक में राष्ट्रपति भवन द्वारा 2014 के मध्य से सितंबर 2016 तक आयोजित संगीत, नृत्य, नाटक एवं सिनेमा प्रस्तुतियों का संक्षिप्त संकलन है। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में भारत के असाधारण कलाकारों की प्रस्तुतियों की रंगबिरंगी सांस्कृतिक झांकी पेश की गई है। इंद्रधनुष खंड–II में सभी संगीतज्ञों तथा उनके समूहों में शामिल कलाकारों ने राष्ट्रपति भवन में अपनी प्रस्तुतियों को अपने जीवन की अविस्मरणीय उपलब्धि बताया। इंद्रधनुष–II पाठकों को, जिन्हें प्रस्तुतियां देखने का अवसर नहीं मिल पाया, प्रत्येक प्रस्तुति और उसके यादगार क्षणों का अनुभव कराती है ताकि दर्शकों की ही तरह पाठक भी उस अनूठे अनुभव का आनंद उठा सकें।

लाइफ एट राष्ट्रपति भवन

लाइफ एट राष्ट्रपति भवन प्रलेखन कई खंडों की प्रतिष्ठित परियोजना का अंतिम भाग है और यह प्रेसिडेंट्स एस्टेट में रहने वालों के मानव इतिहास को दर्ज करने का प्रयास है। इसमें औपनिवेशिक शासन के अधीन काल से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल तक की अवधि के विषय में लिखा गया है तथा यहां के पुराने तथा वर्तमान निवासियों, घरों और सचिवालय में काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों तथा विभिन्न राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में काम कर चुके अधिकारियों के दृष्टिकोण समाहित किए गए हैं। यह स्थान बनने के बाद से अभी तक इससे जुड़े रहे अनगिनत व्यक्तियों के जीवन की कहानी इसमें दी गई है। इसके अध्याय बताते हैं कि सत्ता की कमान ब्रिटिश साम्राज्य से आधुनिक गणराज्य के हाथों में जाने के दौरान राष्ट्रपति भवन किस तरह बदलता रहा।

पुस्तक में दी गई जानकारी के लिए अभिलेखों से लेकर आज राष्ट्रपति भवन तथा एस्टेट में रहने वालों के कथनों तक को स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति भवन परिसर को आज की 'स्मार्ट' सिटी बनाने में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कितने महत्वपूर्ण योगदान किए हैं और उन बदलावों से वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है। यह बदलाव लाने में राष्ट्रपति भवन की टीम ने कितना संकल्प और एकजुटता दिखाई, यह भी इस पुस्तक में बताया गया है। ❑

डिजिटलीकरण से सुनिश्चित होगी सभी के लिए खाद्य सुरक्षा

–बालेन्दु शर्मा दाधीच

खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आए नए बदलावों की ओर कम लोगों का ध्यान गया है लेकिन देश में चल रही डिजिटल क्रांति से यह क्षेत्र भी अछूता नहीं है। डिजिटल इंडिया पहल और उसके साथ विभिन्न स्तरों पर घटित हो रहे नवाचारपूर्ण प्रयोगों ने खाद्य सुरक्षा, जन वितरण प्रणाली, कृषि, भंडारण और खाद्यान्न वितरण जैसे क्षेत्रों का कायाकल्प करना शुरू कर दिया है।

कुछ साल पहले लागू हुए महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सार्थकता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था कि भारत में खाद्यान्न इकट्ठा करने, उनके भंडारण और वितरण जैसी प्रक्रियाएं पारदर्शी हो। सही और पर्याप्त आंकड़ों के अभाव, वितरण प्रक्रियाओं में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, एकाधिक राशन कार्ड बनवाने जैसी प्रवृत्तियों की मौजूदगी में यह अधिनियम कामयाब नहीं हो सकता था। याद रहे, इस अधिनियम के तहत हजारों करोड़ रुपये की लागत से कोई 82 करोड़ लोगों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सुयोग से, डिजिटल माध्यमों ने सटीक तथ्यों को इकट्ठा करने, उनके आधार पर सटीक निर्णय लेने और अनेक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई, 2013 को अमल में आया था। हालांकि सभी राज्यों ने इसे एक साथ नहीं अपनाया। धीरे–धीरे इसे राज्यों में अपनाया गया और हाल ही में नवंबर 2016 में संपूर्ण देश में यह लागू हो गया है। इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बाध्य किया गया है कि वे पात्र लाभार्थियों को बेहद कम कीमत पर खाद्यान्न मुहैया कराएंगी। अधिनियम के तहत राज्य सरकारों के लिए सही लोगों तक रियायती दरों पर खाद्यान्नों की पूरी मात्रा की सप्लाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। यदि नागरिक और सामाजिक संगठन चाहे तो अधिनियम के तहत उपलब्ध मंचों का प्रयोग लक्षित जन–वितरण योजना (टीपीडीएस) पर अमल में दिखने वाली कमियों या सीमाओं की तरफ ध्यान खींचने के लिए भी कर सकते हैं। इन सबका

इस्तेमाल सबके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बनाई जाने वाली नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के संदर्भ में किया जाना है।

सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कर चुके हैं और उनमें से अधिकांश में राशनकार्डों का लगभग पूर्ण डिजिटलीकरण हो चुका है। ज्यादातर राज्यों ने अपने यहां जन वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की सूचियों को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। सटीक सूचनाओं की उपलब्धता और पारदर्शिता के चलते आज जन–वितरण प्रणाली को अधिक कार्यकुशल बनाया जा सका है। डिजिटलीकरण से पहले भारतीय खाद्य निगम के द्वारा राज्यों को आवंटित किए जाने वाले खाद्यान्न के कोटे और राज्यों की तरफ से उठाए जाने वाले खाद्यान्न के बीच काफी फर्क होता था। दोनों तरफ सूचनाओं की सही उपलब्धता का अभाव इसका अहम कारण था। किस राज्य में कितनी पैदावार हुई है और ठीक–ठीक कितने अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता है, इसकी गणना पारंपरिक तरीकों से होती थी जो काफी हद तक कारगर तो थी लेकिन फिर भी उसकी अपनी सीमाएं थी। यही वजह है कि या तो राज्य खाद्य निगम की तरफ से जारी किया गया पूरा कोटा उठाते ही नहीं थे या फिर वे कम खाद्यान्न जारी किए जाने की शिकायत करते थे।

मिसाल के तौर पर सन् 2013–14 में राज्यों ने चावल, गेहूं और मोटे अनाजों का 87 प्रतिशत हिस्सा ही उठाया था। इसी तरह 2014–15 में यह आंकड़ा 83 प्रतिशत ही रह गया था। लेकिन डिजिटलीकरण के बाद वित्तवर्ष 2015–16 के पहले छह महीनों में राज्यों ने आवंटित खाद्यान्नों का 93 फीसदी हिस्सा अपने यहां लक्षित जन वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से वितरित करने के लिए उठा लिया। जाहिर है, डिजिटलीकरण के बाद अब बेहतर सूचनाएं उपलब्ध हो रही हैं और दोहरे राशनकार्डों के साथ–साथ भ्रष्टाचार, कालाबाजारी जैसी समस्याओं पर भी अंकुश लगाना संभव हुआ है। राज्य सरकारें अब ऑनलाइन उपलब्ध डाटा की मदद से हर महीने अपने यहां खाद्यान्न की मांग का बेहतर ढंग से अनुमान लगा पा रही हैं। बहुत से राज्यों ने तो अपने यहां जन वितरण प्रणाली पारदर्शिता पोर्टल विकसित किए हैं जिन पर राज्य में खाद्यान्न से संबंधित ताजा आंकड़ों और सूचनाओं को कोई भी व्यक्ति देख सकता है।

इस संदर्भ में, हिमाचल प्रदेश के ई–पीडीएस पारदर्शिता पोर्टल की मिसाल ले। इस पोर्टल पर खाद्यान्नों की कीमतों पर निगरानी, राशनकार्डों से संबंधित सूचनाएं, जन वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध स्टॉक का ब्यौरा, तमाम तरह की रिपोर्टें (भंडारण क्षमता से लेकर एनएफएसए रिपोर्ट तक और सप्लाई चेन आंकड़ों से लेकर अंतिम बैलेंस तक), खाद्यान्न आवंटन के आदेश, अपनी राशन दुकान का पता लगाने की सुविधा, माल–भाड़े की दरें, नक्शे, कारोबारियों का ब्यौरा, मीडिया में आई सूचनाएं, सतर्कता विभाग की गतिविधियों का विवरण, तमाम तरह के कानून और नियमों का विवरण, शिकायतें दर्ज कराने तथा उन पर हुई प्रगति को जांचने की सुविधा और यहां तक कि विभिन्न मामलों में लोगों की तरफ से आने वाली टेलीफोन कॉलों का ब्यौरा तक उपलब्ध है। इस तरह की पारदर्शिता न सिर्फ प्रक्रियाओं को आसान और प्रभावी बनाती है बल्कि भ्रष्टाचार और बेजा लाभ उठाने की प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगाती है।

किसानों को ही लीजिए। भारत में ज्यादातर किसानों का माल उनके गांव में मौजूद दलाल ही खरीद लेते हैं। ये लोग किसानों को जो दाम देते हैं, वे शहरों में उपभोक्ताओं द्वारा अदा किए जाने वाले दामों का 25–30 फीसदी ही होता है। इसकी वजह यह कि किसान एक तो ताजातरीन सूचनाओं, भावों आदि की जानकारी से वंचित होते हैं और दूसरे उनके पास अपने माल को सही जगह पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते। पारदर्शिता के अभाव में फसल उगाने वाला सिर्फ 25 फीसदी दाम प्राप्त कर पाता है जबकि फसल न उगाने वाले लोग, जो बिचौलिये या व्यापारी हैं, 70–75 फीसदी रकम पर हाथ साफ कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया

लक्षित जन–वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए सरकार टीपीडीएस यानी लक्षित जन–वितरण प्रणाली से जुड़े परिचालनों का शुरू से अंत तक कंप्यूटरीकरण कर रही है। इसके परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा बड़ी संख्या में बोगस कार्डों को खारिज किया गया है जिससे तकरीबन 10,000 करोड़ रुपये मूल्यों के अनाज को अब बेहतर ढंग से लक्षित किया जा रहा है।

केंद्र पीडीएस को आधुनिक एवं उपभोक्ता अनुकूल बनाने के लिए राज्य सरकारों से लगातार इस ओर ध्यान देने को कह रहा है। इसके तहत कंप्यूटरीकरण के लिए 884 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना पर काम शुरू किया गया है। अब तक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। सभी राज्यों में राशनकार्डों का पूरी तरह से डिजिटलीकरण कर दिया गया है और कार्ड का ब्यौरा सभी राज्यों के पारदर्शी पोर्टल पर उपलब्ध है। 29 राज्यों में राशन डीलरों को अनाज का ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है। 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सप्लाई–चेन को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा अथवा टोल–फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई है। राज्यों से राशनकार्डों के डाटाबेस में आधार नम्बरों को समाहित करने का आग्रह किया गया है। लीकेज एवं अन्यत्र उपयोग रोकने के लिए केंद्र बॉयोमीट्रिक उपकरण लगाकर उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) का स्वचालन करने के लिए भी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से लगातार कह रहा है। देशभर में मई 2016 तक 1.11 लाख उचित मूल्य की दुकानों का स्वचालन किया गया और मार्च, 2017 तक यह संख्या 3 लाख से अधिक होने की उम्मीद है।

डिपो ऑनलाइन परियोजना

'डिपो ऑनलाइन' भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख परियोजना है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने मार्च 2016 को सभी संचालनों को स्वचालित करने के लिए डिपो ऑनलाइन प्रणाली शुरू की। इससे रियल समय के आधार पर डाटा को ऑनलाइन प्राप्त करने से एफसीआई की कार्यप्रणाली में पूरी तरह पारदर्शिता आ जाएगी। यह प्रणाली बेहतर निगरानी करने में मददगार होगी और इससे चोरी खत्म होगी और नुकसान में कमी आएगी। यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के डाटा देगी। इनमें स्टॉक की स्थिति, अनाज की आवाजाही, गुणवत्ता तथा मात्रा का ऑनलाइन डाटा शामिल है। यह प्रणाली, डिपो अधिकारियों, क्षेत्रीय प्रबंधक तथा निर्णय लेने वाले अन्य अधिकारियों को एसएमएस एलर्ट भेजेगी। शीर्ष प्रबंधन द्वारा निगरानी के वास्ते सभी डाटा डैशबोर्ड पर उपलब्ध होंगे। सरकार के सतत प्रयास से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनेक सुधार हुए हैं। एफसीआई के कामकाज में सुधार की दिशा में ऑनलाइन डिपो प्रणाली ऐतिहासिक कदम है। जुलाई 2016 तक एफसीआई के सभी डिपो और मार्च 2017 तक शेष डिपो ऑनलाइन होने का लक्ष्य रखा गया। इनमें सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी और किराए के डिपो शामिल हैं। सौ प्रतिशत राशनकार्डों का डिजिटलीकरण हो गया है और 80,000 उचित मूल्य की दुकानों को वितरण के लिए बायोमेट्रिक "प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस" दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे उपकरण मार्च 2017 तक तीन लाख उचित मूल्य की दुकानों में लगा दिए जाएंगे और मार्च 2019 तक देश की सभी उचित मूल्य की दुकानों में यह प्रणाली होगी और इससे चोरी नियंत्रित होगी। 71 प्रतिशत से अधिक राशनकार्ड आधार से जोड़ दिए गए हैं और अगले दो वर्षों में शेष राशनकार्ड आधार से जोड़ दिए जाएंगे।

के तहत अब किसानों को न सिर्फ ताजा और सटीक जानकारियां उपलब्ध होने लगी हैं बल्कि वे सीधे डिजिटल माध्यमों से अपना माल बेचने की स्थिति में भी आ गए हैं। इस तरह की व्यवस्था पूरी तरह अमल में आ जाने पर वे अपने माल को 25–30 नहीं बल्कि 45 से 50 फीसदी तक की दर पर बेच सकेंगे। पारदर्शिता का अर्थ अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति के लिए 20 प्रतिशत तक का लाभ हो सकता है, इसका अनुमान शायद बहुत कम लोगों ने लगाया होगा।

आज भारत सरकार के राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली पोर्टल पर लक्षित जन वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) योजना के तहत जारी तथा उठाई गई सामग्री का ताजा ब्यौरा किसी भी समय लेना संभव है। इस पोर्टल का नाम है– pdsportal.nic.in और यहां पर उपलब्ध आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में दिसंबर 2016 में टीपीडीएस के तहत 2.191 करोड़ टन चावल आवंटित किया गया, जिसमें से राज्यों द्वारा 1.774 करोड़ टन चावल उठा लिया गया और 1.866 करोड़ टन गेहूं जारी किया गया जिसमें से 1.586 करोड़ टन गेहूं उठा लिया गया। यहां पर अधिकांश राज्यों के पीडीएस पोर्टलों के लिंक मौजूद हैं जहां जाकर आप हर राज्य की स्थिति का सिलसिलेवार ब्यौरा हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खाद्यान्न के वितरण के तमाम आंकड़े इस पोर्टल पर सहजता से उपलब्ध हैं। खाद्यान्नों से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा, आवंटन नीतियों का विवरण, आवंटन और सप्लाई चेन प्रबंधन की जानकारी, परियोजनाओं से संबंधित दस्तावेज, आधार के साथ जोड़े गए बैंक खातों की जानकारी, तमाम तरह के तकनीकी दस्तावेज और बार–बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी यहां मिलेंगे। भारतीय खाद्य निगम के पास आज किस अनाज का कितना स्टॉक मौजूद है, इसे यहां देखा जा सकता है। राशन की दुकानों पर कितनी बिक्री हुई, खाद्यान्न से संबंधित नए सरकारी आदेश कौन से हैं, हमारे गोदामों में भंडारण क्षमता की क्या स्थिति है, ऐसे सवाल शायद आपके मन में न आए हो लेकिन इन सबके जवाब भी यहां मिलेंगे। ग्रामीण और शहरी गरीब लोग चाहें तो जन वितरण योजना के तहत अपना पंजीकरण भी यही पर कर सकते हैं। स्पष्ट है कि डिजिटलीकरण से आम आदमी और वह भी हाशिए पर खड़े आम आदमी को सही तथ्यों तक पहुंचने और अपनी बात कहने की ताकत मिली है जो पहले उपलब्ध नहीं थी।

(लेखक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं।)
ई–मेल : balendudadhich@gmail.com

वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
भ्रष्टाचार और काले धन के
खिलाफ़ लड़ाई के लिए
कैशलेस भुगतान
की ओर बढ़ा भारत
डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए
विशेष प्रोत्साहन
डिजिटल बनिए, लाभ उठाइए
केंद्र सरकार की पेट्रोलियम पीएसयू पर डिजिटल भुगतान करने पर 0.75% की छूट
2016-17 में नेशनल हाईवे पर टोल भुगतान के लिए आरएफ़आईडी कार्ड/ फास्ट टैग्स का इस्तेमाल करने पर 10% की छूट
उपनगरीय रेल नेटवर्क पर 1 जनवरी 2017 से मासिक या सीजनल टिकट की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान करने पर 0.5% की छूट
ऑनलाइन रेलवे टिकट खरीदने पर 10 लाख रुपये तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा
TAX
2000 रुपये तक की लेन-देन पर किसी प्रकार का डिजिटल ट्रांजेक्शन चार्ज/ एमडीआर नहीं लगेगा।
सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के उपभोक्ता पोर्टल से बेची गई बीमा प्रीमियम पर 10% तक की क्रेडिट या छूट
नाबार्ड की मदद से सरकार 4.32 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 'रुपे किसान कार्ड' जारी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों और सहकारी बैंकों की सहायता करेगी।
नाबार्ड के माध्यम से सरकार ऐसे एक लाख गांवों, जिनकी आबादी 10,000 से कम है, वहां कम से कम 2 पीओएस डिवाइस लगाने के लिए बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।
केंद्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये हैं कि डिजिटल भुगतान पर लगने वाले ट्रांजेक्शन शुल्क/एमडीआर का भुगतान उपभोक्ता नहीं बल्कि सरकार वहन करे।
DAVP 15201/13/0139/1617
कैशलेस भुगतान के 5 आसान तरीके
कार्ड्स, पीओएस
आधार एनेबल्ड पेमेन्ट सिस्टम
UPI
यूपीआई
आपकी बैंक के यूपीआई एप्प के द्वारा भुगतान करें
प्रीपेड वॉलेट
*99#
यू.एस.एस.डी
फीचर फोन से लेन देन करना है आसान
मेरा मोबाइल... मेरा बैंक... मेरा बटुवा...
ज्यादा बचत, ज्यादा सुविधा

कृषि व्यापार नीति में बदलाव से ही खाद्य सुरक्षा को मिलेगी मजबूती

–हरवीर सिंह

बेहतर होगा कि हम कृषि नीति और कृषि व्यापार नीति पर तेजी से काम करें जो घरेलू बाजार और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों से जुड़े मुद्दों को हल करने के साथ ही देश में खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाली हो और किसानों की आय बढ़ाना इसका मूल मकसद होना चाहिए। बेहतर होगा कि हम अपनी व्यापार नीति को खाद्य सुरक्षा और घरेलू किसानों की आमदनी से जोड़कर तय करें।

तीन साल पहले 2013–14 में देश में अभी तक रिकार्ड खाद्य उत्पादन हुआ जो 26.50 करोड़ टन तक पहुंच गया था पिछले साल (2015–16) में यह 25.22 करोड़ टन पर अटक गया था क्योंकि खरीफ सीजन में देश के बड़े हिस्से में सूखे के हालात का उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा था। चालू साल (2016–17) में जरूर खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि मानसून बेहतर था। चालू साल के लिए खरीफ सीजन के पहले एडवांस एस्टीमेट के मुताबिक खाद्यान्न उत्पादन पिछले साल के 3.2 फीसदी की गिरावट के मुकाबले 8.9 फीसदी बढ़ेगा और यही वजह है कि इस साल कृषि विकास दर पिछले साल की 1.2 फीसदी के मुकाबले 4.1 फीसदी की दर से बढ़ेगी। लेकिन यह आंकड़े न तो खाद्य सुरक्षा की स्थिति को साफ करते हैं और न ही कृषि क्षेत्र की ट्रेड पॉलिसी से इनका कोई लेना–देना है। दोनों मुद्दे इन आंकड़ों से कही अलग और अहम हैं।

असल में खाद्य सुरक्षा के लिए ट्रेड पॉलिसी वाकई सबसे अहम है क्योंकि यह देश में कृषि उत्पादन और आयात पर निर्भरता दोनों को तय करती है। लेकिन अभी तक हम देश में इन दोनों के बीच कोई सीधा तालमेल नहीं देखते हैं क्योंकि दोनों एक–दूसरे से अलग तय होती रही हैं। सही मायने में कई विशेषज्ञों का कहना है कि हमारी एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी का मतलब है आयात नीति यानी हम आयात की जरूरत के हिसाब से पॉलिसी तय करते हैं या यूं कहें कि अभी कृषि के लिए कोई व्यापार नीति है ही नहीं।

असल में इतना अधिक उत्पादन करने के बावजूद हम आयात पर निर्भर होते जा रहे हैं। इस समय हम जहां अपनी जरूरत

का एक बड़ा हिस्सा खाद्य तेलों के रूप में आयात करते हैं वहीं दालों की भी करीब 25 फीसदी जरूरत हम आयात से पूरा करते हैं। इसके अलावा इस साल गेहूं का भी करीब 50 लाख टन का आयात हम करेंगे और मक्का का भी आयात हो रहा है। यानी बात केवल खाद्य तेलों और दालों तक नहीं है बल्कि गेहूं और मक्का के आयात की भी स्थिति पैदा हो गई जबकि इस साल देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून बेहतर रहा था। आयात के आंकड़े यह बात साफ कर रहे हैं कि हमारी जरूरत घरेलू उत्पादन से पूरी नहीं हो रही है। यानी हम आयात पर निर्भर होते जा रहे हैं। देश में खाद्य उत्पादों की खपत हमारे उत्पादन से ज्यादा है और यह लगातार बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि यह किसी एक साल की बात है बल्कि कई उत्पादों के मामले में हम हर साल आयात करते हैं। खाद्यान्न के अलावा फल और सब्जियों का भी आयात बढ़ता जा रहा है।

अब बड़ा सवाल है कि क्या यह देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसका सीधा जवाब है कि अगर निर्यातक देशों की सरकारों ने अपनी नीति में कोई ऐसा बदलाव किया जो हमारे लिए प्रतिकूल है तो इसका जवाब 'हां' में होगा। असल में सरकारें मांग और आपूर्ति के हिसाब से देश की एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी के बारे में फैसले लेती हैं और इसमें कोई स्थायित्व ही नहीं है। मसलन देश में अगर उत्पादन कम होता है तो आयात शुल्क में कमी कर दी जाती है और देश से उस उत्पाद के निर्यात पर अंकुश के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगा दिया जाता है। हालांकि सरकारें दावा करती रही हैं कि देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की जाती है लेकिन कई फसलों के मामले में कई बार एमएसपी को फ्रीज किया जाता रहा है। वहीं इसमें डेढ़ से चार फीसदी तक की बढ़ोतरी की जाती है। ऐसे में जब रिटेल इनफ्लेशन पांच से सात फीसदी के बीच हो तो एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी कोई तर्क नहीं है। सही मायने में मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए एमएसपी को कम–बढ़ाया जाता है। यानी एक तरह से किसानों की आय को कम किया जाता है जो गरीबी को बढ़ावा देने की नीति की तरह है। दूसरी ओर, एमएसपी भी सभी किसानों को नहीं मिलती। कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश में किसानों को अपनी फसल एमएसपी से नीचे दामों पर बेचनी पड़ती है। इसका नतीजा यह होता है कि किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता है।

असल में केवल एमएसपी बढ़ाने से ही किसानों को प्रोत्साहन और खाद्य सुरक्षा को मजबूत नहीं किया जा सकता है। हम किसानों को आयात से संरक्षण नहीं दे पाते हैं। सरकारें कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क को लगातार कम करती रही हैं और कई उत्पादों के मामले में यह शून्य तक आता रहा है। अभी भी कई उत्पादों पर सीमा शुल्क शून्य है। इसका देश में उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

जहां तक व्यापार की बात है तो वह इंटरनेशनल कीमतों के आधार पर चलता है। एमएसपी बढ़ने से जहां घरेलू बाजार में कीमतें तो ज्यादा हो जाती हैं वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घरेलू बाजार से कम रहती हैं। यही वह डायनेमिक्स है जो ट्रेडर के पक्ष में जाता है और वह घरेलू उत्पादकों की बजाय इंटरनेशनल बाजार से आयात में ज्यादा रुचि लेता है। यहां कोई स्थायी ट्रेड पॉलिसी नहीं होने से आयातक के लिए सस्ते आयात की राह आसान हो जाती है और यह दीर्घकालिक रूप से देश की खाद्य सुरक्षा के खिलाफ जाता है।

दूसरे, इसका फायदा निर्यातक देश भी उठाते हैं और वह हमारे आयात शुल्क में कटौती के कदम के बदले निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी कर राजस्व कमाते हैं। देश में खाद्य तेलों पर आयात शुल्क करने के बाद मलेशिया द्वारा निर्यात पर शुल्क बढ़ाना इसका उदाहरण है। ऐसे हम शुल्क घटाने के बाद भी आयात को सस्ता नहीं कर पाते हैं। यह कदम कल दूसरे निर्यातक देश भी उठा सकते हैं।

ऐसे में बेहतर होगा कि हम अपनी व्यापार नीति को खाद्य सुरक्षा और घरेलू किसानों की आमदनी से जोड़कर तय करें। यहां चीन का उदाहरण बेहतर है वह जिन उत्पादों में ज्यादा जरूरतमंद है तो उनका कच्चा माल आयात करता है। मसलन वह सोयाबीन तेल नहीं बल्कि सोयाबीन सीड का आयात करता है और उसकी क्रशिंग वही होती है। लेकिन इस मामले में हम टेक्नोलॉजी की उधेड़बुन में फंस जाते हैं और सोयाबीन तेल आयात करते हैं जबकि उसमें भी अधिकांश जेनेटिकली मोडिफाइड सोयाबीन का तेल होता है। वहीं हम देश में फसलों के उत्पादन में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए पॉलिसी ही नहीं बना पाए इसके चलते कई खाद्य फसलों का उत्पादन बढ़ने का रास्ता अटका हुआ है।

वहीं देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती लगातार खाद्य फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी की भी है। कृषि योग्य भूमि में लगातार कमी हो रही है क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा कमर्शियल, हाउसिंग और इंडस्ट्रियल गतिविधियों के लिए जा रहा है। ऐसे में उत्पादकता को तेजी से बढ़ाना ही एक विकल्प है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के चलते खाद्य उत्पादों की मांग में इजाफा हो रहा है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा और अधिक अहम हो जाता है और यह केवल गेहूं, चावल, मक्का और दूसरे खाद्यान्नों तक ही सीमित नहीं बल्कि दालें, खाद्य तेल, दूध उत्पाद और फल व सब्जियां भी इसका अहम हिस्सा हैं। इनमें से कई उत्पादों को लेकर ट्रेड पॉलिसी के मामले में बहुत ही तदर्थ फैसले होते रहे हैं जो यह साबित करने के लिए काफी हैं कि हमारे पास कोई स्थायी व्यापार नीति नहीं है। बेहतर होगा कि हम कृषि नीति और कृषि व्यापार नीति पर तेजी से काम करें जो घरेलू बाजार और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों से जुड़े मुद्दों को हल करने के साथ ही देश में खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाली हो और किसानों की आय बढ़ाना इसका मूल मकसद होना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं।)

ई–मेल : harvirpanwar@gmail.com

कैसे बढ़ेगा खाद्यान्न उत्पादन: कुछ सुझाव

–जगपाल सिंह मलिक

कृषि को विकसित करने के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करने की सख्त जरूरत है। दलहन व तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए नए किसानों और क्षेत्रों की पहचान करनी होगी। कृषि शोध पर जोर देने की बात भी होनी चाहिए जिससे भारत में उच्च कोटि का कृषि अनुसंधान, कृषि प्रसार व कृषि शिक्षा का ढांचा स्थापित किया जा सके। बिना किसी देरी के कृषि क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए योजनाएं बनायी जानी चाहिए। कृषि उत्पादन मुख्यतः दलहन के उत्पादन को वर्ष 2020 तक 2.4 करोड़ टन तक पहुंचाना होगा जिससे खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ लगातार बढ़ रही जनसंख्या का भरण–पोषण हो सके।

आज सरकार कृषि क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। पिछले दो वर्षों में खाद्यान्नों, दलहनों और तिलहनों की कई उन्नतशील प्रजातियों का विकास किया गया है। इससे देश में गेहूं, दलहन और तिलहनों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। जरूरी चीजों खासकर दलहन और खाद्य तेलों की कीमतों को काबू में रखने के लिए उनका उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। सन् 2007–08 में देश में 23 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ था जो आज बढ़कर 25.27 करोड़ टन हो गया। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक देश की जनसंख्या के लिए 36 करोड़ टन अनाज की आवश्यकता होगी जोकि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'हर बूंद ज्यादा फसल' के नारे के महत्व को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण और उसके सही इस्तेमाल के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत में 750 मि.मी. से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की अनिश्चितता अधिक रहती है। इन क्षेत्रों में नमी संरक्षण की तकनीकें और उन्नत सस्य विधियां अपनाकर उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है। दूसरी तरफ, कृषि की रीढ़ माने जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल और वायु की मात्रा और गुणवत्ता में लगातार गिरावट होती जा रही है। देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है। अतः भविष्य में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए असरदार कार्य व्यापक तौर पर करने की आवश्यकता है।

उपलब्धियां

तिलहन, दलहन, दूध और दुग्ध पदार्थ, फल एवं सब्जियों, आम, केला, गन्ना एवं नारियल आदि की दृष्टि से विश्व में हमारा पहला स्थान है जबकि चावल,सरसों व गेहूं के मामले में दूसरा स्थान है। कृषि पर सबसे अधिक दबाव बढ़ती जनसंख्या का है। देश के 32.9 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल में से केवल 14.3 करोड़ हेक्टेयर पर खेती की जाती है। जहां पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए उत्पादन व उत्पादकता बढ़ानी होगी। खाद्यान्न का उत्पादन वर्ष 1950 में 5 करोड़ टन था। वर्ष 2010–11 के दौरान

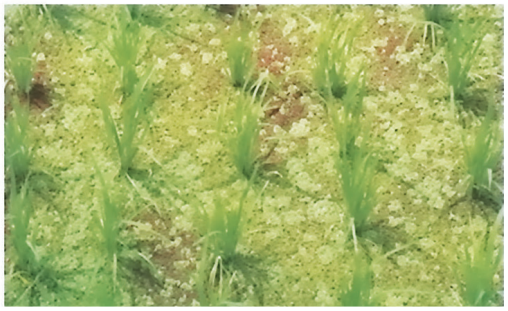

देश में 24.15 करोड़ टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ था जो आज बढ़कर वर्ष 2015–16 मे 25.27 करोड़ टन हो गया। वर्ष 2010–11 में देश में 8.59 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2015–16 में 9.35 करोड़ टन का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार वर्ष 2010–11 में 9.53 करोड़ टन धान का उत्पादन हुआ था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 10.37 करोड़ टन हो गया। भारत में वर्ष 2013–14 में दलहन की पैदावार 1.92 करोड़ टन हुई थी जबकि वर्ष 2015–16 में यह 1.73 करोड़ टन रही। वर्ष 2015–16 में तिलहनों का उत्पादन 3.11 करोड़ टन था जोकि वर्ष 2007–08 के उत्पादन 2.97 करोड़ टन से अधिक है। गत 67 वर्षों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे संकर बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक व नवीनतम कृषि यंत्रों की सहायता से खाद्यान्न उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। सरकार ने फसल विविधीकरण पर एक योजना तैयार की है। इसके लिए वर्ष 2013–14 के बजट में 500 करोड़ रुपये का कोष बनाकर फसल विविधता पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत धान–गेहूं उत्पादक राज्यों में मोटे अनाजों, दलहन, तिलहन, बागवानी और कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी जरूरत लम्बे अरसे से महसूस की जा रही थी। कुछ क्षेत्रों में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज व साग–सब्जी की खेती की जाएगी। इससे न केवल भूजल व ऊर्जा की खपत में कमी आएगी, बल्कि धान–गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज में आ रही गिरावट या स्थिरता को दूर करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा कई दशकों बाद खेसारी दाल की खेती पर फिर चर्चा शुरू हो गई है। अब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने इसकी तीन प्रजातियों को हरी झंडी दी है। खेसारी की इन तीनों किस्मों का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है। इन किस्मों में नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों की मात्रा बहुत कम है। खेसारी दाल को 'गरीबों की दाल' भी कहा जाता है। इन्हें रतन, प्रतीक और महातेओरा नाम दिए गए हैं। हाल ही में जैविक खेती को बढ़ावा देने और कृषि रसायनों पर निर्भरता को कम करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई है। इससे न केवल उच्च गुणवत्तायुक्त, स्वास्थ्यवर्धक एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि खेती में उत्पादन लागत कम करने में भी मदद मिलेगीं। हाल ही में सिक्किम में जैविक खेती अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। खाद्य तेलों की कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने सरसों की डी एम एच–11 एक नई जीएम किस्म विकसित की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नई जीएम तकनीक से विकसित सरसों की उपज सामान्य सरसों से 20–30 प्रतिशत अधिक होगी।

खाद्यान्न उत्पादन के समक्ष चुनौतियां

संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट में कहा जा चुका है कि वर्ष 2050 तक दुनिया की कुल आबादी 9.1 अरब के आंकड़े तक पहुंच सकती है। अभी विश्व की कुल जनसंख्या करीब 6.8 अरब है। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही खाद्य पदार्थों की मांग करीब दुगुनी हो जाएगी। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के मुताबिक जलवायु परिवर्तन, कृषि योग्य भूमि में कमी, जल संकट आदि के चलते खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल भी घट रहा है। प्रस्तुत लेख में खाद्य सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का उल्लेख किया गया है–

भंडारण की समस्या

यूएन हंगर रिपोर्ट–2015 के अनुसार दुनियाभर में कुल उत्पादन का एक तिहाई अनाज विभिन्न कारणों से नष्ट हो जाता है। खाद्य पदार्थों की बर्बादी के कारण सभी को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। साथ ही इससे खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अंततः इसका अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। बचे हुए सड़े–गले खाद्य पदार्थों से बने लैंडफिल से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है क्योंकि इससे काफी मात्रा में मिथेन गैस बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हमारे देश में पैदावार के स्तर पर ही लगभग 40 प्रतिशत खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है जिसका प्रमुख कारण यातायात के साधनों की कमी, खराब सड़कें, पैकेजिंग व भंडारण जैसी तकनीकी समस्याएं हैं। भारत जैसे देश में वार्षिक रूप से 22 से 23 करोड़ टन अनाज की जरूरत पड़ती है। हमारे देश में अनाज भंडारण की समस्या गंभीर चिंता का विषय है। हर वर्ष हजारों टन अनाज भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कर नष्ट हो जाता है। यह बर्बाद खाद्य सामग्री दुनिया में भुखमरी के शिकार लोगों से छह गुना अधिक लोगों के पेट की आग बुझा सकती है। किसी भी परिस्थिति में गोदामों में पड़ा अनाज खराब नहीं होना चाहिए। अतः भुखमरी और कुपोषण जैसी विश्वव्यापी समस्याओं से निजात पाने के लिए भविष्य में अनाज भंडारण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। किसानों के पास अपने माल को स्टोर करने की क्षमता नहीं है। फसल के मौसम में किसान अपने फसल उत्पाद ओने–पौने दामों में बेचने को मजबूर होता है।

शुष्क खेती या बारानी खेती

हमारे देश की कुल 14.3 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का लगभग 65 प्रतिशत वर्षा–आधारित तथा बरानी खेती के अंतर्गत आता है। देश में लगभग 95 प्रतिशत ज्वार व बाजरा तथा 90 प्रतिशत मोटे अनाजों का उत्पादन वर्षा–आधारित क्षेत्रों से ही आता है। इसके अलावा 91 प्रतिशत दालों और 85 प्रतिशत तिलहनों की पैदावार भी बरानी क्षेत्रों में होती है। परन्तु दुर्भाग्यवश इन बरानी क्षेत्रों से कुल उत्पादन का मात्र 45 प्रतिशत ही प्राप्त होता है। इसका प्रमुख कारण वर्षा का असमय, अल्पवृष्टि या अतिवृष्टि है। साथ ही इन क्षेत्रों में वर्षा जल का सही प्रबंध न होना है। हमारे देश में अधिकांश फसलें वर्षा के भरोसे होती हैं। हमारे देश में वर्षा–आधारित खेती करने योग्य पर्याप्त क्षेत्रफल है। यह क्षेत्र शुष्क खेती या बारानी खेती कहलाता है। इन क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक खाद्यान्न उत्पन्न किया जा

सकता है। इन क्षेत्रों में थोड़ी वर्षा और पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन प्रकृति की ओर से दिया गया निशुल्क उपहार है। देश में बहुत बड़ा क्षेत्र सूखाग्रस्त है जो कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 44 प्रतिशत योगदान करता है। इसके साथ–साथ 40 प्रतिशत मानव एवं 60 प्रतिशत पशुपालन में सहयोग करता है।

कृषि योग्य भूमि का घटता क्षेत्रफल

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक हमारा खाद्यान्न उत्पादन पांच गुना हो गया है जबकि कृषि भूमि का क्षेत्र घटा है। वर्तमान परिवेश में बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण की वजह से कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल दिनों–दिन घटता जा रहा है। वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति भूमि 0.46 हेक्टेयर थी जो 1992–93 में घटकर 0.19 हेक्टेयर हो गई। वह वर्ष 2001–02 तक घटकर 0.16 हेक्टेयर रह गई है। आज प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि 0.46 हेक्टेयर (1950–51) से घटकर 0.14 हेक्टेयर (2011–12) रह गई है जिसका मुख्य कारण पिछले तीन दशकों में गांवों की लगभग 20 लाख हेक्टेयर जमीन शहरों की चपेट में आ गई है जिसका सीधा प्रभाव खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ रहा है। देश में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। देश की बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए प्रति इकाई क्षेत्र कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस संबंध में खाद्यान्नों और तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने में नवीनतम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

मृदा स्वास्थ्य एवं उपजाऊपन में कमी

पिछले कई वर्षों से फसलों की उत्पादकता स्थिर है अथवा घट रही है जिसका प्रमुख कारण कृषि भूमि का बिगड़ता स्वास्थ्य व घटता उपजाऊपन है। सघन फसल प्रणाली के कारण मृदा का अनुचित व अत्यधिक दोहन किया जा रहा है जिस वजह से मृदा में अनेक समस्याएं आ रही हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के उर्वरकों

के अत्यधिक व असंतुलित प्रयोग के कारण मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आयी है जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। मृदा एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। खेती का मूल ही मिट्टी एवं पानी है। इन दोनों का योग अच्छे फसल उत्पादन की गारंटी देता है। परंतु दोषपूर्ण कृषि क्रियाओं के कारण भूमि के स्वास्थ्य एवं उपजाऊपन में कमी सामने आ रही है। दोहन के मुकाबले आपूर्ति के अभाव में पोषक तत्वों की जमीन में कमी होती जा रही है। जमीन में सल्फर, जिंक, बोरोन व आयरन आदि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। कृषकों में ज्ञान की कमी और अपर्याप्त कृषि प्रसार से यह समस्या ओर भी गंभीर होती जा रही है।

भुखमरी और कुपोषण की समस्या

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 85 करोड़ से अधिक आबादी भुखमरी, बीमारी और कुपोषण से ग्रस्त है। दुनिया की इस विशाल जनसंख्या को पेटभर भोजन उपलब्ध नहीं है। विश्वभर मे भोजन के अभाव में करोड़ों लोग भुखमरी, कुपोषण और भूखजनित बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। जबकि यथार्थ यह है कि हम पहले से कहीं अधिक अनाज पैदा कर रहे हैं। आज विश्व आबादी का एक बड़ा हिस्सा भुखमरी के साथ–साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, आयरन, विटामिन ए और आयोड़ीन की कमी से ग्रसित हो रहा है। भारत में हर वर्ष लाखों नवजात बच्चों की मौत हो जाती है जिसकी सबसे बड़ी वजह भुखमरी व कुपोषण है। भारत में 47–48 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। विकासशील देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2016 के कुल 118 देशों की सूची में भारत 97वें स्थान पर है। इस इंडेक्स से पता चलता है कि अलग–अलग देशों में लोगों को कितना और कैसा भोजन मिलता है। कुपोषण के कारण दुनिया में स्वास्थ्य और विकास की हर चुनौती और गम्भीर हो जाती है।

जलवायु परिवर्तन

आज खाद्य सुरक्षा के समक्ष विश्व जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या है। विश्व जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकृति में बदलाव आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप फसल उत्पादन सम्बन्धी, मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी और मौसम की विषमताएं जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के कारण मानव, पेड़–पौधों व जीव–जंतुओं का विकास और वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं भारी वर्षा तो कहीं सूखा, कहीं लू तो कहीं ठंड, कहीं बर्फीले ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से फसल चक्र भी अनियमित हो जाएगा। इससे कृषि उत्पादन और उत्पादकता भी प्रभावित होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों के सामने अनावृष्टि, बाढ़ व सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझने के साथ–साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक उपज देने वाली फसलों को उगाने की भी चुनौती से निपटना होगा। इसके लिए किसानों को फसलोत्पादन में व्यापक बदलाव लाने, कृषि प्रणाली में लगातार परिवर्तन करने और

विषम परिस्थितियों में अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियों को उगाने पर मजबूर होना पड़ेगा।

कृषि रसायनों का बढ़ता प्रयोग

आजकल खाद्य पदार्थों में विषैले कृषि रसायनों की उपस्थिति चिंता का विषय है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेती में जहरीले कृषि रसायनों का प्रयोग दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालों, तिलहनों, मसालों, चारा, सब्जियों, फलों, दूध और दुग्ध पदार्थों में कृषि रसायन अवशेषों की मात्रा बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ मृदा, जल और वातावरण भी इन विषाक्त रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से दूषित होते जा रहे हैं जिसका अंततः मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) और दूसरी एजेंसियां भी सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की कमी को लेकर चिंतित हैं। आज जहां विषाक्त खाद्य पदार्थों के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां लोगों में पनप रही हैं। वहीं कृषि रसायनों के गलत और अत्यधिक प्रयोग में कृषि भूमि का उपजाऊपन और मृदा स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है। हाल में अमेरिका के बागान मालिकों ने चिंता जताई थी कि उनके लगाए गए लाखों एकड़ बादामों के बाग घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। उनमें फूल तो आते हैं परंतु फलों का निर्माण नहीं हो पाता है। अनेक अनुसंधानों में पाया गया कि बादाम के फूलों का परागण केवल मधुमक्खियों के बल पर होता है। अलग–अलग कारणों से पिछले कई वर्षों में वहां मधुमक्खियों की संख्या घटकर बहुत कम कर रह गई। इसी प्रकार पंजाब राज्य के मुक्तसर जिले में किए गए एक सर्वे के अनुसार एक लाख लोगों में से 80 में कैंसर के लक्षण पाए गए जिसका प्रमुख कारण खेतीबाड़ी में कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग होने की संभावना है।

सतही व भूमिगत जल का अनुचित प्रयोग

पिछले कई दशकों से खेतीबाड़ी, विकास कार्यों व अन्य उपयोगों में भूगर्भीय जल पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही हैं। इस कारण भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन से भू–जल स्तर निरंतर तेजी से घटता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी वार्षिक वर्ल्ड वाटर डवलपमेंट रिपोर्ट में कहा है कि पानी उपयोग के तरीकों और प्रबंधन में कमियों के कारण 2030 तक दुनिया को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण घटक पानी का अत्यधिक दोहन रहा है। सिंचित क्षेत्रों में सतही व भूमिगत जल के अनुचित व अत्यधिक दोहन के कारण जल–स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है जिसका भूमि के उपजाऊपन व फसलों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फसलों में अंधाधुंध सिंचाई व सिंचाई संख्या बढ़ाने से न केवल जल का अपव्यय होता है बल्कि मृदा स्वास्थ्य भी खराब होता है। खेती में पारम्परिक सिंचाई प्रणाली उपयोग में लायी जा रही है, जिसमें खेतों में सिंचाई जल लबालब भर दिया जाता है। इससे काफी सारा पानी इधर–उधर बहकर या जमीन में रिसकर नष्ट हो जाता है जिसका अंततः उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज किसान पृथ्वी पर घटते जल–स्तर से खासे परेशान हैं।

जंगली जानवरों द्वारा नुकसान

पिछले कई वर्षों से नील गाय व जंगली सूअर किसानों की फसलों की बर्बादी का कारण बने हुए हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नील गायों का बहुत जोर है। रात के समय उनके झुंड के झुंड निकलते हैं और कई–कई सौ हेक्टेयर फसल को रातोंरात चट कर जाते हैं। इसकी रोकथाम का कोई उपाय किसानों के पास तो नहीं है। सरकार भी कुछ खास नहीं कर पा रही है। नील गाय नुकसान तो गन्ने के खेतों को भी पहुंचाती हैं, लेकिन उतना नहीं जितना दलहन, तिलहन और अन्य फसलों को। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हर्बल घोल तैयार किया है, जिसके प्रयोग से नील गायें फसलों के नजदीक नहीं आती हैं। इसके अलावा खेतों के चारों ओर करौंदा, जटोफा, तुलसी, मेथा व कुछ अन्य खास किस्म के पौधे लगाने से नील गायें फसलों से दूर रहती हैं। राजस्थान में खास किस्म की वैक्सीन को नील गायों के बंध्याकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

खाद्यान्न व खाद्य पदार्थों में मिलावट

व्यापारियों के द्वारा मुनाफे के लिए दूसरी दालों में खेसारी दाल की मिलावट की जाती है। बाजार में बड़े पैमाने पर अरहर की दाल में खेसारी दाल की मिलावट की जाती है। इन मिलावटी दालों का मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अरहर और खेसारी दाल का आकार व बनावट लगभग एक समान होता है। इसलिए कालाबाजारी करने वाले खेसारी दाल की मिलावट अरहर की दाल में करते है क्योंकि खेसारी दाल एक सस्ती और निम्न गुणवत्ता वाली दाल होती है।

खाद्य प्रसंस्करण की कमी

देश में खाद्य प्रसंस्करण के तकनीकी ज्ञान और दक्षता की कमी है। भारत दुनिया में फलों–सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन हम मात्र दो प्रतिशत प्रसंस्करण कर पाते हैं। दुनिया के प्रसंस्करण खाद्य बाजार में हमारी हिस्सेदारी मात्रा 1 से 1.5 प्रतिशत है। कारण यह है कि हमारे देश में फल–सब्जियों का औद्योगिकीकरण आज तक नहीं हुआ है। हमारे देश में हर वर्ष 50 हजार करोड़ रुपये की फल–सब्जियां नष्ट हो जाती हैं क्योंकि उपयुक्त सुविधाओं के अभाव में हम उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। इससे छोटे व सीमांत किसान अधिक प्रभावित होते हैं। इसी तरह दूध का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है परंतु प्रसंस्करण मात्र 15 प्रतिशत ही हो पाता है।

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए सुझाव

- किसानों को बीज, उर्वरक, मृदा संरक्षण, डीजल और बिजली बाजार भाव से सस्ती दर पर उपलब्ध कराकर सीधे सब्सिडी का लाभ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार खाद्यान्न, दलहनों व

तिलहनों के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही किसानों को आसान किस्तों पर कर्ज उपलब्ध कराना होगा।

- किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए ताकि वे अधिक खाद्यान्न उत्पादित करें और देश को खाद्यान्नों का आयात न करना पड़े। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी एवं संचार व सूचना क्रान्ति से अनाज की उत्पादकता में और भी बढ़ोतरी की जा सकती है।
- खाद्यान्न व खाद्य पदार्थों की बर्बादी को लेकर सख्त कायदे–कानून बनाए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में जन–जागरूकता बहुत जरूरी है। इस सम्बन्ध में लोगों को बताना होगा कि एक रोटी को थाली तक पहुंचाने के लिए किसानों को कितना पसीना बहाना पड़ता है। साथ ही इसके उत्पादन में लगे कितने संसाधन जैसे खाद, बीज व पानी बर्बाद होते है। यू.एन. ई.पी. ने खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ) तथा वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम (डब्ल्यू.आर.ए.पी.) जैसे संगठनों के साथ मिलकर 'खाद्यान्न बचाओ' नाम से वैश्विक पहल की है।
- जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी चावल, गेहूं, दलहन व तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रभावशाली उपाय ढूंढने होंगे। जीएम फसलों की खेती से एकतरफा जहां उत्पादन बढ़ेगा वहीं दूसरी तरफ देश में भुखमरी व कुपोषण जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी। भारतीय परिवेश में जीएम फसलों को उत्पादकता बढ़ाने वाली तकनीकों के रूप में जाना जा रहा है।
- भोजन की समस्या के समाधान हेतु हमें खाद्य प्रसंस्करण पर भी जोर देना होगा।
- कीटनाशकों का प्रयोग कम करने के लिए ऐसे जींस वाले पौधे विकसित किए जाएं जिनसे कीड़ों को एलर्जी हो।
- शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में फव्वारा सिंचाई विधि का प्रयोग किया जाए। कम पानी वाले क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई जाए। इससे पानी के अनावश्यक अपव्यय पर रोक लगेगी।
- फसल उत्पादन से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए 'किसान काल सेंटर की सुविधा सभी राज्यों में होनी चाहिए। इस सेवा के तहत किसान अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं जिनका समाधान 24 घंटे के अंदर कृषि विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए जिससे किसान जोखिम की अवस्था में आत्महत्या करने से बच सकें।
- फसलों के आनुवांशिक रूप से सुधार के बारे में बौद्धिक–स्तर पर ध्यान देना होगा। ऐसे पौधे विकसित किए जाएं जिसमें रेगिस्तानी पौधों के जींस हों और वह कम से कम पानी पर अपना जीवनचक्र पूरा कर सकें।
- किसानों को सघन फसल प्रणाली के अन्तर्गत भूमि का नियमित रूप से परीक्षण कराते रहना चाहिए। मृदा में जिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई जाए, उनकी आपूर्ति रसायनिक उर्वरकों, वर्मी कम्पोस्ट, गोबर की खाद, जैविक उर्वरकों आदि को देकर कर सकते हैं।
- औद्योगिक इकाईयां लगाने के लिए बेकार व परती पड़ी भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार भारत में 1.8 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य बेकार भूमि है तथा 2.5 करोड़ हेक्टेयर परती भूमि है। इन दोनों को मिलाकर कुल 4.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल बनता है। औद्योगिकीकरण के लिए देश में पर्याप्त बेकार व परती भूमि है।
- उपजाऊ भूमि की रक्षा व बचाव के लिए पर्याप्त कानूनी उपाय किए जाने चाहिए जिससे देश में खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सके। वन संरक्षण कानून की तर्ज पर कृषि भूमि संरक्षण कानून बनाया जाना चाहिए जिससे देश के किसी भी क्षेत्र से उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण न किया जा सके। उपजाऊ भूमि केवल कृषि उद्देश्यों के लिए संरक्षित की जा सके।
- प्रायः देखा गया है कि जिन फसलों का समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, उन्हें छोड़कर बाकी फसलों के दाम बिल्कुल अनिश्चित रहते हैं। जिस साल फसल ज्यादा होती है, उस साल कीमतें गिर जाती हैं। जब कीमतें गिरती हैं तब किसान अगले साल उस फसल को कम उगाते हैं, और फिर बाजार में उत्पाद कम होने से दाम बढ़ जाते हैं। हर दो–चार वर्षों में यह चक्र पूरा घूम जाता है।
- हमारे देश में औसतन वर्षा 1190 मिलीमीटर होती है। अतः इस वर्षा के जल का समुचित रूप से मृदा में नमी बनाए रखना नितांत आवशयक है। उन्नत सस्य तकनीकों में भूमि में अधिकतम नमी का संरक्षण, बहते वर्षा जल को रोकना, समय से बुआई करना, फसल की किस्म और फसल प्रणाली का चुनाव, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, पलवार का प्रयोग, जलसंग्रह और पुर्नचक्रण, अंतः फसलीकरण, खरपतवार नियंत्रण, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। एक अनुमान के अनुसार यदि इन क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकें अपनायी जाएं तो हम खाद्यान्न उत्पादन के साथ–साथ खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा में भी सफल हो जाएंगे।

निष्कर्ष

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार भविष्य में खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा के लिए कृषि विविधीकरण, जैविक खेती, बेहतर सिंचाई प्रबंधन तथा कुशल वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों पर जोर देना होगा जिससे भुखमरी और कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं से मुक्ति मिल सके।

(लेखक उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में पादप रक्षा अधिकारी रह चुके हैं।)

ईमेल : jpmalik@gmail.com

सतत कृषि से होगी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित

–सुरेंद्र प्रसाद सिंह

भारत सरकार का पूरा जोर टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करने पर है। परंपरागत खेती के उपायों के साथ अपनी पुरानी प्रजातियों वाली फसलें, परंपरागत नस्ल वाली गायें व अन्य पशुधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सतत खेती के उद्देश्य से उसे जोखिम से बचाने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। खेती की मूलभूत कठिनाइयों को दूर करने के लिए समग्र नीतियां बनाई गई हैं, जिसके नतीजे आने में समय थोड़ा जरूर लगेगा, लेकिन फायदे बहुत होंगे।

सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बीच मांग व आपूर्ति के बढ़ते अंतर से विश्व के समक्ष खाद्य सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए टिकाऊ खेती ही एकमात्र उपाय है। जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से कृषि की मौजूदा प्रणाली खतरे की जद में है। दुनिया के लगभग सभी देशों के नीति नियामक और कृषि वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयासरत हैं। इसीलिए भारत सरकार का पूरा जोर टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करने पर है। परंपरागत खेती के उपायों के साथ अपनी पुरानी प्रजातियों वाली फसलें, परंपरागत नस्ल वाली गायें व अन्य पशुधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सतत खेती के उद्देश्य से उसे जोखिम से बचाने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। घाटे से आजिज होकर आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने वाले किसान समुदाय के कल्याणार्थ कई योजनाएं शुरू की गई हैं। खेती की मूलभूत कठिनाइयों को दूर करने के लिए समग्र नीतियां बनाई गई हैं, जिसके नतीजे आने में समय थोड़ा जरूर लगेगा, लेकिन फायदे बहुत होंगे।

लागत को घटाना और उपज का उचित व लाभकारी मूल्य दिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। इन मुश्किलों व चुनौतियों से निपटने के उपाय किए बगैर न खेती का भला होने वाला है और न ही खेतिहरों का। खेती को टिकाऊ बनाने और उसके सतत विकास की कल्पना को साकार करने में कृषि और उससे जुड़े उद्यमों पर समग्र नीति बनाने की जरूरत है। खेती को टुकड़े–टुकड़े में बांटकर उसकी समस्याओं को सुलझाने के उपाय नाकाफी साबित हुए हैं। अनाज की पैदावार बढ़ाकर लोगों के पेट भरने में भले ही सफलता मिल गई हो, लेकिन इससे खेती का सिर्फ एकांगी विकास हुआ है।

दलहन व तिलहन की पैदावार में फिसड्डी साबित होने से आयात निर्भरता बढ़ी है। प्रोटीन की कमी से गरीबों में कुपोषणता बढ़ी है। इन गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए सतत कृषि पर जोर देना ही एकमात्र उपाय है। खेती के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सरकारी निवेश के साथ निजी निवेश को भी लुभाने की जरूरत है।

खेती को घाटे से उबारने की पहल

खेती को घाटे से उबारने और किसानों को आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने से रोकने के लिए समग्र नीति की जरूरत है। साहूकारों की सूदखोरी से किसानों को बचाने के लिए अति रियायती दरों पर सहजता से कृषि ऋण मुहैया कराने के बाबत कृषि ऋण 9 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। खेती के इनपुट उन्नत बीज, संतुलित खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसी मूलभूत जरूरतों को समय से उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाने लगी है। खेती के समक्ष कुछ ऐसे खतरे हैं, जिनसे निपटने के लिए सरकार की ओर से कारगर पहल की गई है, जिससे खेती व खेतिहरों के दिन बहुरने की आस बढ़ गई है। खेती को जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है।

सॉयल हेल्थ कार्ड

खेती की सबसे मूलभूत जरूरत मिट्टी की जांच है, जिससे पता चले कि मिट्टी में किन तत्वों की कमी है। बोई जाने वाली फसल के हिसाब से पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। सरकार की इस योजना के तहत देश के कुल साढ़े तेरह करोड़ (13.5 करोड़) किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड देने की योजना चलाई जा रही है। अगले साल तक देश के सभी किसानों को यह सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इसमें निरंतरता लाने के लिए स्थानीय स्तर पर मिट्टी की जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। इनमें सरकारी प्रयोगशालाओं के साथ निजी क्षेत्र की कंपनियां भी मिनी किट तैयार कर उपलब्ध करा रही हैं।

दूसरी हरितक्रांति

कृषि में अंधाधुंध खाद व कीटनाशकों के प्रयोग के बावजूद अब फसलों की उत्पादकता बढ़ाए नहीं बढ़ रही है। हरितक्रांति वाले राज्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदावार की वृद्धि दर नहीं बढ़ पा रही है। इसके लिए जहां किसानों को अपनी खेती की तकनीक में बदलाव करने की जरूरत पर जोर देने की जरूरत है, वहीं इसके लिए उन्हें जागरूक करना होगा। दूसरी तरफ सतत या टिकाऊ कृषि के लिए दूसरी हरितक्रांति के लिए देश के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का चुनाव किया गया है। लेकिन इस दिशा में आधे–अधूरे मन से पहल की गई है, जिससे नतीजे भी उसी तरह के आ रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन

यह एक ऐसी चुनौती है, जिससे पूरी दुनिया की खेती जूझ रही है। बढ़ते तापमान से अनाज की पैदावार में कमी आने की प्रवृत्ति शुरू हो गई है। कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती है। इस दिशा में भारत ने भी कारगर पहल की है। गेहूं की पैदावार को बचाने के लिए उन्नत बीज और आधुनिक तकनीक पर बल दिया जा रहा है। खेतों की जुताई से लेकर फसल की कटाई के बाद तक की तकनीक में आमूल बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसानों के खेतों तक पहुंचाने की मैराथन कोशिशें भी हो रही हैं। पशुधन और दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर को बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने गोकुल मिशन और परंपरागत प्रजातियों को उन्नत बनाने पर जोर दिया है। इसके लिए सरकार ने अलग से बजट का प्रावधान किया है। आगामी वित्तवर्ष 2017–18 के आम बजट में भी इसके बाबत 800 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है।

हर खेत को पानी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले भाषण में ही हर खेत को पानी पहुंचाने और प्रति बूंद अधिक उत्पादन (पर ड्राप मोर क्राप) का नारा बुलंद किया था। सरकार ने इस दिशा में काम शुरू भी कर दिया है। पिछली सरकार के दौरान आधी–अधूरी और लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई है। आने वाले सालों में लगभग एक सौ सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। कुल ढाई सालों में 12.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने में सफलता मिली है। इसे और गति देने पर विचार किया जा रहा है। संभव है आगामी आम बजट में इसे प्राथमिकता दी जाए। माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। फिलहाल देश की 60 फीसदी भूमि असिंचित है। सिंचित खेती के सहारे खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश है।

दलहन व तिलहन पर जोर

देश में दलहन व तिलहन की खेती से किसानों ने मुंह मोड़ लिया है। इसी के चलते खाद्य तेल और दालों की आयात निर्भरता बढ़ गई है। सालाना लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये की लागत से खाद्य तेल और दालें आयात की जा रही हैं। अगर इतनी बड़ी धनराशि का निवेश कृषि क्षेत्र में कर दिया जाए तो देश के समूचे कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। सरकार ने इस ओर ध्यान देना शुरू भी कर दिया है। साल–दर–साल दलहन व तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की जा रही है, ताकि किसानों का रूझान इसकी खेती की तरफ बढ़े। इसी मकसद से किसानों को उन्नत प्रजाति के दलहन व तिलहन के बीजों की आपूर्ति की जा रही है। यही कारण है कि पिछले दो सालों की अवधि में इसकी खेती का रकबा और पैदावार में वृद्धि दर्ज की गई है।

(लेखक कृषि व खाद्य विषयों के विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो, नई दिल्ली में डिप्टी ब्यूरो चीफ है।)

ई–मेल : surendra64@gmail.com

जलवायु परिवर्तन का खाद्यान्न सुरक्षा पर प्रभाव

–डॉ. के.एन. तिवारी एवं डॉ. राकेश तिवारी

भारत को खाद्यान्न सुरक्षा एवं आर्थिक विकास के पथ पर बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन पर सचेत रहने की आवश्यकता है। हमें कृषि, वानिकी व उद्यानिकी के क्षेत्रों में व्यापक सुधार के साथ–साथ जीवन के हर स्तर पर न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। आर्थिक विकास की रणनीति इस प्रकार बने कि भारत विकास के मार्ग पर आगे भी बढ़ता जाए और कार्बन उत्सर्जन भी काबू में रहे। प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर आर्थिक विकास कदापि न हो। अतः जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु व्यापक–स्तर पर तैयारी अभी से शुरू करने की नितांत आवश्यकता है।

कृषि का प्रकृति से सीधा संबंध है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा ही कारक है जिससे प्रभावित होकर कृषि अपना स्वरूप बदल सकती है तथा इस पर निर्भर लोगों की खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। विश्व में आज खाद्यान्न संकट, ऊर्जा की कमी, आर्थिक मंदी आदि समस्याएं हमारे सामने आ खड़ी हैं। गांवों में जल के पारम्परिक स्रोत लगभग समाप्त होते जा रहे हैं। गांव के तालाब और पोखर, कुओं का जल–स्तर बनाए रखने में सहायक होते थे। किसान अपने खेतों में अधिक वर्षा जल का संचय करता था ताकि जमीन की नमी व उसका उपजाऊपन बना रहे। परंतु अब बिजली से ट्यूबवेल चलाकर और कम दामों में बिजली की उपलब्धता से किसान खेतों में जल–संरक्षण के प्रति लापरवाह हो गए हैं। इन सबका संबंध कमोबेश जलवायु परिवर्तन से भी है। कुल मिलाकर प्रकृति के निर्मम संहार के चलते उत्पन्न जलवायु परिवर्तन की विकट समस्या आज विश्व के समक्ष मुंह बाएं खड़ी है। भारत जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों पर वैश्विक तपन (ग्लोबल वार्मिंग) के दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। हिमालय के हिमखंडों के पिघलने और उपलब्ध जल के बढ़ते वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्तर भारत में पानी की भारी कमी हो सकती है। दक्षिणी प्रांतों के अधिकतर क्षेत्रों में तो पहले से ही सिंचाई जल की उपलब्धता कम है और वैश्विक तपन के कारण इसके और क्षीण होने की संभावना है। इस प्रकार भारत की कृषि उत्पादकता में कमी आने से हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में आ सकती है।

धान–गेहूं फसलचक्र की उत्पादकता पर प्रभाव

गेहूं और धान हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। इनके उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिखाई देने लगा है। तापमान में वृद्धि के साथ–साथ धान के उत्पादन में गिरावट आने लगेगी। अनुमान हैं कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि से धान का उत्पादन 0.75 टन प्रति हेक्टेयर कम हो जाएगा। देश के पूर्वी हिस्से का धान उत्पादन अधिक प्रभावित होगा जिससे अनाज की उपलब्धता में कमी आ जाएगी। इससे प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता तो कम होगी ही साथ ही खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषण की समस्या भी बढ़ेगी। तापमान बढ़ने और ठंड के महीनों में कमी होने से गेहूं जैसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल की उत्पादकता में भारी गिरावट होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, अचानक बाढ़, सूखा व सिंचाई जल की कमी से धान के उत्पादन पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार तापमान में मात्र एक डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि से भारत में 40 से 50 लाख टन गेहूं की उपज कम होने की संभावना है। धान वर्षा आधारित फसल होने के कारण जलवायु परिवर्तन के साथ बाढ़ और सूखे की स्थितियां बढ़ने पर इस फसल की उत्पादकता गेहूं की अपेक्षा विशेष प्रभावित होगी। हमारे देश में कुल कृषिगत क्षेत्र में 42.5 प्रतिशत हिस्सा धान का है।

जैव विविधता पर प्रभावः समुद्र के तटीय क्षेत्रों की वनस्पतियों व वृक्षों पर कुप्रभाव पड़ेगा। तटीय वनस्पतियों व वृक्षों का विनाश पारिस्थिति की असंतुलन का खतरा बढ़ाएगा। पेड़ों के विनाश से तट की स्थिरता प्रभावित होगी। उष्ण–कटिबंधीय वनों पर प्रभाव से वनों में आग की घटनाओं में वृद्धि होगी एवं वनों के विनाश से जैव–विविधता में कमी आएगी।

जलवायु परिवर्तन का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभावः भूमिगत जलस्तर गिरने से मृदा उर्वरता भी प्रभावित होगी। बाढ़ जैसी आपदाओं के कारण भूक्षरण अधिक होगा वहीं सूखे के कारण बंजरता आएगी। पेड़–पौधों के कम होते जाने तथा जैव विविधता के अभाव के कारण मिट्टी का उपजाऊपन घटता जाएगा। वैश्विक तपन के कारण जीवांश पदार्थों का विघटन तेजी से होगा जिससे पोषक चक्र में वृद्धि होगी और मृदा की उपजाऊ शक्ति अव्यवस्थित हो जाएगी। वातावरण में कार्बन–डाई–ऑक्साइड की वृद्धि के कारण पौधों में कार्बन–स्थिरीकरण बढ़ेगा। परिणामस्वरूप मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण कई गुना बढ़ जाएगा जिसका मिट्टी की उर्वराशक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

फसल स्वास्थ्य पर प्रभावः जलवायु परिवर्तन से कीट व रोगों की समस्या बढ़ेगी। तापमान, नमी तथा वातावरण की गैसों से पौधों, फफूंद तथा अन्य रोगाणुओं के प्रजनन में वृद्धि तथा कीटों और उनके प्राकृतिक शत्रुओं के अंतर्सम्बन्धों में बदलाव आदि दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। बदलती जलवायु से कीट–पतंगों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि होगी। रोगाणुओं में वृद्धि के साथ ही नई प्रजाति के रोगाणु पैदा होंगे जिनका फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही खरपतवारों का प्रकोप भी बढ़ेगा।

उत्पाद की गुणवत्ता पर दुष्प्रभावः जलवायु परिवर्तन से केवल फसलों की उत्पादकता ही प्रभावित नहीं होगी वरन् उनकी गुणवत्ता पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। अनाज में पोषक तत्वों और प्रोटीन की कमी पायी जाएगी जिस कारण आदमी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा जिसकी भरपाई कृत्रिम विकल्पों से करनी पड़ेगी। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में तापमान वृद्धि के कारण अधिकांश फसलों की उत्पादकता में गिरावट की संभावना है।

मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावः उष्णता के कारण श्वास तथा हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी। दस्त, हैजा, पेचिश, क्षयरोग, पीत–ज्वर, मियादी बुखार जैसी बीमारियों की बारंबारता में वृद्धि होगी। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, पीला बुखार, जापानी बुखार (मेनिंजाइटिस) के प्रकोप में बढ़ोतरी होगी; फाइलेरिया (फील पांव) तथा चिकनगुनिया के प्रकोप में भी वृद्धि होगी।

पशु स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावः नाशिजीवों एवं रोगाणुओं की संख्या वृद्धि का पशुओं के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा।

जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के महत्वपूर्ण उपाय

फसल उत्पादन हेतु नई तकनीकों का विकासः फसलों से वांछित उत्पादन लेने हेतु ऐसी किस्मों की खेती को बढ़ावा देना होगा जो नई बदलते मौसम के अनुकूल हों। इसके लिए ऐसी किस्मों को विकसित करना होगा जो अधिक तापमान, सूखा और जलभराव होने पर भी सफलतापूर्वक उत्पादन दे सकें। आने वाले समय में ऐसी किस्मों की जरूरत होगी जो उर्वरक और सूर्य विकिरण उपयोग के मामले में अधिक सक्षम हों। लवणीयता और क्षारीयता को सहन करने वाली किस्मों का विकास करना होगा। ऐसी अनेक पारम्परिक व प्राचीन प्रजातियां हैं जिनका संरक्षण करना होगा। कम मिथेन उत्सर्जन करने वाली प्रजातियों के विकास की भी आवश्यकता है।

सस्य विधियों में परिवर्तनः बदलते मौसम के अनुसार हमें बुआई के समय में भी बदलाव लाने होंगे ताकि बढ़ते तापमान का प्रभाव कम हो। फसलों के कैलेंडर में कुछ बदलाव लाकर गर्म मौसम के प्रकोप से बचना व नम मौसम का अधिक उपयोग करना होगा। गेहूं की समय पर बुवाई, अधिक तापमान सहन करने वाली प्रजातियां, कतार से कतार की दूरी और पौध सघनता बढ़ाकर खरपतवारों की समस्या कम की जा सकती है। मिश्रित खेती व सहफसली खेती करके जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम से निपटा जा सकता है। अंर्तवर्ती फसलों से खरपतवारों की वृद्धि रुकेगी। उदाहरण के लिए, मक्के के साथ लोबिया, ज्वार के साथ अरहर–उकठा उगाने से खरपतवार में कमी आएगी।

फसल चक्रः मृदा उर्वरता संवर्द्धन के लिए दलहनी फसलों का विस्तार करना होगा। फसल चक्रों में परिवर्तन से बीमारी, कीड़े, खरपतवार की समस्या कम होगी। दलहनी फसलों (अरहर) के साथ, कपास जैसी गहरी जड़ वाली फसल युक्त, फसल चक्र विशेष लाभदायी होंगे। इससे जैविक कार्बन की मात्रा में वृद्धि भी होगी। दलहनी फसलों की खेती बढ़ाने पर नाइट्रोजनधारी उर्वरकों का प्रयोग स्वतः कम हो जाएगा जिससे नाइट्रस ऑक्साइड का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा।

जल निकासः उचित जल निकास प्रबंधन की व्यवस्था करके मृदा से मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सकता है।

खेतों में जल संरक्षणः तापमान वृद्धि के साथ–साथ धरती पर मौजूद नमी का ह्रास होगा। ऐसी परिस्थिति में खेतों में नमी का संरक्षण करना और वर्षा जल को एकत्र कर सिंचाई हेतु उपयोग में लाना आवश्यक होगा। जीरो टिलेज या शून्य जुताई जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर पानी के अभाव से निपटा जा सकता है। शून्य जुताई के कारण धान और गेहूं की खेती में पानी की मांग में कमी हो जाती है जबकि उपज में बढ़ोतरी होती है इससे मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ जाती है।

ऐरोबिक धान की खेती से मिथेन की समस्या का सुधारः ऐरोबिक धान की खेती और खरपतवार नियंत्रण के लिए एकीकृत खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता है।

उचित पोषक तत्व प्रबंधनः फसलों को पोषक तत्वों की

अध्ययनों में पाया गया है कि यदि तापमान 2 सेंटीग्रेड के करीब बढ़ता है तो अधिकांश स्थानों पर गेहूं की उत्पादकता में कमी आएगी। जहां उत्पादकता ज्यादा हैं जैसे उत्तरी भारत में, वहां कम प्रभाव दिखेगा; जहां कम उत्पादकता है, वहां ज्यादा प्रभाव दिखेगा। प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर गेहूं का उत्पादन 40–50 लाख टन कम होता जाएगा। अगर किसान गेहूं की बुआई का समय सही कर लें तो उत्पादन की 1–2 टन प्रति हेक्टेयर की गिरावट कम हो सकती है।

सही खुराक देनी होगी जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि पौधों को अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकें और उर्वरक नाइट्रोजन का नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में उत्सर्जन कम से कम हो सके। संतुलित एवं सक्षम उर्वरक प्रयोग से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा।

फसल कीटों, रोगकारकों व खरपतवारों का जैविक नियंत्रणः हरितक्रांति के पश्चात् लगभग पूरे विश्व में कृषि का रासायनीकरण हो गया है, जिससे आज मृदा उत्पादकता में कमी व स्थिरता के साथ–साथ जैवनाशी प्रतिरोधी कीटों, रोगकारकों व खरपतवारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इनका मुख्य कारण मृदा उत्पादकता व फसल शत्रुओं को नियंत्रित करने वाली पारिस्थितिकीय व्यवस्था का नष्ट होना है। अतः आज विश्व–स्तर पर कृषि में रसायनों के न्यायोचित उपयोग के लिए व्यापक जन–जागरूकता लाने की नितांत आवश्यकता है। उचित बीजशोधन को अपनाकर हम कई फसल व्याधियों व कीड़ों का नियंत्रण कम रसायनों के उपयोग से ही कर सकते हैं और वातावरण और फसलोत्पादन को होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। हमें फसल कीटों, रोगकारकों व खरपतवारों के प्राकृतिक शत्रुओं के नियंत्रण के बेहतर तरीकों को भी अपनाना होगा ताकि रसायनों का प्रयोग कम से कम करना पड़े और कृषि जैव विविधता भी उचित–स्तर तक बनी रहे।

मृदा सौर्यीकरणः उचित नमीयुक्त खेत तैयार करके पारदर्शी पॉलीथिन शीट से ढककर चारों तरफ से सील कर देना चाहिए, ताकि सौर ऊर्जा मिट्टी के अन्दर प्रवेश कर जाए और मिट्टी का तापक्रम बढ़ने से खरपतवार, कीड़े आदि मर जाएं। गर्मी की जुताई भी लाभकर साबित होगी।

मृदा बिछावन (मल्चिंग): (क) मृदा बिछावन से कार्बन की मात्रा का संरक्षण होगा जिससे वातावरण में कार्बन–डाई–ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ने से रोका जा सकता है। (ख) कतार से बोयी गई फसलों में मल्चिंग से खरपतवार में कमी हो जाने से खरपतवारनाशी का प्रयोग कम करना पड़ेगा। जैविक खरपतवार नियंत्रण भी कारगर होगा।

संरक्षण कृषि (कंजर्वेशन एग्रीकल्चर): पर्यावरण में कार्बन–डाई–ऑक्साइड की मात्रा कम करने हेतु आज इसकी अधिकाधिक मात्रा को मृदा कार्बन के रूप में संचित करना आवश्यक है। मृदा कार्बन का फसलोत्पादन में तो महत्व है ही, साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका अत्यधिक महत्व होता है। परंपरागत तरीकों से होने वाले भू–परिष्करण में नियमित रूप से मशीनों और ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग होता है और यह माना जाता है कि मृदा की तैयारी जितनी ज्यादा होगी, उत्पादन उतना ही अधिक होगा। परन्तु अधिक कर्षण क्रियाओं के प्रयोग से मृदा में उपस्थित कार्बन की अधिकाधिक मात्रा कार्बन–डाई–ऑक्साइड (CO^2) के रूप में मुक्त होकर वातावरण में इसकी मात्रा बढ़ा देती है। इसके अलावा अत्यधिक भू–परिष्करण मृदा कटाव को भी बढ़ावा देता है, जिसके प्रबंधन हेतु अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होती है। संरक्षण कृषि के अंतर्गत हम कृषि में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों (फसल उत्पादन व सुरक्षा हेतु) के न्यूनतम उपयोग के द्वारा ही अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कृषि क्रियाओं पर कम संसाधन खर्च व ऊर्जा प्रयोग होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कमी आती है। न्यूनतम भू–परिष्करण और शून्य–कर्षण के द्वारा हम फसलोत्पादन पर होने वाले खर्च को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ कम पेट्रोलियम जलने से कार्बन–डाई–ऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम होता है। शून्य–कर्षण के उपरांत बोई गई फसलों में मृदा नमी का संरक्षण अधिक होता है। सिंचाई के लिए पानी की मात्रा अपेक्षाकृत कम लगती है और मृदाक्षरण भी कम होता है। इसके अलावा कई तरह के खरपतवारों, जैसे गेहूं में फेलेरिस माइनर के प्रकोप में कमी आती है। अधिक कर्षण क्रियाओं के कारण मृदा में उपस्थित कार्बन की अधिकाधिक मात्रा कार्बन–डाई–ऑक्साइड के रूप में मुक्त होकर वातावरण में पहुंच जाती है। अत्यधिक भू–परिष्करण मृदा–कटाव को भी बढ़ावा देता है। शून्य–कर्षण अपनाने में मृदा–कार्बन की मात्रा में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार संरक्षण क्रियाएं सही मायने में ग्रीनहाउस प्रभाव कम करने में उपयोगी सिद्ध होगी। आज गेहूं व धान के अलावा चना, मटर, मसूर, सरसों व अलसी जैसी फसलों का उचित उत्पादन हम शून्य–कर्षण के माध्यम से सफलतापूर्वक ले सकते हैं। शाकनाशी रसायनों द्वारा खरपतवार नियंत्रण की उन्नत तकनीकों ने खेती की न्यूनतम जुताई के प्रयोग को और आसान बना दिया है। धान व गेहूं की कटाई के उपरांत खेत में पड़ी जैव–सामग्री पर भी आज उन्नत तरीके वाली नगण्य जुताई कर बुआई करने वाली मशीनें अच्छी तरह चल सकती हैं और बुआई का कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न कर सकती हैं। इस प्रकार हम इन जैव–सामग्री को जलाए बिना ही अगली फसल ले सकते हैं और मृदा–कार्बन की मात्रा में वृद्धि करके वातावरण में उत्सर्जित

सन् 2025 में हमारी खाद्यान्न की आवश्यकता साढ़े बाईस करोड़ टन के करीब आंकी गई है। इसे पूरा करने का मतलब है हर साल कृषि उत्पादन में 6 से 7 प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखना, जो इतना आसान नहीं है क्योंकि धरती मां के साथ अच्छा बर्ताव हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस चुनौती के लिए हमें सजग और प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता हैं।

जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से आज खेती की सबसे बड़ी मांग है खेतों में विविधता तथा फसलों के साथ वृक्षों व जानवरों का संयोजन। अब तक के अनुभवों तथा अध्ययनों में यह पाया गया है कि जहां समग्रता रही हैं वहां नुकसान का प्रतिशत भी कम रहा जबकि जहां एकल फसलें अथवा केवल पशुओं पर निर्भरता थी, वहां नुकसान अधिक हुआ।

होने वाली ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को कम कर सकते हैं। एक नियमित अंतराल पर न्यूनतम जुताई विधि एवं परंपरागत जुताई विधि अपनाकर हम कुल खर्च होने वाली ऊर्जा में बचत करके वातावरण को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं।

भूसा पुआल प्रबंधन द्वारा कार्बन–डाई–ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी : धान तथा गेहूं के खेतों से विशाल मात्रा में पुआल तथा भूसा पैदा होता है। इनका उचित तरीके से प्रबंधन न करने पर पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। आजकल कम्बाइन द्वारा कटाई के पश्चात् खेत में बची जैव–सामग्री को जलाने की परंपरा बढ़ती जा रही है जिसके परिमाणस्वरूप भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। एक अध्ययन के अनुसार पंजाब में भारी मात्रा में जैव सामग्री (भूसा या पुआल) जलाने से उत्तर भारत के विशाल वातावरणीय भाग पर धुंध–सी बन जाती है जो वातावरण में गर्मी में वृद्धि करती है। जैव–सामग्री को जलाने से भारी मात्रा में निकला हुआ धुआं मानव एवं पशु स्वास्थ्य के लिए भी घातक होता है। इसके अलावा भारी मात्रा में पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि) का नुकसान भी होता है। यह प्रचलन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही घातक है और इस पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ–साथ व्यापक जन–जागरूकता लाने की आवश्यकता है।

कृषि वानिकी व उद्यानिकी को बढ़ावा : कृषि वानिकी व उद्यानिकी को बढ़ावा देकर हम वांछित फसलोत्पादन के अतिरिक्त वातावरण से कार्बन–डाई–ऑक्साइड की भारी मात्रा को वन व फल–वृक्षों के माध्यम से संचित कर सकते हैं। फल–वृक्षों के अधिकाधिक रोपण से हमें खाद्य फलों के अलावा ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा मौसम को ठंडा रखने, मृदाक्षरण रोकने व प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। क्षारीय एवं लवणीय भूमि पर क्षार एवं लवण सहनशील वन–वृक्षों एवं फलदार पेड़ों के रोपण द्वारा इन समस्याग्रस्त क्षेत्रों की कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।

जैव ईंधन वाली फसलों की खेती को बढ़ावा : हरितगृह प्रभाव को रोकने के लिए जैव–ईंधन (बायो फ्यूल) वाली फसलें जैसे जटरोफा, मीठी ज्वार व मक्का इत्यादि के उपयोग की काफी संभावनाएं हैं। ये फसलें पहले तो वातावरण की कार्बन–डाई–ऑक्साइड को संचित करके जैव–ईंधन बनाने में उपयोग की जाएंगी, तत्पश्चात इन्हें अकेले या पेट्रोलियम के साथ मिलाकर जलाया जाएगा और विभिन्न ऊर्जा कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार वातावरण में अतिरिक्त कार्बन–डाई–ऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होगा।

समन्वित खेती का महत्व : समन्वित खेती का अर्थ है घर–पशुशाला–खेत के बीच उचित सामंजस्य व इनकी एक–दूसरे पर निर्भरता। जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से खेतों में विविधता तथा फसलों के साथ वृक्षों व जानवरों का संयोजन बहुत मायने रखता है। आज खेती की सबसे बड़ी मांग यही है। अब तक के अनुभवों तथा अध्ययनों में यह पाया गया है कि जहां समग्रता रही है वहां नुकसान का प्रतिशत भी कम रहा जबकि जहां एकल फसलें अथवा केवल पशुओं पर निर्भरता थी, वहां नुकसान अधिक हुआ। खेती में समग्रता किसान को आत्मनिर्भर बनाती है, बाजार पर उसकी निर्भरता कम होती है तथा कठिन समय में भी उसकी खाद्य सुरक्षा बनी रहती है क्योंकि एक अथवा दो गतिविधियों के नुकसान से पूरी प्रक्रिया नष्ट नहीं होती। आज जलवायु परिवर्तन से होने वाले कृषि के नुकसान को कम करने के साथ ही कृषि द्वारा उत्पन्न गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में भी समग्र खेती सहायक सिद्ध हो रही है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने के लिए जानवरों की देशी नस्लों को बढ़ावा देना होगा। देशी दुधारू गायों से मिथेन का उत्सर्जन कम होता है। जानवरों के भोजन व उसके प्रकार में जो अंतर होता है, वह मिथेन के उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है।

सारांश

ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से बचने का मुख्य उपाय हमारी जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, प्राकृतिक संसाधनों का संयमित उपयोग व पर्यावरण के प्रति मित्रवत विकास में निहित है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु कृषि, वानिकी एवं उद्यानिकी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि अभी तक सिर्फ यही क्षेत्र ऐसे हैं जिनके द्वारा वातावरण में उपस्थित कार्बन–डाई–ऑक्साइड की बड़ी मात्रा सीधे–सीधे अवशोषित हो जाती थी। फलस्वरूप हम वातावरण में इसकी सांद्रता काफी हद तक कम कर सकते हैं और कुल हरितगृह गैसों के उत्सर्जन में भी कमी कर सकते हैं। हमें जैविक खादों एवं मृदा उत्पादकता को बढ़ाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक स्तर पर उपयोग करना होगा। फसलों की कीट व रोगरोधी किस्मों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा फसल कीटों, रोगकारकों व खरपतवारों से बचाव के लिए जैविक नियंत्रण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में आजकल नैनोहर्बीसाइड्स (अतिसूक्ष्म–शाकनाशी) के विकास पर परियोजना चल रही हैं। आशा है कि भविष्य में नैनो उर्वरक एवं नैनोहर्बीसाइड्स अति सूक्ष्म मात्रा में फसलों की खुराक तथा खरपतवारों के सटीक नियंत्रण हेतु प्रयोग में आने लगेंगे।

(लेखक क्रमशः प्लांट न्यूट्रीशन इंस्टीट्यूट, इंडिया प्रोग्राम में पूर्व निदेशक (इंटरनेशन) तथा विषयवस्तु विशेषज्ञ (मृदा विज्ञान), सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र (मेरठ) से सम्बद्ध हैं।)

ई–मेल : kashinathtiwari730@gmail.com

भारत में न्यायालयों के ऐतिहासिक विकास पर पुस्तक का लोकार्पण

प्रकाशन विभाग ने हाल में भारतीय न्यायिक व्यवस्था के विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर *कोर्ट्स ऑफ इंडिया: पास्ट टू प्रेजेंट* शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश टी. एस. ठाकुर ने संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय कानून एवं न्याय व इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को कॉफी टेबल पुस्तिका के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें संग्रहणीय महत्व के कई सारे चित्र हैं।

'कोर्ट्स ऑफ इंडिया: पास्ट टू प्रेजेंट' का लेखन प्रमुख न्यायाधीशों, वकीलों और विधि विशेषज्ञों व अन्य ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक संपादकीय मंडल के विशेषज्ञों की देखरेख में किया। यह भारत में न्यायालयों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को खोजने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। पुस्तक देश में मौजूद विविध न्याय प्रणालियों व व्यवस्थाओं की पहचान कर, उनके ऐतिहासिक उद्भव को चिह्नित कर वर्तमान न्याय प्रणाली के संदर्भ में प्रस्तुत करती है और भारत के न्यायालयों, भारतीय न्यायिक प्रणाली से नागरिकों को सुस्पष्ट शैली में अवगत कराती है।

प्रकाशन विभाग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पुस्तकों का संग्रह करता है और ऐसी सूचनाओं वाली गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन व विक्रय करके इनका प्रचार–प्रसार करने का काम करता है।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश श्री टी. एस. ठाकुर संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय कानून एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में कोर्ट्स ऑफ इंडिया: पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक का विमोचन करते हुए।

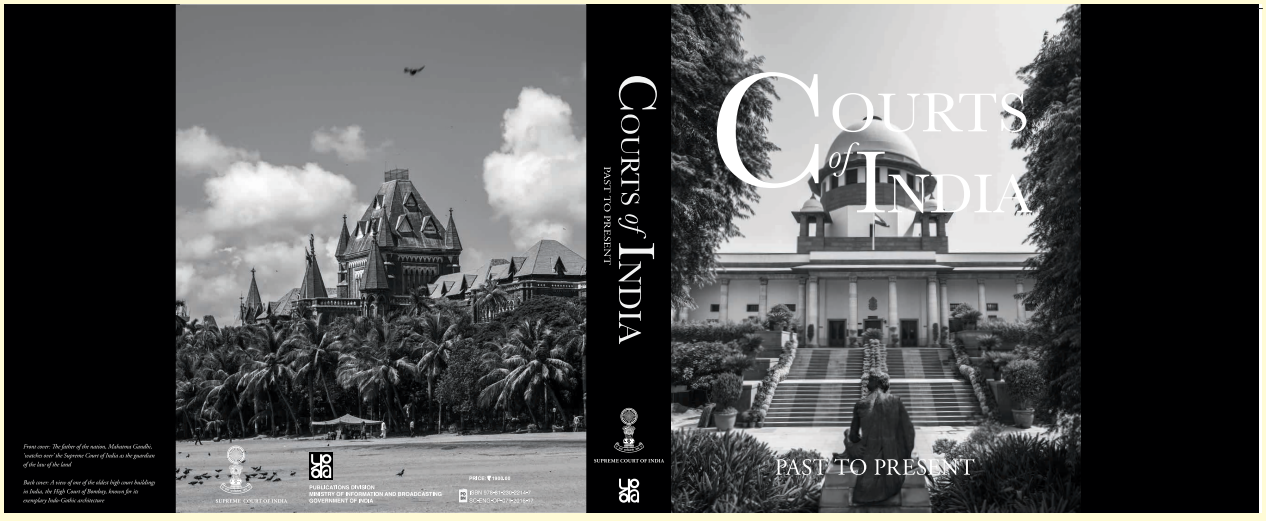

स्वच्छता पखवाड़ा लेखा-जोखा

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया

विभिन्न स्तरों पर मंत्रालय के सचिवालय के साथ–साथ इसकी मीडिया इकाइयों और अन्य कार्यालयों में सघन अभियान शुरू किया गया है। कार्यालयों में स्वच्छता को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साफ–सफाई, रिकार्डिंग और संवीक्षा में प्रगति, ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के आधार पर 'उत्कृष्ट अनुभाग' का फैसला करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि विशेष उद्देशीय बास्केटों में ही बेकार कागजों को डाला जाए। मंत्रालय में स्वच्छता पहलों की देखरेख के लिए एक आंतरिक समिति गठित की गई है जोकि मंत्रालय में स्वच्छता अभियान की जांच के लिए औचक निरीक्षण करती है। मंत्रालय में एक सघन स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। सभी अनुभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पुरानी और अप्रयुक्त वस्तुएं अनुभागों में न पड़ी हो। उनसे यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी तारें या केबल अव्यवस्थित न हो तथा फर्नीचर टूटा हुआ नहीं हो तथा इसकी शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत कराई जाए। अप्रयुक्त और खराब सामग्रियों का भी निपटान किया जाना है। विभागीय कैंटीन के कर्मचारियों को स्वच्छता पहलों का ध्यान रखने और कैंटीन में साफ–सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। मंत्रालय ने विभिन्न स्थानों पर 'स्वच्छता' विषयों पर पोस्टर भी लगाए हैं।

प्रकाशन विभाग द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आधुनिक परिदृश्य और सुविधाओं से युक्त एक नई बुक गैलरी तैयार की जा रही है जिसमें स्वच्छता से जुड़े विषयों सहित विभिन्न विषयों पर इसके महत्वपूर्ण प्रकाशनों को प्रदर्शित किया जाएगा। पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता पर पन्द्रह भाषाओं में पुस्तकों की एक श्रृंखला लाए जाने की भी इसकी योजना है। इनमें बच्चों के लिए ''ऐसे जंगल स्वच्छ हुआ'' जैसी पुस्तकें शामिल हैं। इस अवधि के दौरान स्वच्छता संबंधी पुस्तकों पर फोकस के साथ योजना कार्यालयों के सेल्स एम्पोरियम और सेल्स यूनिटों में पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं। विभाग साप्ताहिक पत्र 'रोजगार समाचार' सहित मासिक पत्रिका 'कुरुक्षेत्र' भी विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियानों के बारे में नियमित रूप से रिपोर्टें प्रकाशित कर रहा है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय अपने 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए दूरदराज के क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में स्वच्छता संदेश पहुंचाने के लिए रैलियों, फिल्म शो, समूह चर्चाओं, सार्वजनिक सभाओं और फोटो प्रदर्शनियों सहित अंतर–वैयक्तिक सम्प्रेषण माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा है।

सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 13 से 23 जनवरी, 2017 तक आयोजित भारतीय पेनोरमा फिल्म समारोह में स्वच्छ भारत पर भी फिल्में दिखाई गईं तथा इस अभियान का व्यापक प्रचार किया गया।

विज्ञापन और प्रचार निदेशालय ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की ओर से खुले में शौच के दुष्प्रभावों के बारे में 60 सेकेंड के स्पॉट के साथ दृश्य–श्रव्य प्रचार शुरू किया। इसने शहरी विकास मंत्रालय की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण तथा वास्तविक प्रगति पर भी एक श्रव्य–दृश्य अभियान जारी किया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने 17 जनवरी, 2017 से आरंभ स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान कार्यशाला का आयोजन किया।

यह क्षेत्रीय भाषाओं के बुलेटिनों सहित नियमित समाचार बुलेटिनों और समाचार आधारित कार्यक्रमों में भी स्वच्छता पखवाड़ा की विभिन्न गतिविधियों को पर्याप्त कवरेज प्रदान कर रहा है। दूरदर्शन समाचार हर रोज अपने स्वच्छता बुलेटिन में 5 मिनट के स्थाई स्लॉट में नागरिक समाज और मंत्रालयों तथा विभागों की स्वच्छता पहलों को प्रसारित कर रहा है।

गीत एवं नाटक प्रभाग स्वच्छ भारत मिशन पर व्यापक प्रचार के लिये स्थानीय भाषाओं में नाटक, कम्पोजिट, नृत्य–नाटक, संगीत कार्यक्रम, नुक्कड़–नाटक, कठपुतली शो, मैजिक शो, पौराणिक गायन और लोकगीतों सहित लाइव लोक और पारंपरिक कलाओं का प्रयोग कर रहा है।

भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी अपने सामुदायिक रेडियो के जरिए स्वच्छता अभियान के संबंध में संदेश फैला रहा है। संबंधित विषयों पर पर्यावरणीय विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार और चर्चाएं प्रसारित की जा रही हैं।

फोटो प्रभाग विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सूचना के आधार पर स्वच्छता पखवाड़ा के अधीन सभी प्रकार की पहलों की सघन फोटो कवरेज प्रदान कर रहा है। ❑

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

'स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र' अभियान की शुरुआत

सरकार ने स्वच्छता सुधार, जागरूकता बढ़ाने तथा स्वास्थ्यप्रद जीवनचर्या के जरिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम हासिल करने के लिए *स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र* अभियान की शुरुआत की है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का अंतरमंत्रालयी संयुक्त कार्यक्रम *स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र* सुशासन दिवस 2016 पर आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे. पी. नड्डा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर उपस्थित थे। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान वाला कार्यक्रम 'स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत' भी आरंभ किया गया।

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र कार्यक्रम का उद्देश्य पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दो पूरक कार्यक्रमों क्रमशः *स्वच्छ भारत मिशन* एवं *कायाकल्प* की उपलब्धियों का लाभ उठाना और उन्हें बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत–

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 700 से अधिक ब्लॉकों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया है। देश भर के ओडीएफ ब्लॉकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वच्छता एवं सफाई पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- *कायाकल्प* के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वच्छता एवं सफाई समेत गुणवत्ता मानक पूरे करने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। *कायाकल्प* के अंतर्गत जिले में पुरस्कृत होने वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिस ग्राम पंचायत में आता होगा, उस पंचायत को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चिह्नित किया जाएगा तथा उसे जल्द से जल्द खुले में शौच से मुक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि यह पहल विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को एक साथ लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि स्वच्छ भारत मानसिकता बदलने पर ध्यान देता है जिसके लिए किसी बड़े तकनीकी अथवा ढांचागत हस्तक्षेप की नहीं बल्कि व्यवहार परिवर्तन के लिए केंद्रीकृत अभियान की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षित विद्यार्थी स्वच्छता का संदेश अपने माता–पिता तक पहुंचाने के सबसे अच्छे माध्यम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर 'स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र' 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त बना देगा।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने स्वच्छ भारत मिशन की अभी तक की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के 70 से अधिक जिले, 700 से अधिक ब्लॉक और 1.30 लाख से अधिक गांव अभी तक खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं और कई अन्य इस लक्ष्य के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को जनांदोलन बनाने अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता से परिचित कराने का जो संदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, उसका सबसे सटीक उदाहरण *स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र* है। उन्होंने बताया कि स्कूली स्वच्छता के क्षेत्र में ध्यान देने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच एक और गठजोड़ होने जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री सी. के. मिश्रा ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में स्वास्थ्य केंद्रों को साफ एवं स्वच्छ बनाने पर होने वाला मामूली खर्च किस तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा फायदा देगा क्योंकि उससे संवहनीय या संक्रामक रोगों से बचा जा सकेगा। उन्होंने देश में इस क्रांति को लाने के लिए मोर्चे पर काम कर रहे स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारियों तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों के संकल्प तथा समर्पण की भी सराहना की। ❑

55 दिनों में बनाए सात हजार शौचालय, खुले में शौच से मुक्त हुआ संझोली

–संदीप कुमार

किसी मकसद को अंजाम देने के लिए किसी का मुंह ताकने से बेहतर है खुद हिम्मत कर आगे बढ़ना। कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल के संझोली प्रखंड ने। संझोली प्रखंड 55 दिनों में खुले में शौच से मुक्त हुआ है। अब तक बिहार में संझोली व पश्चिमी चंपारण का पिपरासी प्रखंड पूरी तरह से शौचमुक्त हो चुके हैं। सबके लिए यह सम्मान घर (यहां शौचालय का नया नाम) खुला हुआ है यानी जिले का सबसे गंदा गांव आज स्वच्छता का मानक गांव बन चुका है। यानी वर्षों से चली आ रही खुले में शौच की परंपरा से यह गांव अब मुक्त है।

छह पंचायत और 64 गांवों वाले संझोली ब्लॉक ने जन–भागीदारी, प्रशासन और यूनिसेफ के सहयोग से बहुत ही कम समय में स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाए हैं। 55 दिनों में इस प्रखंड में सात हजार शौचालय बनाए गए हैं। बिहार में शौचालय बनाने के लिए ग्राम विकास विभाग को नोडल विभाग बनाए जाने के बाद यह खुले में शौचमुक्त होने वाला पहला प्रखंड है। यह वही प्रखंड है जोकि बाराखाना की मिड डे मील की रसोइया फूलकुमारी द्वारा अपने शादी का मंगलसूत्र गिरवी रखकर शौचालय बनाने के लिए बिहार में काफी चर्चित रहा था।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी। बिहार को खुले में शौच से मुक्त कराना बिहार की प्राथमिकता में भी शामिल किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र सरकार 60 फीसदी राशि उपलब्ध करा रही है जबकि राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। बिहार में बड़े पैमाने पर शौचालय निर्माण के लिए ग्राम विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार

बिहार में कुल 75.8 घरों में शौचालय नहीं हैं। सन् 2001 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना में ऐसे घरों की संख्या में 3.9 प्रतिशत की कमी आई है जिनमें शौचालय नहीं था। शौचालय की उपलब्धता को लेकर बिहार सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 32 वें स्थान पर है। बिहार को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 1.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया जाना है।

मिशन प्रतिष्ठा –समुदाय और प्रशासन के सहयोग से हासिल किया मुकाम

रोहतास के जिलाधिकारी का कहना है कि खुले में शौच से मुक्ति के संकल्प मिशन 'प्रतिष्ठा' की 2 जून, 2016 को शुरुआत की गई थी। इस प्रतिष्ठा मिशन का उद्देश्य शौचालय को बहू–बेटी के मान–सम्मान से जोड़कर लोगों को इसका महत्व समझाना था। संझोली के एडीएम राजीव कुमार बताते हैं कि इससे पहले के कैंपनों के दौरान सारा ध्यान शौचालय बनाने पर होता था। उनके वास्तविक इस्तेमाल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। पुरानी कमियों से सीख लेते हुए इस बार प्रशासन का पूरा फोकस लोगों के व्यवहार में बदलाव लाकर लोगों में शौचालय प्रयोग की आदत विकसित करने पर लगाया गया। उदयपुर पंचायत के उप मुखिया वशिष्ट पासवान का कहना था कि यूनिसेफ प्रशासन के अधिकारी लोग आते रहते थे (फीडबैक फाउंडेशन को यूनिसेफ ने इस जिले में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए नियुक्त किया) और इतना ही नहीं पूरे गांव का चित्र बनवाते थे और फिर अपने तरीके से समझाते थे। इन्होंने लोगों को समझाया कि घर से बाहर शौच के लिए जाना हमारे लिए और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है।

प्रशासन का सहयोग रहा सफल

संझोली की उदयपुर पंचायत की निगरानी के लिए समिति के सदस्य, प्रशासन के अधिकारीगण व गांव के प्रेरक सुबह चार बजे से खुले में शौच जाने वाले लोगों पर नजर रखा करते थे और उन्हें खुले में शौच जाने से रोक कर शौचालय का उपयोग करने को प्रेरित करते थे।

शुभ–शुभारंभ और सम्मान घर जैसे प्रयासों से मिली सफलता

संझोली के प्रशासनिक अधिकारी का कहना था कि लोगों को जागरूक करने के बाद यह तय किया गया कि एक नियमित समय पर शौचालय निर्माण का कार्य शुरू कराया जाए। यह भी तय किया गया कि हर महीने की 11 तारीख को गांव में 11 गड्ढों की खुदाई करके शौचालय का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। समुदाय के बीच से शौचालय की मांग को बढ़ाने के लिए प्रशासन की ओर से एक नया नाम दिया गया 'सम्मान घर'।

जिले के कई लोगों की रही भूमिका

गंदगी के खिलाफ इस जंग की कहानी फूल कुमारी, सराज कुमारी, अवशेष और विभेद पासवान जैसे जिले के लोगों के बिना अधूरी है। इसी जिले की फूल कुमारी ने जहां शौचालय बनवाने के लिए अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखा और नई मिसाल प्रस्तुत की। बाद में उन्हें रोतास के जिलाधिकारी ने स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उदयपुर पंचायत की सरोज कुमारी ने बाहर शौच करने के दौरान सांप काटने से अपने पति की मृत्यु के बाद शौचालय निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करने को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। वो अपनी कहानी बताकर लोगों से शौचालय बनवाने का आग्रह करती और उन्हें समझाती कि अगर वो अपने पति और बच्चों की सलामती चाहती हैं तो अपने घरों में शौचालय बनवाएं। इन नायकों के अतिरिक्त विभेद पासवान जैसे लोकगायक ने इस मुहिम को आंदोलन का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। पासवान शौचालय निर्माण के गीत लिखकर उसे लोगों के बीच गाते रहे और गीत व संगीत के माध्यम से उन्हें प्रेरित करते रहे।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

आगामी अंक

मार्च, 2017 – केंद्रीय बजट 2017–18

खाद्य सुरक्षा पर प्रधानमंत्री के उद्‌गार

- वर्तमान कृषि परिदृश्य में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत को उन आपूर्तियों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा जोकि गरीबों को समय पर अबाधित और वाजिब दामों पर उपलब्ध करायी जा सकें।
- हमारे वैज्ञानिकों ने देश के पर्यावरण के अनुकूल 131 से अधिक किस्में विकसित की हैं। ये किस्में प्रति हेक्टेयर उत्पादन और क्वालिटी बढ़ाएंगी।
- हमने किसानों को बेहद कम प्रीमियम पर अधिकतम गारंटी प्रदान की है। हमने 15 लाख टन उत्पादन की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गोदाम बनाए हैं।
- किसानों के लिए ई–मंडी योजना शुरू की गई है ताकि किसान देशभर में किसी भी बाजार में ऑनलाईन अपने उत्पाद को बेच सकें। आज वह अपने खेत से 10 किमी. की दूरी पर सस्ती कीमत पर कड़ी मेहनत से पैदा किए अपने उत्पाद बेचने के लिए मजबूर नहीं हैं।
- पहली हरितक्रांति की पहली आवश्यकता थी कि देश को अन्न बाहर से न लाना पड़े, देश का पेट भरे। दूसरी हरितक्रांति का इतना मतलब नहीं हो सकता, इसका मकसद कुछ और भी हो सकता है। क्यों न हमारे देश के कृषि अर्थशास्त्री, हमारे देश के कृषि तकनीशियन, हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक, खाद्य सुरक्षा से जुड़े वैज्ञानिक, ये सब मिलकर विचार–विमर्श करें कि दूसरी हरितक्रांति का मॉडल क्या हो, उसकी प्राथमिकताएं क्या हो, हमें किन चीजों का उत्पादन करना चाहिए...।
- हमारे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण और 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दे रही है। इससे कृषि–आधारित उद्योगों को फायदा होगा और 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुना करने के मेरे सपने को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
- खाद की कमी अब पुरानी बात हो गई है। हम खाद का उत्पादन बढ़ाने में सफल हुए हैं। उत्पादन बढ़ने की वजह से किसानों को समय पर खाद मिलने की संभावना बढ़ गई है।
- विश्व इस समय जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चिंतित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानव विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने की जरूरत तभी समझ गए थे... और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर काफी सतर्क थे। मानव जाति अब जाकर प्रकृति पर हमारे भौतिक विकास के खतरनाक प्रभाव को समझी है।
- ऐसे समय में जब देश दालों की उपलब्धता की कमी से जूझ रहा है, किसानों को दालों की बुआई एक बार में डेढ़ गुना बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहले एक समय में किसान अन्य फसलों के उत्पादन की तरफ बढ़ गए जिससे आम आदमी की तरफ से दालों की मांग बढ़ गई थी। अब दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया गया है। दालों के लिए बोनस की घोषणा भी की गई है। दालों की खरीद के लिए बेहतर प्रणाली की आवश्यकता है इसीलिए किसानों को ज्यादा आमदनी के लिए दालें उगाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। ❑

विश्व पुस्तक मेला, 2017 में प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग ने प्रत्येक वर्ष की तरह 7–15 जनवरी, 2017 के बीच नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले, 2017 में भागीदारी की। कला, संस्कृति और विरासत पर आधारित पुस्तकों के प्रकाशन के संदर्भ में अग्रणी प्रकाशन विभाग को आगंतुकों से काफी उत्साहवर्धक प्रत्युत्तर प्राप्त हुए।

प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय नायकों की जीवनियों, भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, विज्ञान, पर्यावरण और बाल साहित्य जैसे भारतीय परिदृश्य के विविध पहलुओं के संरक्षण के साथ–साथ उन्हें प्रस्तुत करता है। प्रकाशन विभाग ने 100 खंडों में अंग्रेजी में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (सीडब्ल्यूएमजी) और हिन्दी में सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय सहित गांधीवादी विचार पर आधारित पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिन्हें गांधीजी की रचनाओं का सबसे व्यापक और अधिकृत संग्रह माना जाता है।

भारत शृंखला आधुनिक भारत के निर्माता और हाल ही में राष्ट्रपति भवन पुस्तक शृंखला तथा भारत के न्यायालय पर आधारित प्रकाशनों ने पाठकों का ध्यान काफी आकर्षित किया। प्रकाशन विभाग द्वारा हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 'कोर्ट्स ऑफ इंडियाः पास्ट टू प्रेजेंट' को पाठको ने काफी सराहा और बढ़चढ़ कर इसे खरीदा भी।

आगंतुकों ने प्रकाशन विभाग की ई–बुक्स में भी अपनी रूचि दिखाई। प्रकाशन विभाग की ई–बुक्स के विवरण के लिए विशेष तौर पर ई–कियोस्क भी लगाए गए थे। इस दौरान कई आगंतुक प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के ग्राहक बनें।

इस मेले में बाल साहित्य, इतिहास, संस्कृति व अन्य समसामयिक विषयों सहित विभिन्न विषयों पर आधारित कई पुस्तकों का विमोचन किया गया जिनमें लाइव्स देट इंस्पायर

खंड–I, II, III, वनवासी बच्चे, उपहार, सांची की गुड़िया, भारत की लोककथाएं, विवेकानंद की कहानी, भारत के गौरव भाग–II, पर्यावरण और विकास, भारतीय लोक साहित्य : परम्परा और परिदृश्य, हिन्दी और उसकी उपभाषाएं, अपनी हिन्दी संवारें, असम और मेघालय की प्रेस पत्रकारिता, गणेश शंकर विद्यार्थी, जवाहर लाल नेहरूः श्रद्धांजलि आदि शामिल हैं।

मेले के दौरान तीन पुस्तक परिचर्चाएं भी आयोजित की गई, जो कि बाल साहित्य लेखन की चुनौतियां, अतुल्य भारत की छवियां और लिटरेचर ऑन महात्मा गांधी : रीचिंग आउट टू यूथ इन डिजिटल एज शीर्षक पर आधरित थीं।

प्रकाशन विभाग ने डेबिट/क्रेडिट कार्ड और भारत कोष पोर्टल के माध्यम से मुद्राहीन लेन–देन की सुविधा उपलब्ध करायी जिसके नतीजे काफी सकारात्मक रहे। कुल बिक्री में लगभग 20 प्रतिशत बिक्रियां डेबिट/क्रेडिट काड्र्स द्वारा की गई थीं। नौ दिनों तक चले पुस्तक मेले के दौरान प्रकाशन विभाग की पुस्तकों और पत्रिकाओं की अनुमानित बिक्री 18 लाख रुपये से भी अधिक हुई, जो प्रकाशन विभाग के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक है। ❑

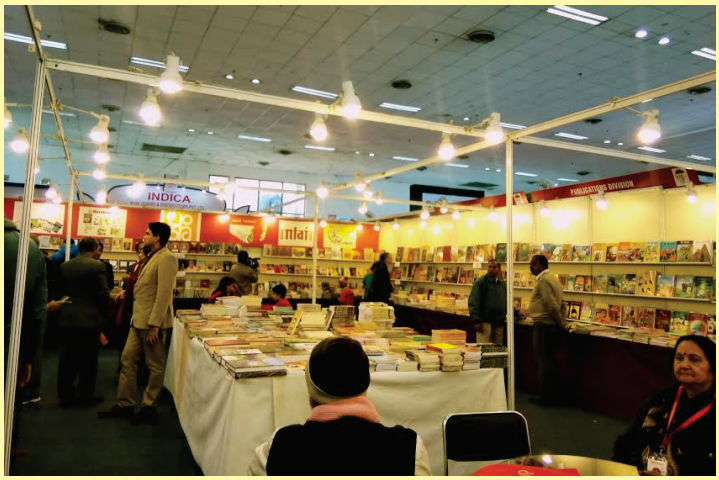

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2015-17
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2015-17
1 फरवरी 2017 को प्रकाशित एवं 5-6 फरवरी 2017 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2015-17
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2015-17
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think DRISHTI

Most trusted & renowned institute among IAS aspirants

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण सामग्री।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिये प्रत्येक महीने सामान्य अध्ययन के विभिन्न खण्डों के रिवीज़न के लिये 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (योजना, कुरुक्षेत्र, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर।
- ☑ एथिक्स पेपर के लिये हर महीने विशेष सामग्री।
- ☑ साक्षात्कार की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट:
www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 59
For business/advertising enquiry, Call - 8130392355
Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

प्रकाशक और मुद्रक: डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, संपादक: ललिता खुराना